खण्ड-225, अंक-8
गुरूवार, 19 श्रावण, शक संवत् 1883
(10 अगस्त, 1961 ई0)

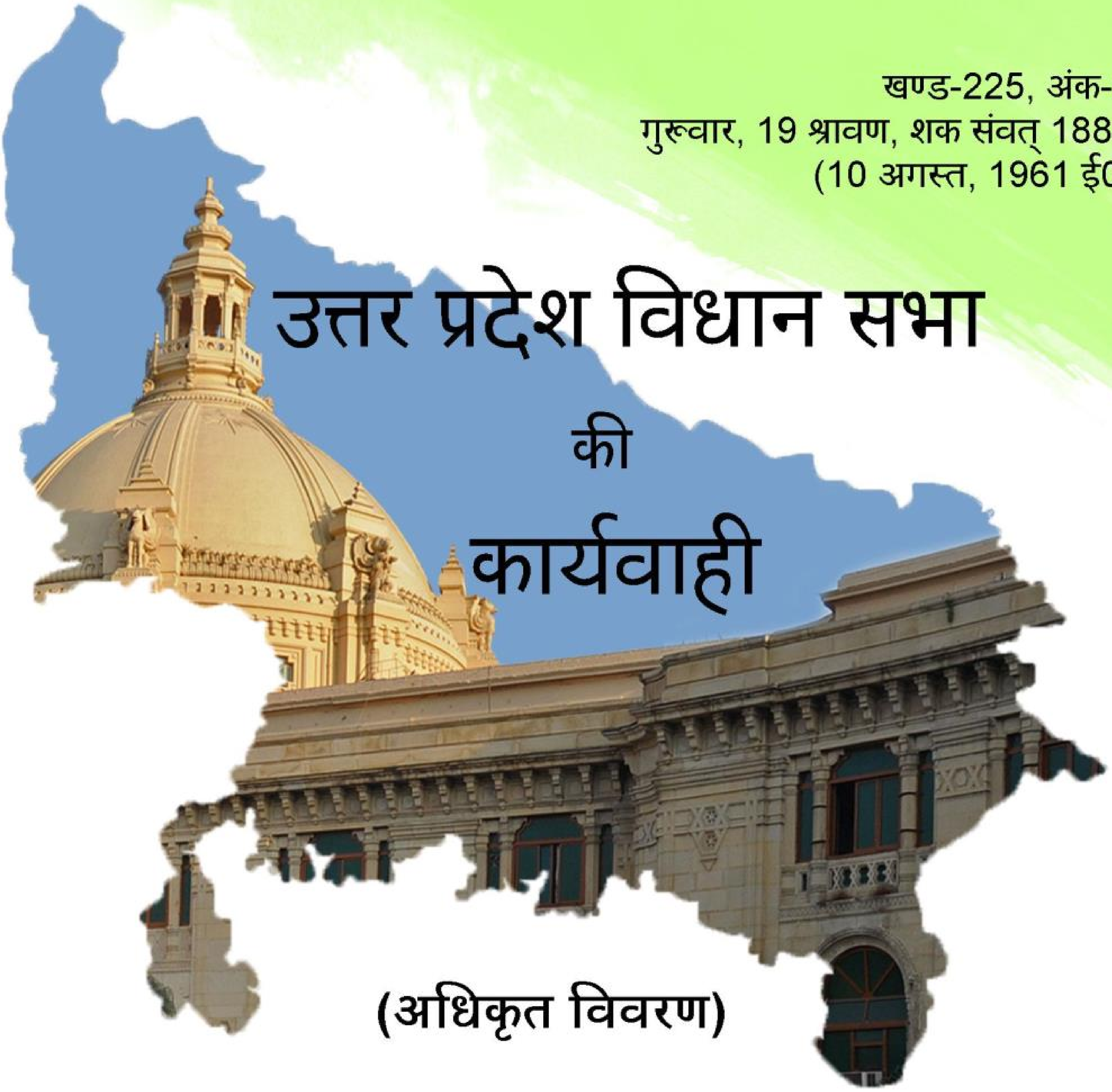

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, १० अगस्त, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चंद्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंहराणा, श्री

बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
विशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासी लाल, श्री
बृजरानीमिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
व्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
महमूदहुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट विहारी लाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुबारकअली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मदफारुक चिश्ती, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफजाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेज बहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री

रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट , श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री

सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा स्वशासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, १० अगस्त, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बिड़ला अल्मूनियम फैक्टरी में हड़ताल

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिड़ला अल्मूनियम कारखाने के निर्माण-कार्य में २ हजार टेक्नीशियनों ने गत पहली जून से हड़ताल कर दी थी ?

श्रम उपमंत्री (श्री वसी नकवी)—जी हां ।

**२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो उन मजदूरों की क्या मांग थी ?

श्री वसी नकवी—नौकरी से पृथक् किये गये ३ वेल्डरों को पुनः कार्य पर लिया जाय ।

**३—श्री झारखंडेराय—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस हड़ताल की समाप्ति तथा समझौते के लिये सरकार ने क्या किया ?

श्री वसी नकवी—प्रादेशिक संराधन अधिकारी, इलाहाबाद के प्रयत्न के फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हुई, परन्तु दोनों पक्षों में समझौता न होने के कारण उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ के नियम ४ के अन्तर्गत संराधन संबंधी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ये तीन वेल्डर्स थे ये नौकरी से क्यों निकाले गये और यह हड़ताल उनकी मांग को लेकर कितने दिन चलती रही ?

श्री वसी नकवी—एम्पलायर ने उनको नौकरी से इसलिये निकाला कि उन पर यह आक्षेप था कि ये लोग इनसाइट करते हैं ।

श्री झारखंडेराय—मैंने पूछा था कि यह हड़ताल कितने दिन चलती रही ?

श्री वसी नकवी—पहले जनरल टोकेन स्ट्राइक किया था और एक दिन चली ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—कृपया श्रम मंत्री जी बतायेंगे कि ये लोग इनसाइट करते थे इससे क्या तात्पर्य है मंत्री जी का ?

श्री वसी नकवी—यानी लोगों को उभाड़ते थे कि काम पर न जायं, और स्ट्राइक करें ।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि उनके पास ऐसी सूचना है कि वहां मजदूरों की जो यूनियन है, जो मान्यता प्राप्त है, उसके ये तीनों सज्जन पदाधिकारी रहे हैं ?

श्री वसी नकवी—इसकी तो जानकारी इस समय नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि बिड़ला अल्मूनियम कारखाने में फैक्ट्री कानून लागू है और उसी कानून के मातहत उन लोगों को निकाला गया है ?

श्री वसी नकवी—वहां फैक्टरी ऐक्ट लागू है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि दोनों दलों में समझौता न होने के बाद इस विवाद को सरकार की तरफ से ऐडजुडिकेशन के लिये रेफर कर दिया गया है या नहीं ?

श्री वसी नकवी—मैंने बताया कि उनकी मांग यह थी कि यह मामला आर्बिट्रेशन को दिया जाय, लेकिन एम्पलायर्स इसके लिये तैयार नहीं हुये इसलिये कंसीलियेशन बोर्ड के सिपुर्द मामला किया गया । उसने अपना फैसला दे दिया है और अब वह लेबर कमिश्नर के विचाराधीन है ।

श्री झारखंडेराय—माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि हड़ताल समाप्त हुई तो यह हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई ?

श्री वसीन कवी —उन्होंने इंटरवीन किया था। हमारे रीजिनल कंसीलियेशन आफिसर, इलाहाबाद ने मैनेजमेंट से यह कहा था कि वह आपस में मामला तय कर लें, लेकिन उनकी तरफ से कोई कंसीलियेशन का एप्रोच नहीं हुआ और वह इस पर राजी नहीं हुये। फिर इम्पलायर्स ने एक नोटिस लगा दिया कि हम ३,००० की स्ट्रेन्थ को रिड्यूस करके १५०० ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम तीन शिफ्ट रन नहीं कर सकते हैं और मकान तथा पानी का प्रबन्ध नहीं है। जब नोटिस हुआ तो इधर हंगर स्ट्राइक चल रहा था तो हमारे कंसीलियेशन आफिसर ने उनको एडवाइज किया कि आप इसको गिव अप कर दीजिये।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके जवाब से यह ध्वनि निकलती है कि मैनेजमेंट का रुख जिद से भरा हुआ है और वह समझौता नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी हालत में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है या कर रही है ?

श्री वसी नकवी—मैंने बताया कि इम्पलायर्स का रुख जरूर कड़ा है। इसीलिये रीजिनल कंसीलियेशन आफिसर के सुपुर्द यह मामला हुआ और कंसीलियेटरी बोर्ड में गया और अब लेबर कमिश्नर के विचाराधीन है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि जब कोई मामला कंसीलियेशन में चला जाता है तो उसके बाद न तो किसी की छटनी हो सकती है और न कोई निकाला जा सकता है और ऐडजूडिकेशन में मामला सरकार भेजती है तो मालिक का क्या रुख है इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है . . . .

श्री अध्यक्ष—आपका प्रश्न क्या है ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यही है कि जब सरकार कहती है कि लेबर कमिश्नर के यहां मामला विचाराधीन है कि यह मामला ऐडजूडिकेशन में जाय या नहीं तो मालिक ने कैसे उनको निकाला ?

श्री वसी नकवी—वे कंसीलियेशन के पहले ही निकाले जा चुके थे।

गन्ना किसानों की तकावी तथा मालगुजारी वसूली का स्थगन

**४—श्री झारखंडेराय—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वे गन्ना उत्पादकों से उस समय तक मालगुजारी और तकावी की वसूली स्थगित कर दें जब तक कि उक्त किसानों को चीनी मिलों को सप्लाई किये गये गन्ने का पूरा मूल्य नहीं मिल जाता ?

राजस्व उपमंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)—जी हां, उन्हीं किसानों की वसूली स्थगित करने के आदेश गये हैं जिनको गन्ने का अधिकांश मूल्य मिलों से नहीं प्राप्त हुआ ।

**५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—आदेश की प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७७०–७७१ पर)

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माल विभाग के जो लोग वसूली करने जाते हैं उनको इस बात की किस प्रकार जानकारी होती है कि फलां काश्तकार के पास जितना गन्ना था उसके अधिकांश भाग का दाम बाकी है ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—वे गन्ने वाले खुद बताते हैं ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन जगहों पर अधिकांश गन्ने का दाम बाकी है उन स्थानों पर अमीनों ने कुर्की और वसूली करके किसानों का पिंड छोड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमें मालूम नहीं है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि प्रश्न ४ के जवाब में जो कहा गया है "अधिकांश मूल्य" तो इससे क्या मतलब है ५१ प्रतिशत, ७५ प्रतिशत, ८० प्रतिशत या ९० प्रतिशत ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमने कोई प्रतिशत फिक्स नहीं किया है।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी इस आज्ञा से जो हमको दी गई है, कितने किसान लाभान्वित होंगे ? इसका वह कुछ अंदाजा दे सकते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके कोई हमारे पास फिगर्स नहीं हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी ने पता लगाया है कि उनकी आज्ञा का इसलिये पालन नहीं हो रहा है कि ८० या ९० प्रतिशत गन्ने वाले हैं और ५० प्रतिशत से अधिक को पैसा नहीं मिला है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को जानकारी है कि जब सरकार ने आदेश दिया है कि जिनका पैसा अधिक बकाया रह गया है उनसे मालगुजरी वसूल न की जाय, तो उसका यही मकसद था कि मालगुजारी से अधिक बकाया जिन लोगों का रह गया हो, यानी अगर मालगुजारी १० रुपये चाहिये और हमारा मिल मालिक पर २० रुपया बकाया है

[श्री राजनारायण]
तो मालगुजारी से अधिक बकाया है जिसको सरकार दिलाने की जिम्मेदार है, ऐसी स्थिति में अगर उन किसानों से सरकारी कर्मचारी मालगुजारी वसूली में सख्ती किये हैं, तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ मैं समझा नहीं ।

श्री राजनारायण—हमारा सवाल यह है कि जो सरकार का परिपत्र है कि अधिकांश जिनका बकाया हो उनसे मालगुजारी वसूल न की जाय, और इस अधिकांश के संबंध में सरकार कहती है कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, तो क्या यह अर्थ सही है कि जिस किसान के गन्ने की कीमत २० रुपया बकाया है और मालगुजारी का केवल दस रुपया बकाया है, तो उस का अधिक बकाया हो गया, ऐसे किसान से सरकारी कर्मचारी मालगुजारी नहीं वसूल करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह अर्थ गलत है।

श्री राजनारायण—तो आप बता दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—मान लीजिये कि एक हजार का गन्ना बेचा, उसमें जुज बाकी है और ज्यादातर अदा हो गया तो उनको कंसेशन नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा रुपया बाकी है, जुज मिला है, तो उनको मिलेगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिस आदेश का जिक्र माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ४ के उत्तर में किया है वह आदेश किसी जिला विशेष के अधिकारियों के पास भेजा गया है अथवा उन सब जिला अधिकारियों के पास भेजा गया है जहां-जहां मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों का पैसा बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा खयाल है कि मैंने सबके पास भेजवा दिया है ।

सचिवालय में क्लर्कों की छटनी का आदेश

**६—श्री झारखंडेराय तथा श्री मदन पांडेय—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने कोई ऐसा आदेश सचिवालय के विभिन्न विभागों को दिया है कि वे अपने-अपने विभाग में ५ प्रतिशत लोअर, अपर और रिफरेन्स क्लर्कों की छंटनी करें ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी हां ।

**७—श्री झारखंडेराय तथा श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस प्रकार कितने क्लर्क छांटे जायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—८० ।

श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो छटनी की बात हो रही है, क्या यह किफायतशारी की जो स्कीम सरकार की है, उसके मातहत की जा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मंत्रि परिषद् ने जो यह फैसला किया कि इस बचत योजना में ५ प्रतिशत लोग कम कर दिये जायं, तो चूंकि १७६६ यह लोग थे, उनमें ८३ होते थे तो ८३ के बदले ८० कम कर दिये गये। यह जो ८० कम किये गये हैं यह वह लोग हैं जो अस्थायी तौर पर काम करते थे, जिनका परमानेंट अधिकार नहीं था, उनके हटने से कोई डिस्लाज हो गया, ऐसा नहीं हुआ। आगे जो टेम्पोरेरी वेकेंसीज होती रहेंगी उनमें उनको ही सीनियारिटी के हिसाब से काम करने का मौका मिला करेगा ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि जिन ८० व्यक्तियों की छटनी की लिस्ट बनायी गयी है वह वरिष्टता के आधार पर नहीं बनी है, बल्कि उसमें कुछ उलटफेर भी हुई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह बिल्कुल टेम्पोरेरी काम करने वाले हैं और जो जूनियर मोस्ट हैं वह हटाये गये।

श्री गौरीशंकर राय—कृपया माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो एकोनामी ड्राइव है जिसके मुताबिक ८० आदमी हटाये जा रहे हैं, इस एकोनामी ड्राइव में इस सचिवालय के आफिसर ग्रेड का भी कोई आदमी हटाने का प्रस्ताव है या उनकी संख्या में वृद्धि करने का ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—उस पर भी विचार हो रहा है।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुए कि यह जो ८० आदमी निकाले गये यह कम तनख्वाह पाने वाले लोग हैं और आज इस मंहगाई के जमाने में कम तनख्वाह से कैसे गुजर होती है इसका सबको अन्दाज है, तो यह कम तनख्वाह वालों को निकालने की जो नीति है उसकी जगह पर उन्हीं विभागों में या अन्य विभागों में जो ऊंचे अधिकारी हैं उनको कम करने की नीति सरकार क्यों नहीं बरतती है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—निकाले जाने का प्रश्न उठता ही नहीं। जैसा मैंने कहा कि यह सब लोग ऐसे हैं कि जो टेम्पोरेरी तौर पर काम करते थे लीव वैकेंसी या दूसरी वैकेंसीज में, थोड़े दिनों से तो वह अपने आप ही पद समाप्त हो जाते क्योंकि परमानेंट वे नहीं थे। जहां तक दूसरी बात आपने कही उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों में उस पर भी चलेंगे।

श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो व्यक्ति निकाले गये हैं वह सर्विस में कितने दिनों से थे और निकाले जाने के बाद दूसरी सर्विस में जाने पर उनको आयु में छूट देने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा मैंने कहा जो लोग निकाले गए हैं वह ज्यादा से ज्यादा ८ महीने से काम कर रहे थे। ज्यादातर तो एक दो या तीन महीने वाले हैं और यह भी है कि सीनियारिटी के हिसाब से, जो और वैकेंसीज होंगी लीव वकेंसीज या दूसरी, उसमें उनको प्राथमिकता दी जायगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा दूसरा प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, उन्होंने कहा कि लीव अरेंजमेंट से हटाये गए लेकिन हुआ यह.....

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आठ बार में खड़ा हुआ.....

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है, लेकिन अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पर ही सारा समय खर्च नहीं करना है। अभी १०० प्रश्न हैं।

आगामी चुनाव में मत-पत्र उर्दू में छापने की संस्तुति

**८—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या आगामी चुनाव में मत पत्रों पर उर्दू में भी नाम अंकित होना आवश्यक है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सुझाव दिया है ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—जी हां, इस सम्बन्ध में लोक सभा में पूछे जाने वाले एक प्रश्न के संबंध में केन्द्रीय चुनाव आयोग ने यह पूछा है कि क्या आगामी चुनाव के मत-पत्रों पर हिन्दी के साथ उर्दू में नाम अंकित करना सम्भव होगा, क्योंकि प्रदेश भर के मत-पत्र छापने के लिये अधिक से अधिक १० दिन का समय मिल सकेगा। चुनाव आयोग ने अभी यह नहीं कहा है कि सभी मत-पत्रों पर उर्दू में भी नाम अंकित होना आवश्यक है।

सरकार की ओर से चुनाव आयोग को बताया गया है कि सारे प्रदेश के मत-पत्रों पर १० दिन के अन्दर हिन्दी के साथ उर्दू में नाम अंकित करना कठिन होगा क्योंकि इससे राजकीय मुद्रणालय के कार्यभार में वृद्धि हो जायेगी। परन्तु ६–७ जिलों के मत-पत्रों पर हिन्दी के साथ उर्दू में नाम अंकित करने में कोई कठिनाई न होगी और उपलब्ध समय में यह कार्य पूर्ण हो सकता है। चुनाव आयोग से यह भी कह दिया गया है कि मत-पत्र उर्दू में भी उन्हीं ६–७ जिलों में छापे जाएं जहां कि निर्वाचक नामावलियां चुनाव आयोग के निर्देशानुसार उर्दू में भी छापी गई हैं। इन ६–७ जिलों के नाम यह हैं:—

१—मुजफ्फरनगर
२—सहारनपुर
३—बिजनौर
४—रामपुर
५—मुरादाबाद
६—बरेली
७—लखनऊ जिले का नगर क्षेत्र

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन छः सात जिलों को ही यह विशेष सुविधा क्यों दी जा रही है और इसकी संस्तुति कब की गई थी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई दस महीने का अरसा हुआ जब यह निर्णय लिया गया था और चूंकि यहां उर्दू पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं इसलिए उनको सहूलियत देने के लिए ऐसा किया गया।

टैनरी हड़ताल विषयक [श्री वीरेन्द्रबहादुर सिंह का पत्र

**९—श्री मदन पांडेय—क्या श्रम मंत्री को कानपुर के प्रजा समाजवादी नेता श्री वीरेन्द्रबहादुरसिंह द्वारा भेजी गई सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार गत टैनरी हड़ताल के बाद अतिरिक्त जिलाधीश के आश्वासन के बावजूद संगठन में रुचि रखने वाले कर्मचारियों के निकाले जाने पर लगभग १०० श्रमिकों ने क्षोभ प्रकट करते हुए यह घोषित किया है कि यदि ७ अगस्त, १९६१ तक आश्वासन के अनुसार उन कर्मचारियों को काम पर वापस न लिया गया तो वे भूख हड़ताल आरम्भ कर देंगे?

श्री वसी नकवी—जी हां।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री वीरेन्द्रबहादुर जी ने जाजमऊ में अपना अनशन प्रारम्भ कर दिया है और इतने दिन की सूचना दिये जाने के बाद भी जो जिलाधीश का आश्वासन था वह पूरा नहीं किया गया?

श्री वसी नकवी—मेरे पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि ए० डी० एम० ने कोई आश्वासन दिया था, लेकिन यह बात बतलायी जाती है कि उन्होंने यह बात इम्प्लायर से कही कि वर्कर्स को विक्टिमाइज न किया जाय और वर्कर्स जब निकाले जाने के बाद उनके पास गये तो भी उन्होंने उनसे यही कहा कि आमतौर से जो वह निकाले जा रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री मदन पांडेय—क्या सरकार इस वक्त भी इस बात का आश्वासन दे रही है कि जो १०० व्यक्तियों के करीब टैनरीज से निकाले गये हैं उनके केसेज को वह आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर देंगे ताकि व्यक्तिगत रूप से वह मामले को देख कर सुलझा सकें?

श्री वसी नकवी—उनके लिये तो यही रास्ता है कि वे अपने मामले को कंसीलियेशन बोर्ड को रेफर करें ताकि वह टेक अप किया जा सके ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि जब सरकार से मेरी बात पहली तारीख को हुई कि २०० मजदूर निकाल दिये गये हैं और ए० डी० एम० ने हमसे स्वतः कहा था कि भूख हड़ताल तुड़वा दीजिये और मैं २२, २३ तारीख को कानपुर में था, उसके आश्वासन पर मैंने कोशिश करके भूख हड़ताल तुड़वा दी, तो सरकार ने वायदा किया था कि ३ तारीख को उनको बुला लिया जाय तो विचार हो जायगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि ३ तारीख को विचार हुआ या नहीं ? और नहीं, तो क्यों ?

श्री वसी नकवी—३ तारीख को यहां बुलाने का कोई इल्म नहीं है ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मैं स्वयं जाजमऊ टैनरीज के सेक्रेटरी के साथ उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इस आश्वासन को पूरा किया जायगा ?

श्री वसी नकवी—जी हां, मैंने कहा था कि यह सरकार के विचाराधीन है और इसको इग्जामिन किया जा रहा है और इस मामले में सरकार जो कुछ कर सकती है, करेगी ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि अभी कल भी जब मैंने सरकार से बातचीत की थी तो सरकार ने कहा था कि मैं उस तारीख को दिल्ली चला गया था इसलिये नहीं आ पाया और कुछ नहीं कर पाया ?

श्री वसी नकवी—यह शायद आप मंत्री जी के बारे में कह रहे हैं ।

श्री राजनारायण—यह मैं आपके लिए कह रहा हूं । आपसे मेरी कल बात हुई थी और आप से हमारा समय तय हुआ था ।

श्री वसी नकवी—आपने जो कुछ मुझसे कहा था उस पर मैंने आप से कहा था कि लेबर सेक्रेटरी से आप स्वयं बात कर लें और फिर मैंने कहा था कि मैं लेबर सेक्रेटरी को टेलीफोन किये देता हूं । लेकिन मैं पंजाब चला गया था इसलिये मैं लेबर सेक्रेटरी से बात नहीं कर सका और उसी के लिये मैंने आपको कहा था ।

श्री राजनारायण—ठीक है, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने कम से कम कबूल तो कर लिया कि लेबर सेक्रेटरी के लिये उन्होंने कहा था । मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अब भी तैयार है और क्या वह लेबर सेक्रेटरी को, छांटे हुए मजदूरों को और टैनरी के मालिकों को बुला कर समझौते का प्रयत्न करेगी ?

श्री वसी नकवी—समझौता कराने का सरकार का कर्त्तव्य है और उसको करती है और समझौता कराने की कोशिश करेगी ।

श्री मदन पांडेय—जब से सरकार को श्री वीरेन्द्रबहादुर के अनशन की सूचना प्राप्त हुई है उसके बाद सरकार ने उनको या टैनरी यूनियन के लोगों को पत्र लिख कर यह अनशन रुकवाने का प्रयत्न किया है ?

श्री वसी नकवी—जहां तक मेरे इल्म में है कोई पत्र नहीं लिखा गया ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, सरकार की ओर से उत्तर दिया गया कि सरकार प्रयत्न कर रही है । तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी या कोई आश्वासन

[श्री रामस्वरुप वर्मा]

देगी कि वह कब, किन तारीखों में मिल मालिकों और मजदूरों की मीटिंग बुलाकर समझौता कराने का प्रयत्न करेगी ?

श्री वसी नकवी—इस समय इस संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि मैंने अभी अपने सेक्रेटरी वगैरह से बातचीत नहीं की है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप हम लोगों को बार-बार आदेश देते हैं कि हम लोग कम से कम प्रश्न करें और हाउस का कम समय लें ताकि वह समय और कामों के लिये बच सके । इस केस के संबंध में आपको मालूम होगा कि मैं ३ बार उपमंत्री जी से मिला, मंत्राणी जी का भी दरवाजा कई बार खटखटाया, माननीय उग्रसेन जी ने लेबर कमिश्नर को कानपुर फोन भी किया, किन्तु फिर भी अभी तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया । अब आप ही कोई इसका तात्कालिक हल बतायें । कभी मंत्राणी जी दिल्ली में होती हैं, कभी मेरठ में····· ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं ।

श्री द्वाराकेश मेटल वर्क्स, मथुरा में हड़ताल

**१०—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री द्वाराकेश मेटल वर्क्स मथुरा के मजदूरों ने २४ अप्रैल, १९६१ को कारखाने के मालिक को एक नोटिस देकर कुछ मांगें रक्खी थीं और उसकी प्रतिलिपि लेबर इन्स्पेक्टर मथुरा व फैक्टरी इन्स्पेक्टर आगरा को भी भेजी थी ? यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वसी नकवी—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता ।

**११—श्री भीखालाल—सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नोटिस पर उचित कार्यवाही नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप कारखाने में हड़ताल हुई और मजदूरों ने भूख हड़ताल भी की तथा अब भी एक मजदूर जेल में भूख हड़ताल कर रहा है जिसकी हालत चिन्ताजनक होती जा रही है ?

श्री वसी नकवी—प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रमिकों ने बिना किसी नोटिस के १७-५-६१ ई० से अवैधानिक हड़ताल की । एक श्रमिक श्री ठाकुरदास, उर्फ ठाकुरसिंह ने ९ जून, १९६१ से भूख हड़ताल भी की । यह भूख हड़ताल १८ जून, १९६१ को समाप्त हो गई । इस समय द्वाराकेश मेटल वर्क्स का कोई श्रमिक जेल में भूख हड़ताल पर नहीं है ।

श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सिलसिले में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनमें कितने श्रमिक थे, कितने नहीं, तथा उनमें से एक व्यक्ति श्री दामोदरसिंह ने जेल में क्या हड़ताल भी की ?

श्री वसी नकवी—इस हड़ताल के सिलसिले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वह फैक्टरी बन्द थी । लेकिन मिल मालिकों के यहां एक दिन तेरहीं हो रही थी उनके घर-पर गये और वहां मारपीट हो गई और उसके कारण पुलिस को वहां जाना पड़ा और पुलिस ने वहां जाकर २ इम्प्लायर्स को तथा ८ या ९ इम्प्लाईज को गिरफ्तार किया । यह ८—९ श्रमिक थे ।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस कारखाने में हड़ताल होने के बाद श्रमिक वहां कारखाने में गये और उन्होंने कारखाने में धरना दिया । उस पर पुलिस ने १०७ और १५१ दफा लगाकर श्रमिकों को गिरफ्तार किया और उन्हीं में से एक व्यक्ति ने भूख हड़ताल की ?

श्री वसी नकवी—गिरफ्तारी वहां पर नहीं हुई बल्कि उनके घर पर हुई जबकि उनके घर पर तेरहीं हो रही थी। अब भूख हड़ताल करने वाले उन गिरफ्तार व्यक्तियों में थे या नहीं इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

लखनऊ मेडिकल कालेज के विद्यार्थी जान आस्टिन की आत्म-हत्या

**१२—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अतिरिक्त आई०जी० पुलिस के पास ९ फरवरी, १९६१ को के० जी० मेडिकल कालेज के होस्टल में होने वाले जान आस्टिन के सन्देहात्मक कत्ल के विषय में अप्रैल, १९६१ के प्रथम सप्ताह में कोई आवेदन-पत्र आया है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—जी हां, इस मामले में सी० आई० डी० द्वारा जांच करने पर घटना आत्म-हत्या की पाई गई।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आत्म-हत्या का कारण सी० आई० डी० रिपोर्ट के अनुसार क्या था?

श्री नवलकिशोर—यह व्यक्ति इम्तहान में पास नहीं हुआ था। इस कारण इसने आत्म-हत्या कर ली, ऐसा समझा जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार को जानकारी है कि जान आस्टिन के पिता के पास जान आस्टिन ने मरने के पूर्व जो पत्र लिखा है उससे स्पष्ट होता है कि उसके अच्छे नम्बर आये थे और वह सबसे अच्छे नम्बर लाने वाला छात्र था तो कम नम्बर पाने की बात को सी० आई० डी० ने कैसे मान लिया?

श्री नवलकिशोर—जो पत्र उसने अपने पिता को लिखा था उसमें लिखा था कि मैं अन्य विषयों में तो पास हूं लेकिन अनाटामी में फेल हो गया हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आवेदन-पत्र में मुख्य आरोप क्या लगाया गया था?

श्री नवलकिशोर—जो आवेदन-पत्र दिया गया था उसके पिता की तरफ से, उसमें दो बातों की मांग की गयी थी। एक तो यह थी कि जो होस्टल के वार्डेन हैं और चौकीदार हैं उनको हटा दिया जाय और दूसरी यह थी कि इसकी जांच सी० आई० डी० से करायी जाय। पहले पत्र के आने से पहले ही गृह मंत्री जी ने सी० आई० डी० की जांच के आदेश दे दिये थे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जो पहली मांग थी कि स्टाफ और वार्डेन को हटा दिया जाय, वह पूरी की गयी या नहीं?

श्री नवलकिशोर—उसको सरकार ने उचित नहीं समझा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ३ मई, १९६१ को इस घटना की एक मुकम्मल रपट मैंने स्वतः माननीय मुख्य मंत्री को हरिद्वार से भेजी थी और माननीय मुख्य-मंत्री का जवाब भी मेरे पास आ चुका है कि अभी इस सम्बन्ध में हम मुकम्मल जांच कर रहे हैं? तो क्या वह जांच हो चुकी है तब सरकार का यह उत्तर है, या अभी जो हमें पत्र लिखा गया है उसके मुताबिक जांच जारी है?

श्री नवलकिशोर—माननीय साथी ने क्या पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था, उसकी मुझे सूचना नहीं है, लेकिन जो सी० आई० डी० की जांच मुकम्मल हो गयी है उसके बाद ही सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि वह आत्म-हत्या का केस है।

तारांकित प्रश्न

माल बोर्ड का प्रशासकीय विभाग

*१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अलमोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे कौन योजनायें थीं जिनके अनुसार माल बोर्ड का प्रशासकीय विभाग १९५० में समाप्त किया गया और १९५६ में पुनःस्थापित किया गया ? क्या न्याय मंत्री उनकी एक-एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह सही नहीं है कि माल बोर्ड का प्रशासकीय विभाग १९५० में समाप्त कर दिया गया था । दूसरा प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—१९५० न सही, उसके एक आध साल आगे पीछे तोड़ा गया था? और उसके बाद इस दृष्टि से फिर यह कहा गया कि हाई पावर बोर्ड बनाते हैं, और सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, बेटिंग टैक्स और कन्सालिडेशन भी उसी के सुपुर्द किया जायगा, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—तोड़ा कभी नहीं गया था ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न पुकारा गया)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या आगे सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं किया जायगा ? उसमें और चीजें हैं । अब चौगुना खर्चा हो रहा है, जब माल बोर्ड बनाया गया था. . .

श्री अध्यक्ष—उन्होंने कह दिया कि तोड़ा नहीं गया था तो उसके बाद यह प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—दूसरा पार्ट आपके यहां स्वीकार नहीं हुआ । उसमें रोजन यह दिया गया कि सप्लीमेंटरी में आ जाता है । मैंने सोचा कि सप्लीमेंटरी करूंगा, लेकिन इजाजत नहीं मिलती । हिन्दी वाले पर भी वही हो रहा है । छोटे-छोटे प्रश्नों पर १०-१० सप्लीमेंटरी स्वीकार किये जाते हैं और जब सरकार की पकड़ की बात आती है वहां पर प्रश्न नहीं होते

मथुरपुर के भूमिहीनों के नाम कछार की भूमि का इन्दराज

*२—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली, थाना सरेनी के अन्तर्गत मथुरपुर के ग्राम समाज के भूमिहीनों के नाम फसली १३६५ व १३६६ में कितने बीघा गंगा कछार की भूमि जिन्सवार कागजात पटवारी में दर्ज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला रायबरेली के ग्राम समाज मथुरपुर के भूमिहीनों के नाम फसली सन् १३६५ में २५७ बीघा ७ विस्वा ६ विस्वान्सी तथा १३६६ फसली में ३१० बीघा १७ विस्वा ५ विस्वान्सी कछार की भूमि जिन्सवार कागजात पटवारी में दर्ज है ।

*३—श्री गुप्तारसिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या १३६५ फसली का लगान भी ग्राम समाज मथुरपुर ने उपर्युक्त किसानों से वसूल कर लिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ग्राम समाज ने १३६५ फसली का २८ रुपये लगान ८ व्यक्तियों से वसूल किया है ।

खटीमा व सितारगंज तहसील के किसानों का मांगों के लिए प्रदर्शन

*४—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की करेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तहसील खटीमा के नेतृत्व में तहसील खटीमा और सितारगंज के काश्तकारों ने कोई प्रदर्शन

२८ मार्च, १९६१ को तहसील के सामने किया ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की क्या मांगें थीं ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—जी हां, प्रदर्शनकारियों की मांगें संलग्न सूची में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७२ पर)

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मांग १ से लेकर ३ तक जिनका सम्बन्ध वन विभाग से है उन पर आजतक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वन विभाग के पास रिफर कर दिया गया है वे सोच रहे होंगे।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वहां थारू काश्तकारों की जमीन दूसरे लोग ले रहे हैं और इसकी वजह से कई थारू नैपाल की तराई में चले गये हैं, इसकी छानबीन करके उनको जमीन दिलायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुझे जो इत्तला दी गयी है उसके अनुसार किसी थारू की जमीन दूसरे को नहीं दी गयी ।

श्री मदन पांडेय—प्रदर्शनकारियों की ओर से जो मांगें रखी गयीं, क्या उनमें कोई मांग ऐसी है जिसको स्वीकार किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुछ मांगें ऐसी थीं कि जिनको विचार करने के लिये मुख्तलिफ विभागों को भेज दिया गया है और कुछ वैसी ही थीं ।

श्री प्रतापसिंह—कौन सी ऐसी मांग थी जिसको उनके विचार के लिये भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खटीमा सितारगंज सड़क की मांग को पी० डब्ल्यू० डी० को भेजा गया और १ से ३ तक की मांगों को वन विभाग को भेजा गया ।

गोरखपुर जिले की माल अदालतों के विचाराधीन मुकदमे

*५—श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले की माल की अदालतों में इस समय कितने मुकदमे विचाराधीन हैं, जिनमें कितने तीन वर्ष से अधिक की अवधि से चल रहे हैं ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—जिला गोरखपुर की माल की अदालतों में ८ मई, १९६१ को माल के ६,८३१ मुकदमे विचाराधीन थे, जिनमें से ९ मुकदमे ३ वर्ष से अधिक अवधि के थे। इन ९ मुकदमों में से अब तक ६ फैसले हो चुके हैं।

*६—श्री अमरनाथ—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले में १९६०-६१ में माल की अदालतों ने कुल कितने दुरुस्ती कागजात, दाखिल खारिज तथा इस्तकरार के मुकदमें निपटाये ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—उक्त जिले की माल की अदालतों ने सन् १९६०-६१ ई० में कुल २,४५९ दुरुस्ती कागजात ८,९५४ दाखिल खारिज तथा १,३९७ इस्तकरार के मुकदमे निपटाये ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इतनी बड़ी तादाद में मुकदमे पड़े हुये हैं जिनके पड़े रहने का कारण यह है कि जो निबटाने वाले लोग ह उनकी संख्या बहुत कम है, तो क्या निबटाने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय मित्र नम्बर ६ को देखें तो उनको मालूम होगा कि बहुत बड़ी तादाद निबटा दी गयी है ।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि उनको क्या यह ज्ञात है कि नियमानुसार इन मुकदमों को ४२ दिन के अन्दर निबटा देना चाहिये तो वे वजूहात क्या हैं जिनकी वजह से इन मुकदमों के निबटाने में इतनी देर होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कभी वकीलों का तैयार होकर न आना, कभी गवाहान का न आना और कभी अदालत का दौरे आदि पर चला जाना, उनकी डिटल में इस समय नहीं बता सकता ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनमें किस तहसील के सबसे ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप इम्तहान सा ले रहे हैं ।

श्री केशव पांडेय—क्योंकि गोरखपुर के मुकदमे सबसे ज्यादा हैं तो वहीं के पूछना चाहता हूं कि किस तहसील में सबसे ज्यादा हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये तो उनको सब हिसाब देखना होगा ।

श्री अमरनाथ—क्या यह सही है कि इन कारणों के अतिरिक्त एक कारण यह भी है कि इन अदालतों के पास इन मुकदमों के अलावा और प्रकार के भी मुकदमें रहते हैं जिनके कारण वे इनको समय पर नहीं निपटा पाते ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह भी कारण हो सकता है, काम तो बहुत बढ़ ही गया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ६ हजार मुकदमे जो विचाराधीन हैं उनमें से कितने मुकदमे एक साल ज्यादा से विचाराधीन हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी फिगर्स मेरे पास नहीं हैं, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

सचिवालय में हिन्दी का प्रयोग

*७—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय में पत्र-व्यवहार विभाग की रिपोर्टों और फाइलों पर टिप्पणी लिखने में तथा सरकारी फार्म और रजिस्टर आदि छपवाने में हिन्दी ही प्रयुक्त होती है ?

*८—यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—सचिवालय के फार्म, रजिस्टर, पर्चियां (slips) साइनबोर्ड इत्यादि, प्रायः सभी हिन्दी ही में हैं। विभागों की रिपोर्ट भी हिन्दी में, और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी बनती हैं । कुछ विभागों में सभी नोट आमतौर पर हिन्दी में ही लिखे जाते हैं। अन्य विभागों में अंग्रेजी, और कुछ हद तक हिन्दी चलती है । पत्र-व्यवहार अधिकतर अंग्रेजी ही में होता है । इस सम्बन्ध में स्थिति का विवरण एक अलग नोट में खुलासा तौर से कर दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७७३–७७४ पर)

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जो पत्र व्यवहार अधिकतर अंग्रेजी में ही होता है वह प्रदेश के अन्तर्गत ही होता है या बाहर से भी ? अगर प्रदेश के अन्तर्गत ही होता है तो हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—जैसा कि इस विवरण में दिया गया है, ये पत्र व्यवहार ज्यादातर तो ऐसे हैं जो भारत सरकार के साथ होते हैं और कुछ ऐसा हैं कि जो कोर्ट्स वगैरह से संबंधित हैं, जहां अंग्रेजी ही चलती है, वहां से अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार होता है। इस विवरण में सब साफ-साफ दिया गया है।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो उन्होंने यह जवाब दिया कि हिन्दी टाइपराइटर्स नहीं मिलते हैं; तो किस हिन्दी टाइपराइटर्स कम्पनी को सरकार ने आर्डर दिया जिसने उस आर्डर को पूरा नहीं किया, इसको वे कृपया बतलायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—मैंने इसमें लिखा है कि टाइपराइटर के सम्बन्ध में दो दिक्कतें हैं। एक तो यह कि हिन्दी के अधिक टाइपराइटर्स आज मिलते नहीं हैं, दूसरे यह कि हिन्दी लिपि और अंक में एकरूपता न होने की वजह से की बोर्ड भी अलग-अलग हैं। उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास हो रहा है और आशा है कि ये दिक्कतें शीघ्र दूर हो जायेंगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगले प्रश्न पुकारने पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, हिन्दी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस पर अनुपूरक प्रश्न करने के लिये दो तीन बार खड़ा भी हुआ था लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। इस सम्बन्ध में मुझे दो तीन अनुपूरक प्रश्न करने का अवसर दे दें तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस प्रश्न पर आधा घंटा का डिस्कशन मांग लें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज प्रश्न बहुत अधिक हैं; वे पूरे नहीं हो सकेंगे। मैं भी ऐसा मानता हूं कि यह महत्व का प्रश्न है। आप इसके लिये डिस्कशन मांग लें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—बहुत अच्छा।

मुरादाबाद में पीतल उद्योग सम्बन्धी मजदूरों की कथित बेकारी

*९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या केन्द्रीय सरकार के हाल के कर प्रस्तावों के फलस्वरूप मुरादाबाद में पीतल उद्योग के ३ हजार मजदूर बेकार हो गये हैं और ५० हजार बेकार हो जाने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है ?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—केन्द्रीय सरकार के हाल में लगाये गये एक्साइज कर के फलस्वरूप इस समय कोई श्रमिक पीतल उद्योग के अन्तर्गत बेकार नहीं है और न विशेष बेकारी की सम्भावना ही प्रतीत होती है।

*१०—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बेकारी की समस्या की रोकथाम हेतु वह क्या कदम उठाना चाहती है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—प्रश्न नहीं उठता है।

टेहरी जिले के महिला चिकित्सालय

*११—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि टेहरी जिले में कितने चिकित्सालय हैं? उनमें कितने महिला चिकित्सालय हैं और वे कहां-कहां हैं ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—४३ चिकित्सालय। उनमें से २ महिला चिकित्सालय हैं। एक टेहरी में और दूसरा नरेन्द्रनगर में।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो महिला चिकित्सालय हैं, उनमें महिला डाक्टर हैं या नहीं ?

श्री धर्मसिंह—एक में है और एक में नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—जिस एक चिकित्सालय में नहीं है, उसमें कितने साल से नहीं है ?

श्री धर्मसिंह—समय तो बतलाना कठिन है लेकिन उनकी पोस्टिंग कर दी गयी है । अब उन्होंने जाकर चार्ज लिया है या नहीं लिया है, इसकी इत्तला मेरे पास नहीं है । लेकिन नियुक्ति कर दी गयी है ।

धान कुटाई औद्योगिक सहकारी समितियों को सहायता

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५९–६० तथा १९६०–६१ में प्रदेश के किन–किन औद्योगिक सहकारी समितियों एवं संस्थाओं को धान कुटाई कार्य को बढ़ाने एवं स्थापित करने हेतु कितनी–कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—१९५९–६० तथा १९६०–६१ के सम्बन्ध में वांछित †सूचना क्रमशः नत्थी १ और २ में दी हुई है ।

*१३—श्री रामसुन्दर पांडेय (अनुपस्थित)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धान कुटाई उद्योग को चलाने वाली प्रदेश की किन-किन संस्थाओं तथा औद्योगिक सहकारी समितियों को उक्त दो वर्षों में अलग–अलग कितना–कितना रुपया शेयर कैपिटल लोन तथा धान स्टाक करने के लिये ऋण के रूप में दिया गया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१९५९–६० तथा १९६०–६१ के सम्बन्ध में वांछित सूचना क्रमशः नत्थी ३ और ४ में दी हुई है ।

महराजगंज तहसील में सीरदारी का अधिकार न पाने वाले काश्तकार

*१४—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में ग्रामवार २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले, नाबालिग, बेवा एवं अक्षम (invalid) जमींदारों की सीर जमीन के कुल कितने काश्तकार जमींदारी उन्मूलन के पहले थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसे काश्तकारों की कुल संख्या ९४ थी, जिनकी ग्रामवार सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७७५ पर)

*१५—श्री रामेश्वरप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन काश्तकारों में से कितने काश्तकार अब तक सीरदारी का अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तथा कितने शेष हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त ९४ काश्तकारों में से अब तक ३६ काश्तकार सीरदारी अधिकार प्राप्त कर चुके हैं और ५८ शेष बचे हैं ।

*१६—श्री रामेश्वरप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त शेष काश्तकारों को सीरदारी का हक अभी तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

---

†नत्थियां छापी नहीं गईं ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रतिकर अधिकारी की आज्ञा के फलस्वरूप शेष काश्तकार असामी दर्ज कर दिये गये थे।

महाराजगंज तहसील में वसूली अमीनों के विरुद्ध कार्यवाही

*१७—श्री अमरनाथ—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में कितने वसूली अमीन ऐसे हैं जिनके विरुद्ध बजट वर्ष १९५९–६० व १९६०-६१ में वसूली करके रसीद न देने और वसूल रुपये का गबन करने का लिखित आरोप जनता द्वारा लगाया गया है और वह कितने रुपये से संबंधित है ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—ऐसे अमीनों की संख्या चार थी। आरोप से संबंधित धनराशि १३९ रुपये की थी।

*१८—श्री अमरनाथ—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अमीनों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—उपर्युक्त अमीनों में से दो अमीनों को नौकरी से अलग किया गया। शेष अमीनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि जांच के बाद आरोप निराधार पाये गये।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इन आरोपों की जांच किसी अधिकारी ने की और जिनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुए उनके विरुद्ध मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मुकदमे बाज दफा एवीडेंस में कमी की वजह से छूट जाते हैं। डिपार्टमेन्टल ऐक्शन लेने में उतनी तादाद में एवीडेन्स की जरूरत नहीं होती जितनी मुकदमें में होती है, इसलिये उनको डिपार्टमेंन्टली सजा देना मुनासिब समझा गया।

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो जांच रिपोर्ट आई है वह क्या है और क्या उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई है, जिले में होगी।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस प्रश्न में दो चीजें हैं। एक तो यह कि लगान लेकर रसीद न देने की शिकायत और दूसरे रुपया गबन करने की शिकायत। तो मैं जानना चाहता हूं कि जिन किसानों से लगान ले लिया गया और रसीद नहीं दी गई उन किसानों का लगान सरकार ने मुजरा किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिनका साबित हो जायगा कि दिया और रसीद नहीं मिली उनका मुजरा हो जायगा और जिनका साबित नहीं होगा उनका मुजरा नहीं होगा।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन अमीनों पर यह आरोप सिद्ध हो गये थे उनको डिपार्टमेन्ट ने महराजगंज से निकालकर फिर बांसगांव में रख दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई सूचना हमें इस वक्त नहीं है।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन अमीनों ने कितना रुपया गबन किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जवाब में बता दिया गया है।

लखनऊ में टीन खरीदने के परमिटों का वितरण

*१९—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में १९६०–६१ में कितने लोगों को ५ हंडरवेट या इससे अधिक जी० शी० शीट (टीन) खरीदने के परमिट दिये गये हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—लखनऊ में १९६०–६१ में २५२ व्यक्तियों को ५ हंडरवेट या इससे अधिक जी० सी० शीट (टीन) खरीदने के परमिट दिये गये हैं।

मैनपुरी तहसील के पुराने लेखपाल

*२०—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की मैनपुरी तहसील में ऐसे लेखपाल कितने हैं जिनको एक ही सर्किल पर लगातार रहते हुये १५ साल से अधिक हो चुके हैं और ऐसे लेखपाल कितने हैं जिनको एक ही सर्किल पर लगातार रहते हुये २० साल से अधिक हो चुके हैं और ऐसे लेखपाल कितने हैं जिनको एक ही सर्किल पर लगातार रहते हुये २५ साल से अधिक हो चुके हैं ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—क्रमशः एक, शून्य तथा चार।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह ४ लेखपाल कौन से हैं जो एक ही सर्किल पर २८ साल से अधिक से रह रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२५ साल वालों के बारे में मैंने ४ बताये थे। वह ये हैं :

१—महेश्वरी सहाय, २—कनौजीलाल, ३—श्यामलाल, ४—गयाप्रसाद।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको २५ साल से अधिक हो गये हैं उनको वहां से हटाने का सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि एक पटवारी एक स्थान पर कितने दिन रह सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

फतेहपुर जिले में उद्योग विकास के लिए अनुदान

*२१—श्री वासुदेव दीक्षित (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में फतेहपुर जिले में उद्योगों के लिये कितनी धनराशि सरकार द्वारा स्वीकार की गई है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में फतेहपुर जिले में उद्योगों के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत २,४४,७४६ रुपये व्यय करने का आयोजन है।

श्री वासुदेव दीक्षित—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त धनराशि फतेहपुर जिले में किन-किन उद्योगों में और किन-किन स्थानों में व्यय की जायगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—फतेहपुर जिले में दो तरह की स्कीमें हैं। एक तो थर्ड प्लान के अन्तर्गत है जिसमें हैंड लूम डेवलपमेंट स्कीम, लोन्स ऐन्ड ग्रांट्स स्कीम और स्कीम फार असिस्टेन्ट डेवलपमेन्ट आफिसर्स (इंडस्ट्रीज) है और दूसरे नान प्लांड सकीम्स हैं जिनमें गुड़ डेवलपमेंट स्कीम, लेदर स्कूल एक्सटेंशन स्कीम और पाम जेगरी स्कीम हैं। इन पर रुपया व्यय किया जायगा।

विसौद पट्टी के भूमिहीनों को जमीन देने की प्रार्थना

*२२—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विसौद जिला अल्मोड़ा के कितने भूमिहीनों को १९६० में तराई-भाबर में बसाया गया और उनको कितनी भूमि प्रति परिवार दी गई ?

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल—पट्टी विसौद जिला अल्मोड़ा के किसी भूमिहीन को सन् १९६० में तराई-भाबर में नहीं बसाया गया और न जमीन दी गई।

श्री प्रतापसिंह—मन्त्री जी बतायेंगे कि जो पट्टी इतनी पिछड़ी हुई है वहां के भूमिहीनों को १९६० में जमीन न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१९५९ में बसा दिया था कुछ लोगों को इसलिये नहीं दी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मन्त्री जी बतायेंगे कि १९५९ में जिनको बसाया गया, पट्टी विसौद के मेरगांव और मोर पट्टी गांव वालों को, उनको ऐसी पथरीली जमीन दी गई जिसमें अच्छी तरह नाज भी बड़ी मेहनत करने पर नहीं पैदा होता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जैसी जमीन है वैसी दी गई। जरखेज हम कहां से लावें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—कुछ लोगों के तो भूमिहीन होने के प्रमाण-पत्र जिलाधीश, नैनीताल ने मान लिये लेकिन कुछ के नहीं माने और उनसे कह दिया कि नये प्रमाण-पत्र लाओ। यदि ऐसा है, तो क्या मन्त्री जी इस तरह के आदेश देने की कृपा करेंगे कि लोगों को इस तरह परेशान न करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी हमें कोई सूचना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—इस बात को देखते हुये कि वहां कुल मिलाकर ४० परिवारों को बसाया गया जिसमें से केवल २२ परिवारों के लायक ही जमीन दी गई, क्या मन्त्री जी कृपा करके जिला नैनीताल के प्रशासन को आदेश देंगे कि बाकी परिवारों को भी जमीन दी जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२१ परिवारों को हमने १०५ एकड़ जमीन दी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मन्त्री जी बतायेंगे कि भविष्य में इस पट्टी के लोगों को तराई-भाबर में बसाने की कोई योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—२१ परिवारों को आपने जमीन दी है, तो जो बाकी परिवार बचे, जिनको सरकार ने वहां बुलाया था और अब भी वहां बसे हुये हैं, उनको भी जमीन दिलाने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बुलाने की बात तो मैं जानता नहीं। अगर जमीन होगी और लोग चाहेंगे तो अवश्य दी जायगी।

कानपुर जिला बोर्ड को कोयला

*२३—श्री रामस्वरूप वर्मा—कानपुर जिला बोर्ड के लिये निर्धारित कोयले व सीमेंट के वार्षिक कोटे के बारे में ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला बोर्ड को १ मई, १९४८ से ३० जून, १९५२ तक, १ जनवरी, १९५९ से १ मई, १९५९ तक कोयला न दिये जाने का कारण क्या है तथा जुलाई, १९५२ से दिसम्बर, १९५८ तक जो ११७ वैगन कोयला जिला बोर्ड ने प्राप्त किया उसको जिन भट्टों को दिया गया उनसे बोर्ड ने कितने रुपये हजार में ईंट प्राप्त कीं और कुल कितनी ईंटें लीं तथा उन ईंटों के लिये टेंडर मांगे थे या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कानपुर जिला बोर्ड को १ मई, १९४८ से ३० जून, १९५२ तक तथा १ जनवरी, १९५९ से १ मई, १९५९ तक कोयला न दिये जाने का कारण यह है कि परिषद् ने कोयला की मांग नहीं की थी। जुलाई १, १९५२ से दिसम्बर, १९५८ तक जो ११७ वैगन कोयला जिला बोर्ड को प्राप्त हुआ उससे बोर्ड ने कन्ट्रोल रेट पर भट्ठे वालों से ईंटें प्राप्त कीं। ईंटों की संख्या का रिकार्ड बोर्ड के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश कार्य ठेके पर हुये थे। इन ठेकेदारों ने भट्ठे वालों से ईंटें लीं और उनको ईंटों का मूल्य दिया अतः टेंडर मांगने का प्रश्न नहीं उठता।

*२४—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या खाद्य मन्त्री उपर्युक्त प्रश्न के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त कोयले में से केवल ८ वगन कोयला जिले की अन्य तहसीलों में दिया गया और १०९ वैगन कोयला कानपुर तहसील में? यदि हां, तो इसका कारण क्या है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वास्तव में जिले की कानपुर तहसील को छोड़ कर अन्य तहसीलों को ८ वैगन के अतिरिक्त भी कोयला मिला परन्तु कुछ तहसीलें जैसे अकबरपुर, डेरापुर तथा घाटमपुर ऐसी थीं कि इनके भट्टे वालों के सदर कार्यालय कानपुर में थे इसलिये इनका कोयला कानपुर के अन्तर्गत दिखलाया गया। कानपुर तहसील को अधिक कोयला देने का कारण यह है कि कानपुर नगर के समीप होने के कारण इस तहसील में भट्टे की संख्या अधिक थी।

*२५—श्री रामस्वरूप वर्मा—९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ व ९ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १ मई, १९४८ से १ मई, १९५९ तक प्रतिवर्ष कितनी सीमेंट किस स्कूल, किस कांजी हाउस, किस अस्पताल, कहां की पुलिया और किस कार्यालय भवन के हेतु अलग-अलग कानपुर व पुखरायां तहसील में दी गई?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना† संलग्न है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब ईंटें कन्ट्रोल रेट पर ली गईं और नियम यह है कि जब कोई विभाग कोयला देता है किसी भट्टे वाले को तो ईंटें कम दाम पर मांगता है, उसके लिये टेंडर मांगता है। तो इस नियम का उल्लंघन क्यों किया गया, टेंडर क्यों नहीं मांगा गया?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ईंटें तो कन्ट्रोल रेट पर लीं उन्होंने, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—कन्ट्रोल रेट पर तो ईंटें सभी आदमियों को मिलती हैं जो कोयला नहीं भी देते हैं। तो जब बोर्ड को ११७ वैगन कोयला दिया गया, सस्ते दाम पर ईंटें मिलीं कि नहीं, और इस हेतु कि कौन सस्ते दाम पर ईंटें देगा, टेंडर क्यों नहीं मांगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हर एक महकमे को हम दे देते हैं और वह अपने कन्ट्रैक्टर से काम कराता है, कन्ट्रोल रेट पर ईंटें लेते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री जी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो गये हैं इसलिये कम्युनिस्ट बेंचेज से बोल रहे हैं, या क्या बात है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—माननीय झारखंडेराय जी मेरे विचार के हो रहे हैं इसलिये मैं यहां आया हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब ईंटों की तादाद और खपत हर तहसील में थी तो कानपुर तहसील में कोयला दे करके वहां के भट्ठों से क्यों कोयला लिया गया जबकि दूसरी तहसील में भट्ठे थे और वहां से ढुलाई में कम दाम भी पड़ते?

---

† छापी नहीं गई।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं बता चुका हूं कि १० वैगन से अधिक नहीं मिलता है। चूंकि उनके वहां हेडक्वार्टर्स हैं इसलिये वहीं पर दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—कानपुर तहसील में जो १०९ वैगन कोयला दिया गया वहां पर जंगबहादुरसिंह हिमांचलसिंह नाम का भट्ठा है। श्री जंगबहादुरसिंह वहां की जिला परिषद् के चेयरमैन हैं और भूतपूर्व चेयरमैन भी थे। तो क्या १०९ वैगन दिये जाने का एक कारण यह भी था कि उस फर्म के हिस्सेदार जिला परिषद् के चेयरमैन हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह तो आपके नाम भी हो सकता है एम० एल० ए० होते हुये भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि जब जिला बोर्ड को कोयला दिया गया और उसके बाद भी जिला बोर्ड ने सामान्य भाव पर ईंटा खरीदा जिसके कारण इमारतों के दाम बढ़ गये। क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि ईंटा कन्ट्रोल रेट पर मिलने के कारण कोयले का कोई लाभ नहीं मिला, तो ऐसा क्यों हुआ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सामान्य भाव से आपका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न यह पूछ रहे हैं कि जिनको आप कोयले का वैगन देते हैं उनसे क्या आप यह उम्मीद करते हैं कि वे कन्ट्रोल रेट से भी सस्ते दाम पर ईंटे उस कोयले को देकर पकवा लें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नहीं, हमारा जो रेट मुकर्रर है हम तो उस पर चाहते हैं दें। जहां तक उससे सस्ते दाम पर क्यों नहीं लिया तो यह वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर का काम है कि वह वहां पूछें कि उन्होंने क्यों खिलाफ काम किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करें कि जब कोयला किसी विभाग को दिया जाता है तो वह विभाग टेंडर मांगता है कि तुम कोयला लेते हो..

श्री अध्यक्ष—लेकिन उसका जवाब तो खाद्य मन्त्री नहीं देंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, अगर कोयला किसी विभाग को दिया जाता है तो वह इसीलिये दिया जाता है कि जो कन्ट्रोल रेट यानी सामान्य भाव है उससे सस्ते दामों पर कोयला देकर उस विभाग को ईंट मिलें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हम तो इसी बात से सम्बन्धित हैं कि कन्ट्रोल रेट से मिले, बाकी से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—श्रीमन्, जब इस प्रकार कोयला दिया जाता तो शर्त उसमें यह होती है कि वह कोयला जिस काम के लिये दिया जाता है उसी काम के लिये ईंटें पकायी जायेंगी। और यदि यह बात सही है, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मामले में जो कोयले का परमिट लिया गया और उसके द्वारा जो ईंटें दी गईं, वे अन्तरिम जिला परिषद् की इमारतों के काम में आईं या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—उन्होंने यह रिपोर्ट भेजी है कि काम में आई हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि कानपुर जिले में जिन भट्ठों को १०९ वैगन कोयला दिया गया, उसमें हिमांचलसिंह जंगबहादुरसिंह फर्म का भी भट्ठा है, जिसमें श्री जंगबहादुरसिंह वही हैं जो अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं और पहले भी उपाध्यक्ष रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--यह तो जिला बोर्ड ने प्राप्त किये हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--जी हां । लेकिन कानपुर के जिन भट्ठों को १०९ वैगन्स कोयला दिया गया.....

श्री अध्यक्ष--यह आप कहां से पढ़ रहे हैं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी--पिछले प्रश्नों के उत्तर में जो जवाब थे, उनमें से पूछ रहा हूं क्योंकि यह उसी से सम्बन्धित है ।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । खाद्य मंत्री पहले जवाब तो दे चुके हैं । अब जिस प्रश्न का जवाब माननीय सदस्य चाहते हैं, वह प्रश्न तो वहां के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के समक्ष उठाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष--इसीलिये तो मैंने पूछा था ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनका यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब खाद्य मंत्री जी से पूछते हैं तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वैगन्स दिये गये थे और उसमें क्या शर्त थी । अगर कुछ शर्तें नहीं हैं और जिस काम के लिये कोयला दिया गया उसमें खर्च नहीं किया गया हो, तब तो सवाल हो सकता है, लेकिन जो मामला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से सम्बन्धित है, खाद्य मंत्री जी उसका जवाब नहीं देंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--इसके उत्तर तो पहले ही मिल चुके हैं ।

श्री देवनारायण भारतीय---श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय दत्ता साहब ने इस तरह से व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया, क्या उनको यह अधिकार है, जब कि केवल आप को ही इस तरह की व्यवस्था देने का अधिकार है ?

श्री अध्यक्ष--मैं व्यवस्था कर रहा हूं, दत्ता साहब ने इस ओर ध्यान दिलाया कि इस तरह का प्रश्न नहीं हो सकता है ।

बाराबंकी जिले में गोमती व कल्यानी से क्षतिग्रस्त गांवों की सहायता

*२६--**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बाराबंकी में गत वर्ष में गोमती व कल्यानी नदी में सैलाब आने के फलस्वरूप कुछ गांव तथा मकान गिर गये हैं ? यदि हां, तो उनमें से कौन से ग्राम नये स्थान पर फिर से सरकार की ओर से बसाये गये और उन्हें क्या सहायता दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां । पुनः बसाये गये गांवों के नाम तथा इनमें दी गयी सहायता का विवरण संलग्न तालिका में दे दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७७६--७७७पर)

फैजाबाद जिले में पावर लूम लगाने की जानकारी

*२७--**श्री सुखरामदास** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद में १९६१ में कुल कितने पावर लूम सरकार की तरफ से एलाट हुये हैं ? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उक्त प्रत्येक पावर लूम कितनी लागत से लगेगा और ये पावर लूम किन-किन स्थानों पर लगेंगे तथा ये किसके चार्ज में होंगे ?

नोटः---तारांकित प्रश्न २५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--एक भी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रास ऐण्ड कापर मर्चेन्ट एसोसियेशन, फर्रुखाबाद का कथित पत्र

*२८--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद शहर से तांबे, पीतल के बर्तनों के उद्योग के सम्बन्ध में ब्रास ऐण्ड कापर मर्चेन्ट एसोसियेशन का कोई प्रार्थना-पत्र उद्योग डाइरेक्टर, कानपुर को अप्रैल, १९६० से मार्च, १९६१ के बीच में मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं ।

*२९--श्री बेचनराम गुप्त (जिला वाराणसी)--[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया ।]

आगरा मे फैब्रीकेटर

*३०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा शहर में कितने फैब्रीकेटर हैं, किस-किस दर्जे के हैं, उनका सालाना कोटा कितना-कितना है तथा उन्हें १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९६१ तक कितना-कितना कोटा किस काम के लिये मिला है?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--आगरा शहर के फैब्रीकेटरों की एक सूची† संलग्न है जिसमें इन फैब्रीकेटरों के दर्जे, इनका सालाना कोटा और इनको १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, सन् १९६१ तक दिये गये कोटे के आंकड़े दिखलाये गये हैं । लोहा तथा इस्पात का कोटा इन फैब्रीकेटरों को बक्से, बाल्टियां, भगौना, अलमारियां तथा कृषि यंत्र इत्यादि बनने के लिये दिया गया था ।

*३१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा इंडस्ट्रियल इस्टेट में लोहे व इस्पात के कितने रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट हैं? उनको कितना-कितना कोटा मिला है और उक्त समय में परमिट से किस-किस को तथा बिना परमिट के किन-किन को मिला है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--आगरा इंडस्ट्रियल इस्टेट में लोहा तथा इस्पात का कोई रजिस्टर्ड स्टाकिस्ट नहीं है अतः इनको लोहा तथा इस्पात का कोटा देने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इस सम्बन्ध में यह बताना उचित होगा कि आगरा इंडस्ट्रियल इस्टेट में सर्वश्री यू० पी० स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० ने अपना एक विक्रय कार्यालय जुलाई, १९६० से खोल रक्खा है ।

मौधा गांव के भू-लेखों में गलतियां

*३२--श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)--क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि फर्रुखाबाद जिले की फर्रुखाबाद तहसील के मौधा गाव में भू-लेखों की अनियमितताओं, भूलों तथा असत्य लेखन के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रदेशीय सरकार को २० जून, १९५९ को तथा जिले के कलेक्टर को ३१ मार्च, १९६१ को दिया गया था? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

---

† सूची छापी नहीं गई ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---केवल ३१ मार्च, सन् १९६१ का उल्लिखित शिकायती-पत्र जिलाधीश को मिला था। तहसीलदार ने मौके पर जांच की और खतौनी में कुछ गलतियां पाई गईं जिनकी दुरुस्ती के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

नियोजन विभाग में लिपिक

*३३---**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के नियोजन विभाग में जिला स्तर पर इस समय कुल कितने लिपिक हैं और नियोजन विभाग के प्रारम्भकाल से अब तक कितने लिपिक स्थायी किये जा चुके हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---१७२८ लिपिक हैं और उनमें से ७८७ लिपिक स्थायी किये जा चुके हैं।

उद्योग विभाग, आजमगढ़ द्वारा धन का वितरण

*३४---**श्री मुक्तिनाथराय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० व १९६०-६१ में कितना-कितना रुपया उद्योग विभाग, आजमगढ़ द्वारा किन-किन उद्योगों के लिये लोगों को दिया गया ? उनमें से कितने लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया और कार्य की प्रगति क्या है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

कागज बनाने की योजना

*३५---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का काम किन-किन स्थानों पर चल रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न सूची 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ. ७७८-७७९पर)

*३६---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कागज तैयार करने के उद्योग की उन्नति के लिये कौन सी योजना बनाई गई है और क्या उसके अन्तर्गत कुछ नये कारखाने खोलने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---वांछित सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ७७८-७७९ पर)

इलाहाबाद के लिए विकास कार्य योजना

*३७---**श्री कैलाशनारायण गुप्त** (जिला इलाहाबाद)---विधान सभा के वर्तमान सत्र के (३०-३-६१) को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इलाहाबाद शहरी क्षेत्र में जिन विकास योजनाओं पर कार्य हुआ है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इलाहाबाद नगर में किये गये प्रमुख विकास कार्यों की † सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

---

† सूची छापी नहीं गयी।

*३८---श्री कैलाश नारायण गुप्त---विधान सभा के वर्तमान सत्र के ७वें गुरुवार के अन्तर्गत पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४८ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के ग्रामों में तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो विकास कार्य होने हैं उनकी सूची क्या है और क्या यह विकास कार्य जिला नियोजन समिति द्वारा अथवा महापालिका द्वारा सम्पन्न कराये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---तृतीय पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद शहरी क्षेत्र के ग्रामों के लिये कोई अलग से योजनायें नहीं बनाई गई हैं । योजना में ऐसे कार्य-क्रम अवश्य सम्मिलित हैं जिनसे शहरों के साथ-साथ गांवों को भी लाभ होगा । जिला स्तर पर अंतरिम जिला परिषद् के सहयोग से जो योजनायें बनाई गई हैं वे अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये हैं । इसके साथ ही साथ राजकीय विभागों द्वारा जो योजनायें कार्यान्वित होंगी उनसे नगरों और ग्रामों दोनों को लाभ होगा । कुछ कार्यों के लिये महापालिकाओं को भी सहायता दी जाती है ।

उद्योग समिति, एटा द्वारा धन का वितरण

*३९---श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा)---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा में उद्योग समिति द्वारा १९५८-५९, १९५९-६० व १९६०-६१ तक गत तीन वर्षों में किन-किन उद्योगों को कितना-कितना अनुदान तथा ऋण दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७८०-७८१ पर)

गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट, लखनऊ के लिए मशीनों का क्रय

*४०---श्री अब्दुल रऊफ़ लारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, लखनऊ में १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक किन-किन फर्मों से कितने-कितने रुपये की Machinery and equipment खरीदे गये और उनका भुगतान कब और कैसे किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सम्बन्धित† सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

हरिद्वार नगरपालिका के मुकदमों को रुड़की भेजना

*४१---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिद्वार नगर-पालिका के मुकदमे अब किस आधार पर रुड़की की अदालतों में भेजे जाते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सहारनपुर जिले में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों के पृथक्करण की योजना चालू है जिसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा चालान किये गये आई० पी० सी० के मुकदमे केवल जुडीशियल आफिसर द्वारा ही किये जाते हैं । हरिद्वार में जुडीशियल आफिसर की कोई अदालत नहीं है अतः उक्त मुकदमे रुड़की की अदालत में भेजे जाते हैं । शेष सभी मुकदमे हरिद्वार में देखे जाते हैं ।

शाहजहांपुर जिले में आबपाशी कुंओं के लिए तकावी

*४२---श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर में अलग-अलग तहसीलों के वास्ते १९६०-६१ में आबपाशी के कुएं बनाने के लिये तकावी के रूप में कितना-कितना रुपया सरकार की ओर से दिया गया ?

---

† छापी नहीं गयी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--कुएं बनाने के लिये निम्नांकित धन तकावी के रूप में तहसीलवार दिया गया --

	रु०
१--सदर	५१,०००
२--तिलहर	९५,३४०
३--जलालाबाद	१,२६,१५०
४--पुवांया	१,२७,०७१
योग ..	३,९९,५६१

*४३--**श्री रूर्मसिंह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अलग-अलग तहसीलों से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र काश्तकारों ने तकावी के वास्ते दिये थे और कितने-कितने को उनमें से तकावी दी गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--जी नहीं । आबपासी के लिये स्वीकृत ६ लाख में से केवल ५८,४६४ रु० व्यपगत हो गया क्योंकि प्रार्थना-पत्र समय पर न प्राप्त हुए और कुछ प्रार्थना-पत्रों पर समय के अन्दर पूरी कार्यवाही न हो सकी ।

*४४--**श्री रूर्मसिंह**--क्या यह सही है कि १९६०-६१ में सरकार की ओर से आबपासी के लिये तकावी देने का बहुत-सा रुपया व्यपगत हो गया ? यदि हां, तो यह रुपया तकावी में क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--वांछित सूचना निम्न प्रकार है--

	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	प्रार्थना पत्रों की संख्या जिन पर तकावी दी गई
१--सदर	७१	३२
२--तिलहर	९७	६८
३--जलालाबाद	१४९	१२८
४--पुवांया	११०	१०२

*४५--**श्री प्रतापसिंह**--[२४ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया]

पीलीभीत जिले में क्लोरोडीन से गन्ने को कथित क्षति

*४६--**श्री प्रतापसिंह**--क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत में क्लोरोडीन नामक दवा से समस्त गन्ने की खेती में दीमक लग गई है जिससे समस्त गन्ने की फसल खराब हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं । अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४७--४८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[२४ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

रामपुर-मथुरा ग्राम सभा द्वारा 'फुटकर बाजार' का ठेका न नीलाम होना

*४९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--विधान सभा के २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के प्रश्नोत्तर के क्रम में क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब ग्राम समाज ने

उक्त बाजार का भविष्य में लगाना अपने प्रस्ताव दिनांक २ फरवरी, १९६० ई० द्वारा बिलकुल बन्द करा दिया था। तो वित्तीय वर्ष १९५९-६० फुटकर बाजार का ठेका १ अप्रैल, १९५९ को नीलाम न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---१९५८-५९ में फुटकर बाजार का जो ठेका नीलाम द्वारा दिया गया था, उसकी अवधि अक्तूबर, सन् १९५८ से सितम्बर, सन १९५९ तक की थी। अतएव उक्त बाजार का ठेका १ अप्रैल, सन् १९५९ को दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ जिले में स्लैक कोल की प्राप्ति

*५०---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में स्लैक कोल (जो भट्ठों के काम आता है) के गत १९५९ तथा १९६० के जुलाई, अगस्त में कितने वगन प्राप्त हो सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सूचना निम्नलिखित है :

वर्ष		जुलाई वैगन	अगस्त वैगन
१९५९	..	१८४	२८६
१९६०	..	३१	३९

इलाहाबाद में खुलने वाले मेडिकल कालेज के लिए नियुक्तियों में कथित अनियमिततायें

*५१---श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या मुख्य मंत्री को इलाहाबाद में नये खुलने वाले मेडिकल कालेज की नियुक्तियों में हुई अनियमितता के बारे में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र संख्या एल० एक्स० ७/१३८/६१, दिनांक २३ मई, १९६१ का मिला था ? क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे आरोप कितने सत्य हैं और उन पर क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी, हां।

आरोप निराधार हैं अतएव उन पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

*५२-५३---श्री झारखंडेराय---[हटा दिये गये।]

*५४-५५---श्री मदन पांडेय---[२४ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६---श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---[२४ अगस्त, १९६१ के लिये प्रश्न ३६ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया।]

राजकीय वस्त्र सिलाई शिक्षालय, अजीतमल

*५७---श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय वस्त्र सिलाई शिक्षालय, अजीतमल, जिला इटावा के अन्तर्गत १६ दिसम्बर, १९६१ को पांच विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---राजकीय वस्त्र सिलाई शिक्षालय अजीतमल (इटावा) के अन्तर्गत १६ दिसम्बर, १९५९ को किसी भी विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी थी।

*५८---श्री भजनलाल---यदि हां, तो उन विद्यार्थियों के नाम क्या हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---प्रश्न नहीं उठता।

*५९—श्री भजनलाल—क्या उन परीक्षार्थियों को सर्टीफिकेट प्रदान कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जिले में पुराने गजटेड अधिकारी

*६०—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले मे ऐसे कौन से गजटेड अधिकारी हैं जिनको तीन वर्ष वहां हो जाने के बावजूद भी तबदील नहीं किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न सूची में है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७८२ पर)

लखनऊ की रौशनुद्दौला कचहरी में विटनेस शेड की आवश्यकता

*६१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ की रौशनुद्दौला कचहरी में वकीलों तथा लिटीगेंट्स के गर्मियों में धूप व लू तथा बरसात में बारिश से बचने के लिये बैठने का क्या प्रबन्ध है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—लखनऊ की कलेक्टरी की पुरानी इमारत के पास वकीलों के लिये २ कमरे और उसके सामने बरामदा बना हुआ है । धूप व लू तथा बारिश से बचने के लिये मुकद्दमे वाले लोग पुरानी इमारत की बरसाती तथा बरामदों का इस्तेमाल करते हैं । नई इमारत के बाकी हिस्से के बनने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और जब पूरी इमारत बन जायेगी तो उसमें विटनेस-शेड अर्थात् गवाहों और मुकद्दमे वालों के लिये घर बनाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

*६२—श्री रामसुन्दर पांडेय—[२३ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

आजमगढ़ जिले के खाद्य एवं रसद विभाग के कर्मचारी

*६३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या खाद्य मंत्री दिनांक १८ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ और ६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन चार कर्मचारी हैं तथा उन्हें अन्य किन-किन विभागों में भेजा गया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कर्मचारियों के नाम तथा जिन अन्य विभागों में वे भेजे गये थे, निम्नलिखित हैं :

नाम कर्मचारी	विभागों का नाम
१—श्री सी० बी० सिंह	नियोजन विभाग
२—श्री कुबेर नाथ	राजस्व विभाग
३—श्री सरवन जंग	राजस्व विभाग
४—श्री रमेश चन्द्र	राजस्व विभाग।

मुरादाबादी बरतनों में प्रयुक्त धातुओं पर करों को कम करने की प्रार्थना

*६४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार मुरादाबाद के बर्तन उद्योग में प्रयुक्त होने वाली धातुओं पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई करों में वृद्धि के बारे में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस बारे में भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जा चुका है ।

हरदोई जिले में कोयले का वितरण

*६५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई में सन् १९६० में हार्ड और साफ्ट कोयले के कितने-कितने वैगन्स कितने कोयले के लाइसेन्स-होल्डरों तथा अन्य लोगों को दिये गये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सन् १९६० में कोल डिपो होल्डरों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को साफ्ट हार्ड कोक के वैगन्स नहीं दिये गये थे । दिये गये वैगनों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७८३ पर ।)

*६६—कुंवर श्रीपालसिंह—[८ अगस्त, १९६१ के प्रश्न २० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

पिंडरा ब्लाक में ग्राम लक्ष्मियों का भत्ता

*६७—श्रीऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के सभी विकास क्षेत्रों में जो ग्राम लक्ष्मियों की नियुक्ति इस वर्ष की गई उनके लिये क्या सरकार ने आनरेरियम (भत्ता) भेज दिया है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, भत्ते की स्वीकृति दे दी गई है ।

*६८—श्री ऊदल—क्या सरकार बतायेगी कि पिंडरा ब्लाक, वाराणसी में अप्रैल सन् १९६१ से जो १० ग्रामलक्ष्मियों की नियुक्ति की गई है उनके भत्ते के लिये सरकार ने पिंडरा ब्लाक को कितना रुपया भेजा है या भेजने का विचार कर रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इन १० ग्रामलक्ष्मियों के लिये २० रु० प्रति ग्राम लक्ष्मी प्रतिमास के भत्ते की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में दे दी गई है । कुल २४०० रु० पिंडरा ब्लाक को दिया गया है ।

गाजियाबाद तहसील में साहिबाबाद से हवाई अड्डे तक रेलवे लाइन के लिए अर्जित भूमि का मुआवजा न मिलना

*६९—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ में साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से (proposed) हवाई अड्डे के लिये निकलने वाली रेलवे लाइन के लिये जो जमीन १९५० में land Acquisition officer, U. P. द्वारा acquire की गई थी उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है और न इस बात की व्यवस्था की गई है कि उसका लगान किसानों को न देना पड़े ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां । कई कारणों से अर्जित भूमि (Acquired land) का मुआवजा अभी तक नहीं दिया जा सका है । मुआवजा शीघ्र अदा किया जाए इसके लिये जिलाधीश, मेरठ और मिलिटरी अधिकारी प्रबंध कर रहे हैं । आशा है कि मुआवजा देने में अब और देर न होगी । इस बात की भी व्यवस्था की जा रही है कि भूस्वामियों को अर्जित भूमि का लगान अब न देना पड़े तथा भूमि अर्जन की तिथि से अब तक वसूल की हुई राशि या तो वे वापस ले लें अथवा अपने दूसरे खातों में व्यवस्थापन (Transfer) करा लें ।

कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में शिकायत

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, एक समाचार-पत्र के विषय में जैसा आपने कल कहा था, वह नहीं है, उसमें शब्दों की गल्ती थी। नेशनल हेरल्ड में छप गया है।

"The Speaker however felt that the wordings in the question were not proper."

श्री अध्यक्ष—मैंने यह नहीं कहा था।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलत रिपोर्टिंग है।

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कहा था कि प्रश्न इन आर्डर है, लेकिन बाद में जो पूरक प्रश्न पूछे गये वे सही नहीं थे। मैंने यही उद्देश्य प्रश्न का समझा था कि यदि पैम्फलेट में जो बातें छपी हैं वे गलत हों तो सरकार संबंधित व्यक्ति पर क्यों कोई कार्यवाही नहीं करती। आप यही जानना चाहते थे। मैंने गलत बात नहीं कही थी।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १३ मार्च, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १ अगस्त, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ७ अगस्त, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का १८ वां अधिनियम बन गया।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ के अनुसार जितने भी बाढ़ के संबंध में प्रश्न आयेंगे, उनके लिये मैंने यह तय किया था कि उनके लिये एक तारीख मुकर्रर कर दी जायेगी और उस दिन माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य दे देंगे। उसके लिये मैंने २१ तारीख मुकर्रर की है। इस बीच में जितने भी प्रश्न बाढ़ के संबंध में आयेंगे वह सब माननीय मंत्री जी के पास भेज दिये जायेंगे और वे २१ तारीख को, जो हर जिले के बारे में प्रश्न उठया गया है, उस संबंध में वक्तव्य दे देंगे।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैंने जो अल्पसूचित प्रश्न दिये हैं, उनको भी इसी में शामिल कर दिया जाये तो आसानी होगी।

श्री अध्यक्ष—जब वक्तव्य देंगे तो फिर प्रश्न की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बाढ़ के बारे में बतला दिया है। अब नियम ५२ के अन्तर्गत जो प्रश्न हैं, उनको लिया जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल ने लखीमपुर के बारे में भेजा है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है और वह इस प्रकार से है—

"लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत ४ और ५ अगस्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने लखीमपुर स्टेशन से मुहल्ला भुईफोरनानाथ तक निघासन रोड के दोनों ओर ६०–७० दुकानें, जो बीसों वर्षों से लगी हुई थीं नगरपालिका की इजाजत से और उसको माहवार टैक्स भी देते थे, उनको उखाड़ कर जाने कहां फेंक दिया है। उन दुकानों में जो सामान था उसे भी नष्ट कर दिया है और लूट लिया। जिससे सैकड़ों गरीब

बेघरबार बेरोजगार हो गये । इस वर्षा काल में उनका परिवार भूखों मरने के लिये बाध्य हो गया। इससे सारे शहर में घोर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा अत्याचार इस नगर में कभी नहीं हुआ ।"

इसके लिये २३ तारीख रखी गयी है, क्योंकि २२ तारीख तक तो तय हो चुका है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—राप्ती, गंडक आदि जो नदियां हैं, उनमें श्रीमन, बाढ़ आ गयी है, वहां पर भी कुछ व्यवस्था हो जाय । पश्चिमी जिलों में भी काफी बाढ़ आ गयी है । बाढ़ पर विवाद के लिये एक दिन तय कर लिया जाय तो अधिक अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—अभी उसके लिये कोई दिन निश्चय नहीं कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी, वैसा किया जायेगा ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा यह कहना है कि २१ तारीख तक माननीय मंत्री जी को काफी टाइम मिल गया है, इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी उस सारी सूचना को जमा करके छपवा लें और हम लोगों के पास पहले से भेज दें तो अधिक अच्छा होगा ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं करता हूं, ताकि वादा शिकनी न हो जाय । घर पर भेजने की बात तो मुश्किल है ।

श्री अध्यक्ष—घर पर हम भेज देंगे । १५, १६ तारीख तक यदि यह छप कर आ जाये तो माननीय सदस्यों के घर भेजा जा सकता है । मगर २० को आयेगा तो कैसे जा सकता है, क्योंकि २१ को तो हाउस में आयेगा ।

श्री उग्रसेन—२० को दिया गया तो २१ को मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष—२१ को यहां पर ही मिलेगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—हमारे यहां पिथौरागढ़ में भी वर्षा के कारण काफी मकान गिर गये हैं, उसको भी इसमें ले लिया जाय ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि आप हमारे अधिकारों की सुरक्षा करें । अगर हम किसी विषय पर विवाद चाहते हैं, तो हमारा मकसद यह होता है कि उस संबंध में सारी सूचना हमको बतलायी जाय । जनता जो चाहती है, वह सदन के द्वारा प्रस्तुत की जाय । जैसे बाढ़ है । इस संबंध में पहले कई बार इस सदन में विवाद हो चुका है । माननीय मंत्री जी जो वक्तव्य देंगे वह सही भी होगा और आरोपित सत्य भी होगा ।

श्री अध्यक्ष—आपने अप्रासंगिक बात की है । नियम ५२ के अन्तर्गत जितने भी प्रश्न होंगे वे सब इसमें आ जायेंगे ।

श्री राजनारायण—इसके लिये एक दिन तय हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—पहले आप देख लें । नियम ५२ के अनुसार बाढ़ के संबंध में जितने भी प्रश्न होंगे, उनको मैं स्वीकार कर लूंगा और उसके लिये दिन तय कर ही दिया है । जितने जिलों के बारे में यह प्रश्न आयेंगे उनको ले लिया जायगा । क्योंकि उसके बारे में उनको वक्तव्य देना जरूरी है, जानकारी आपको हासिल हो और जानकारी हासिल होने के बाद अगर आप समझते हैं कि आपको विवाद करना जरूरी है तो आप मांग कीजिये । तो यह मैं कह रहा था कि नियम ५२ के सिलसिले में विवाद की मांग करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप मुझे लिखकर भेज दें ।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था कि सरकार के विरोध में यहां की नगर महापालिका ने एक कमेटी बना दी है कि सरकार रोज-रोज उसके कामों में हस्तक्षेप करती है।

श्री अध्यक्ष—वह मैंने अस्वीकार किया है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—श्रीमन्, यह तो....

श्री अध्यक्ष—आप मेरे कमरे में बात करें।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा कैन्टूनमेंट रोड स्थित एक मकान गिराये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय त्रिलोकी सिंह वाला प्रश्न मैं लेता हूं। सदस्यगण शायद भूल गये होंगे, याददाश्त के लिये मैं उसे फिर पढ़े देता हूं—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न अर्थात् लखनऊ नगर महापालिका द्वारा २९ जुलाई, १९६१ को पुलिस की मदद इस हेतु मांगा जाना कि इमारत नं० ११, कैन्टूनमेंट रोड, लखनऊ के गिरहर हिस्से को जब मकान मालिक गिराये तब पुलिस उसकी मदद इस हेतु करे कि वहां शान्ति भंग न हो और सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पुलिस की मदद देना तथा पुलिस की मौजूदगी में ३० जुलाई, १९६१ को १२–१ बजे के करीब ११ कैन्टूनमेंट रोड के मकान के उन भागों को गिराना जो गिरहर नहीं थे और जिनके बारे में नगर महापालिका ने कोई सूचना मालिक मकान तथा किरायेदारों को नहीं दी, गिरवा देने की ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा करने की वह आज्ञा प्रदान करेंगे।

इस सम्बन्ध में इतना और निवेदन है कि जिस समय उस मकान को गिराना शुरू किया गया, जो उसमें रहते थे उनको निकाला नहीं गया था। चार स्थानों पर लगातार मकान को गिराने का प्रयत्न किया गया जब कि उसके अन्दर जो रहते थे वह मौजूद थे।"

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो जिलाधीश लखनऊ से सूचना प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है—"११ नम्बर, कैन्टूनमेंट रोड, लखनऊ पर एक मकान है जिसकी मालिक श्रीमती राधिका देवी हैं जो राजा बाजार, लखनऊ में रहती हैं। इस मकान में कई किरायेदार रहते हैं। मकान मालिक ने एक प्रार्थना-पत्र नगर महापालिका, लखनऊ को जुलाई, १९६१ के शुरू में दिया कि उनका कैन्टूनमेंट रोड के मकान का कुछ हिस्सा गिर चुका है और कुछ हिस्सा खतरनाक हालत में है, लिहाजा इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाय। नगर महापालिका की ओर से इस मकान का निरीक्षण किया गया और मकान मालिक को नोटिस दिया गया कि सात दिन के अन्दर खतरनाक हिस्से को गिरा दें। इस नोटिस की प्रतिलिपि किरायेदारों को भी भेजी गई। पुनः निरीक्षण करने पर महापालिका के ओवरसियर ने बाउंडरी वाल के कुछ हिस्से को भी खतरनाक हालत में पाया और मकान मालिक को भी नोटिस दिया। मकान मालिक ने स्वयं इस बात की चेष्टा की कि वह खतरनाक हिस्से को गिरा दे परन्तु वह इसमें कामयाब न हो सके और उन्होंने महापालिका को सूचित किया कि नगर महापालिका द्वारा ही खतरनाक हिस्से को गिरवा दिया जाय। नगर प्रमुख, लखनऊ ने स्वयं इस स्थान का निरीक्षण किया और उसके बाद सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ से प्रार्थना की गई कि वह मकान मालिक को आवश्यक पुलिस सहायता दे दें क्योंकि वहां पर शान्ति भंग होने का अंदेशा है। सिटी मैजिस्ट्रेट ने डी० एस० पी० सिटी को लिखा कि वह पुलिस इस बात के लिये तैनात कर दें कि मौके पर खतरनाक हिस्सा गिराते समय कोई झगड़ा न हो।

३०-७-६१ को मौके पर पुलिस गई। श्री त्रिलोकीसिंह जी भी वहां आ गये। उन्होंने पुलिस से कहा कि गिरवाये जाने वाले हिस्से की तफसील दें। पुलिस ने नगर महापालिका के अभियन्ता को टेलीफोन किया और उन्होंने अगले दिन ओवरसियर को इस काम के लिये भेजने का आश्वासन दिया। ३१-७-६१ को मौके पर महापालिका के ओवरसियर आये, परन्तु उन्होंने कोई तफसील नहीं दी। श्री त्रिलोकीसिंह भी इस समय मौजूद थे। एस० ओ०, कैसरबाग भी घटनास्थल पर पहुंच गये थे और उन्होंने यह देख कर कि स्थिति संतोषजनक नहीं है नगर महापालिका के अभियन्ता को टेलीफोन किया। उन्होंने आदेश दिया कि खतरनाक भाग को गिरवाने से रोक दिया जाय और पुलिस को हटा दिया जाय।

जहां तक मकान के खतरनाक भाग को गिराने का प्रश्न है, पुलिस का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है और पुलिस मौके पर केवल इसलिये भेजी गई थी कि शान्ति भंग न होने पाये। पुलिस ने न मकान गिरवाया और न मकान गिरवाने के काम में कोई हिस्सा लिया।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मान्यवर, मेरे इस ध्यानाकृष्ट करने वाले निवेदन के उस हिस्से की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है जिसमें लिखा हुआ है कि जो गिरहर (Dangerous) पोर्शन्स नहीं थे उनको भी पुलिस की मौजूदगी में गिरवा दिया गया। मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री जी को स्थानीय अधिकारियों से क्या सूचना प्राप्त हुई है, क्योंकि मने लिखा है कि मकान की छत में छेद कर दिया गया, जो खम्भे गिरा दिये और दीवाल गिरा दी.....

श्री अध्यक्ष—आपने तो कोई डिटेल नहीं दी थी। जो गिरहर हिस्से थे उनको भी गिरवा दिया, ऐसा आपने लिखा है।

श्री त्रिलोकीसिंह—श्रीमन्, जो गिरहर नहीं थे, जिनके बारे में महापालिका ने कोई सूचना मालिक मकान तथा किरायेदारों को गिरवाने की नहीं दी थी, वे भी गिराये गये।

श्री अध्यक्ष—जो गिरहर नहीं थे, उनको भी गिरवा दिया?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो सूचना मेरे पास आई है उससे स्पष्ट होता है कि जो हिस्सा खतरनाक हालत में था उसके साथ कुछ ऐसा हिस्सा भी गिराया गया या गिराने की कोशिश की गई जो खतरनाक हालत में नहीं था।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस अधिकारी की मदद से और जिसकी मौजूदगी में यह नाजायज काम हुआ है, उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की वह सोच रहे हैं?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, जहां तक हमारी पुलिस का सम्बन्ध है इसका कोई वास्ता इस मकान के गिराने से नहीं था। उसकी केवल एक ड्यूटी थी कि वह इन्तजाम करे जिससे शान्ति भंग न हो।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस किसकी सूचना के आधार पर उस मकान पर पहुंची थी और क्या विशेष परिस्थिति बताई गई थी जिससे पुलिस वहां मौजूद रही?

श्री नवलकिशोर—कारपोरेशन अथरिटीज ने सिटी मजिस्ट्रेट को सूचना दी थी कि वह पुलिस का इन्तजाम करें क्योंकि मालिक मकान को खतरनाक हिस्से को गिराने का जो आदेश दिया था उसके गिराने में किरायेदार बाधक हैं। इसलिये शान्ति भंग न होने पाये वहां इन्तजाम किया गया। इस पत्र के आने पर सिटी मैजिस्ट्रेट ने डी० एस० पी० को पत्र भेजा कि वह उचित प्रबन्ध कर दें।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सिटी मैजिस्ट्रेट का जो हुक्म गिरहर हिस्से को गिराने का था, तो गिरहर हिस्सा कौन था ? उसकी कोई लिस्ट न तो महापालिका की तरफ से दी गई थी और न सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने हुक्म के साथ डी० एस० पी० को भेजी ? यदि यह बात सही है तो पुलिस ने क्यों ऐसे हुक्म का पालन किया जिसमें हुक्म था कि डेंजरस पोर्शन्स गिराये जायं लेकिन वे पोर्शन्स कौन थे इसकी कोई सूची नहीं लगी हुई थी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न उठता नहीं है। अभी सफाई होनी चाहिये। उन्होंने यह कहा है कि महापालिका ने गिराने का हुक्म दिया।

श्री त्रिलोकीसिंह--जी नहीं, अगर हुजूर हुक्म दें तो मैं सफाई कर दूं।

श्री अध्यक्ष--जी हां, कहिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--मान्यवर, आप तो मुद्दत तक म्युनिसिपल बोर्ड झांसी के चेयरमैन रह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष--इसे छोड़िये। आप सफाई दीजिये।

श्री त्रिलोकीसिंह--महापालिका ने जब सिटी मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी कि मकान नम्बर ११ के डेंजरस पोर्शन्स के गिराने में लोग बाधक हैं तो क्या जो डेंजरेस पोर्शन्स हैं, इसकी कोई सूची महापालिका ने नहीं लगाई और न सिटी मैजिस्ट्रेट के हुक्म के साथ थी? तो जब कानून के खिलाफ यह हुक्म था और माननीय मंत्री जी इसको तस्लीम कर चुके हैं कि जो डेंजरस पोर्शन्स नहीं थे वे भी गिराये गये और माननीय माल मंत्री तसलीम कर चुके हैं कि पुलिस की मौजूदगी में गिराया गया और सरकार की पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे पूरा मकान या शहर खोद दें पुलिस से कोई मतलब नहीं। पुलिस को हुक्म था कि डेंजरस पोर्शन गिराया जाय।

श्री अध्यक्ष--पहले आप हुक्म को साफ करवाइये।

श्री त्रिलोकीसिंह--मेरा हुक्म पढ़ा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--वह साफ होना चाहिए। आपने यह कहा था कि मैं अपनी नालेज का भी इस्तेमाल करूं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपने प्रश्न उठाया है, उसमें स्पष्ट बात है कि यह अधिकार म्युनिसिपैलिटी या कारपोरेशन को है। सिटी मैजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है, न पुलिस को अधिकार है कि वह अपने अधिकार से कोई मकान गिरवा दे। उसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई काम करने में अड़चन आती है तो लोकल बाडी पुलिस की मदद मांग सकती है। पुलिस की मदद मांगने का यह मतलब नहीं है कि पुलिस यह देखे कि यह वाजिब तौर से आज्ञा म्युनिसिपल बोर्ड ने दी है या किस हद तक आज्ञा दी है, या क्या है, उससे पुलिस को कोई मतलब नहीं है। ज्यादती म्युनिसिपैलिटी करती है तो डैमेजेज की जिम्मेदार म्युनिसिपैलिटी होती है। आप यहीं कनफ्यूजन कर रहे हैं। आप पुलिस के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी डालते हैं कि पुलिस इस बात को जाने कि कितना मकान खोदा जाय। अगर पुलिस ने खोदा होता, अगर यह जिम्मेदारी पुलिस को दी होती कि पुलिस फावड़े लेकर खोदे तब तो यह बात पैदा होती। अगर म्युनिसिपैलिटी खोदती है तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिलोकीसिंह--मान्यवर, मैं आपकी सूचना के लिए पुनः अर्ज कर दूं कि जो हुक्म पुलिस को दिया गया उसमें यह है--

"Dangerous portion of building situated at the 11, Cantonment Road, Lucknow."

उस डेंजरस पोर्शन की कोई लिस्ट नहीं लगी हुई थी। मैं आप से यह भी अर्ज कर दूं कि कभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मकान को गिराने के लिए सौ, डेढ़ सौ कांस्टेबिल नहीं आये, और इस मकान को गिराने के लिए दूसरे दिन सौ, डेढ़ सौ आदमी आये।

श्री अध्यक्ष--यह दूसरी बात है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं यह पूछना चाहता हूं कि वह हुक्म जो सिटी मैजिस्ट्रेट ने दिया था शहर कोतवाल को कि गिरहर पोर्शन गिराया जाय तो वहां पर शांति भंग न हो, इसलिए पुलिस मौजूद रहेगी, उस हुक्म में कोई गिरहर पोर्शन की लिस्ट लगी हुई थी कि कौन-कौन से पोर्शन डेंजरस हैं?

श्री अध्यक्ष—आपके पास हुक्म मौजूद हो तो पढ़ कर सुना दीजिये।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जो सिटी मैजिस्ट्रेट ने डीवाई० एस० पी० को पत्र लिखा, उसमें यह था—

"Please, therefore, depute necessary police force to see that there is no breach of peace while the owner of the house is carrying out the demolition of the dangerous portion of the said house".

श्री त्रिलोकीसिंह—तो यह बात साफ हो गयी कि उनके पास लिस्ट नहीं थी। अब सवाल यह है कि नगर महापालिका के अधिनियम की धारा ५६६ (बी) के अनुसार इस प्रकार की मदद मांगने का अधिकार नगरपालिका के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी को नहीं है, फिर लैंडलार्ड को इजाजत दे दी जाय, वह गिरवाये और कारपोरेशन अपनी एजेंसी से खुद गिरवाये, दोनों में फर्क है। मैं आप की इजाजत से रिलेवेंट पोर्शन पढ़ देना चाहता हूं—

"566 (*b*). to assist the Mukhya Nagar Adhikari or any Mahapalika officer or servant, or any person to whom the Mukhya Nagar Adhikari has lawfully delegated powers reasonably demanding his aid for the lawful exercise of any power vesting in the Mukhya Nagar Adhikari or in such Mahapalika officer or servant or person under this Act, or any such rule, bye-law, or regulation ;"

तो कानून बिलकुल साफ है कि ऐसे पर्सन को मदद दिलायी जा सकती है जिसको कि मुख्य नगराधिकारी पावर्स डेलीगेट करे और उसकी मदद खुद मुख्य नगराधिकारी ले न कि कोई दूसरा जाकर दरख्वास्त दे और कारपोरेशन लिख कर दे दे कि मकान को पूरा गिरवा दो, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि धारा ५६६ (बी), उत्तरप्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम का उल्लंघन क्यों इस मामले में स्थानीय कर्मचारियों ने करना मुनासिब समझा ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, माननीय त्रिलोकीसिंह जी कहते हैं कि ५६६(बी) का उल्लंघन हुआ, इस बात को मैं नहीं मानता, क्योंकि यह सवाल इंटरप्रिटेशन का है। हो सकता है कि उनका इंटरप्रिटेशन कुछ हो और दूसरे का कुछ हो। दूसरी बात यह कि यह जो आपने सवाल उठाया है, यह भी मैं समझता हूं कि सिर्फ एक टेक्निकल बात है। यों भी पुलिस का यह फर्ज है कि कहीं से भी, अगर इस बात की मांग आती कि वहां शान्ति भंग होने का अन्देशा है तब भी सरकार का कर्तव्य था कि वहां इस तरह का इन्तजाम करती। धारा ५६६ (बी) का जहां तक प्रश्न है उसमें यह है—

"To assist the Mukhya Nagar Adhikari or any Mahapalika officer or servant".

तो वहां इतनी टेक्निकलिटीज में तो जाया नहीं गया, यह इंटरप्रिटेशन की बात हो गई कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब आदेश में यह था कि जो खतरनाक भाग है उसी को गिराया जाय और दूसरे भाग को जो इनटैक्ट था, उसे न गिराया जाय, तो मकान मालिक जब उसे गिरा रहा था, नाजायज काम कर रहा था, उस समय शान्ति और सुरक्षा के हेतु बुलायी गई पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री त्रिलोकी सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में ३० जुलाई, १९६१ को त्रिलोकी सिंह ने एक दरख्वास्त सिटी मैजिस्ट्रेट, लखनऊ को और एक कोतवाल शहर, लखनऊ को दी कि यह कानूनन नाजायज हुक्म है और एक नाजायज काम हो रहा है और यह दरख्वास्तें उनको पहुंच गईं, हल्का थाना को भी उसकी नकल दे दी गई, तब क्या वजह थी कि ३१ तारीख को फिर एक बहुत बड़ी फोर्स के साथ शहर की पुलिस ने मालिक मकान की मदद से पूरे मकान को गिरवाना मुनासिब समझा ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, इसमें कई बातें एक साथ उन्होंने पूछी हैं। मैं एक एक के बारे में जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक तो उन्होंने यह पूछा कि उन्होंने कोई दरख्वास्त दी या नहीं, तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। यह बात सही है कि ३० तारीख को वहां जो अधिकारी लोग थे पुलिस फोर्स के, उनसे उन्होंने इस बात की मांग की कि क्या आपके पास कोई ऐसे स्पेसिफिकेशंस हैं या कोई ऐसी सूची है कि कौन कौन से खतरनाक हिस्सों को गिराया जाय ? उसके ऊपर पुलिस के अधिकारी जो वहां थे उन्होंने कारपोरेशन के मुख्य अभियन्ता को टेलीफोन किया और जैसा कि मैंने अभी अपने बयान में कहा कि चीफ इंजीनियर ने इस बात का आदेश दिया कि ३१ तारीख को एक ओवरसियर को वह भेज देंगे। ३१ तारीख को ओवरसियर आये लेकिन ओवरसियर ने भी कुछ स्पष्ट नहीं बताया कि किन-किन हिस्सों को गिराना है। उसके बाद आपकी उनसे बातचीत हुई और फिर चीफ इंजीनियर से एस० ओ० ने बात की, जिसके बाद उन्होंने यह लिख कर भेज दिया कि डिमालिशन बन्द कर दिया जाय। जो बहुत बड़ी फोर्स की बात कही उन्होंने, तो मेरी सूचना के अनुसार एक एस० आई०, एक हैड कांस्टेबिल और चार सिपाही गए थे।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करायेंगे कि वहां कम से कम १०० आर्म्ड पुलिस ३१ तारीख को गई थी ? ३० को झगड़ा खत्म हो गया, ३१ को यह फोर्स गई थी जब कि यह आर्डर हो गया था कि मकान गिरवाना बन्द किया जाय और करीब दो घंटे तक वहां घसियारी मण्डी में मोर्चेबाजी लगी रही। पुलिस कहती थी कि मकान गिरवायेंगे और मैं कहता था कि नहीं गिरानेदेंगे, तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ? और क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि यह मकान न गिराया जाय, इसका आदेश ३० तारीख की रात को मुख्य नगराधिकारी ने दे दिया था, उसके बावजूद ३१ तारीख को मकान गिरवाने की कोशिश की ?

श्री नवलकिशोर--मान्यवर, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वहां १०० आदमी गये थे या १५० गये थे, मैं यह समझता हूं कि इनक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आयी है उसके बाद दूसरी जांच की कोई विशेष जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अतिरिक्त जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि ३० तारीख को कोई आर्डर दिया गया था, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं जानना चाहता हूं कि जितनी पुलिस सरकार बताती है कि वहां गयी थी, वह ३१ तारीख को गयी थी या ३० तारीख को ? आप जरा वह रिपोर्ट पढ़ कर देख लें।

श्री नवलकिशोर--श्रीमन्, मेरे पास जो सूचना है वह ३० तारीख के बारे में है कि एक एस० आई०, एक हेड कांस्टेबिल और ४ कांस्टेबिल गये थे। ३१ के बारे में कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य ३१ के बारे में कह रहे हैं। इसलिये आप जांच करा लें।

श्री नवलकिशोर--बहुत अच्छा। मैं जांच करा लूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि पुलिस की मदद किसी की जानोमाल की हिफाजत के अलावा नाजायज और गैरकानूनी कार्यवाही के लिये भी ली जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आम सवाल आप पूछते हैं। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बतालायेंगे कि जिस मकान मालिक ने प्रार्थना की कि हमारे मकान का अमुक पोर्शन गिरा दिया जाय, उसने अपनी दरख्वास्त के साथ कोई नक्शा भी पेश किया था और जब मैजिस्ट्रेट के यहां से इजाजत ली थी तो उसके सामने कोई नक्शा पेश किया था?

श्री अध्यक्ष—इतने प्रश्नों के बाद यह उठता नहीं। यह तो पुलिस की मदद के बारे में प्रश्न है। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या यह स्थगित हो गया?

श्री अध्यक्ष—अब मैं दूसरा ले रहा हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने जिस तरह से कैटेगेरिकली अपनी बात कही है कि १०० से कम आदमी नहीं थे और सरकार अब उसकी जानकारी करेगी, तो क्या यह प्रश्न स्थगित समझा जायगा ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न तो स्थगित नहीं हुआ, लेकिन उसकी सचना वह फिर दे देंगे। अब इसमें किसी प्रकार की बहस नहीं होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। क्या आपके पास या सदन के पास कोई ऐसा अधिकार है कि जब इस सदन के सम्मानित सदस्य अपनी जानकारी और अपनी उपस्थिति में देखते हैं कि वहां १०० या १५० पुलिस वाले थे उसके बाद भी सरकार या सरकार का कोई अवयव यह बतलाता रहे कि वहां १० या २० ही आदमी थे, तो क्या कोई ऐसी शक्ति सदन के पास या आप के पास है कि हम सत्य पर पहुंच सकें ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इससे उठता नहीं।

श्री राजनारायण—अनेक बार ऐसी बातें हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन वह प्रश्न आम नहीं है। आप बैठें। आप के जो सवाल सामने है उसके बारे में कहिये। जो गलतफहमी थी उसे मैंने उसी वक्त पकड़ लिया क्योंकि यहां भ्रम उस बात का हो रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अगर आप इजाजत दें तो मैं एक जानकारी करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। मैं इजाजत नहीं देता। अब मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं।

गन्ने का दाम कम करने के विषय में केन्द्रीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—चीनी के दाम कम करने के संबंध में जो प्रश्न मदन पान्डेय जी ने उठाया था वह इस प्रकार है.....

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मेरा भी एक प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष—आप का भी वही था। वह इस प्रकार है:

"एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न अर्थात गत ४ अगस्त सन् १९६१ को केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री श्री एस०के० पाटिल द्वारा बंबई में की गयी इस घोषणा से कि चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये गन्ना उत्पादकों को उत्पादित गन्ने की १/५ मात्रा पर कम दाम लेने के लिये तैयार किया जाय, प्रदेश के समस्त गन्ना उत्पादकों में व्याप्त गन्ने की वर्तमान फसल के

[श्री अध्यक्ष]
भविष्य के प्रति आशंका तथा क्षोभ से उत्पन्न विषम परिस्थिति की ओर सरकार का तथा सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।" इसके बारे में वह पूछना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ बतायेंगे।

*स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—श्री मदन पांडेय के नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि १९६१-६२ सीजन में गन्ने के निर्धारित मूल्य को कम करने के विषय में केंद्रीय सरकार का कोई सुझाव प्रदेशीय सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है। जो सूचना अखबारों में प्रकाशित हुई है उसके आधार पर विचार या बहस करने का प्रश्न नहीं उठता, तथापि मैं यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि गन्ने का क्षेत्रफल सुरक्षित क्षेत्रों में पिछले वर्ष तो बढ़ा ही था, अब इस वर्ष लगभग १० प्रतिशत और अधिक बढ़ गया है। पिछले वर्ष देश भर में चीनी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हुआ, जिसके कारण देश भर में लगभग १४ लाख टन चीनी खपत से शेष है। इस मात्रा में चीनी का निर्यात संभव नहीं है। अतः हमारे सामने अगले वर्ष अधिक गन्ने को पेरने की एक बड़ी अहम समस्या है जिस पर हर रूप से विचार कर रहे हैं। इसमें कोई संदेहन हीं कि गन्ना उत्पादकों ने गन्ने का क्षेत्रफल मनमाने ढंग से लिया है यद्यपि प्रदेशीय सरकार की यह नीति नहीं थी कि गन्ना उत्पादक गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ायें।

प्रदेशीय सरकार इस विषय पर भी विचार कर रही है कि खांडसारी तथा गुड़ बनाने के लिये गन्ना उत्पादकों को सुविधायें दी जावें। मैं इस सदन के द्वारा गन्ना उत्पादकों को सलाह देना चाहता हूं कि वे गुड़ तथा खांडसारी इस वर्ष अधिक मात्रा में बनायें, क्योंकि चीनी मिलें अपनी शक्ति भर ही गन्ना पेर सकती हैं और वह शक्ति सीमित है। अगले वर्ष के लिये यह उचित होगा यदि गन्ना उत्पादक गन्ने का क्षेत्रफल जो उन्होंने उत्तरोत्तर बढ़ा लिया है, उचित अनुपात में कम कर दें तथा उसमें दूसरी अन्य फसलों के उत्पादन का प्रयत्न करें। हमारे प्रदेश के चीनी उद्योग की स्थिरता के लिये यह भी परमावश्यक है कि गन्ने की प्रति एकड़ पैदावार को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाया जाय न कि उसके क्षेत्रफल को।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी की बताने की कृपा करेंगे कि पिछले कुछ दिनों में हमारे यहां जो चीनी का अधिक उत्पादन हुआ है उसके निर्यात के लिये इस सरकार और केंद्रीय सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है? यदि हां, तो इस सरकार ने केंद्रीय सरकार को क्या सुझाव दिये हैं?

सूचना राज्य मंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जहां तक चीनी की बिक्री और उसकी खपत का सवाल है उस पर प्रदेशीय सरकार बराबर केंद्रीय सरकार से बातचीत करती रहती है, और आज भी मुख्य मंत्री जी दिल्ली गये हुये हैं, शायद इस विषय पर भी वहां कुछ बात-चीत करेंगे।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान पार्लियामेंट की ८ और ९ अगस्त की बैठक की कार्यवाही की ओर गया है जिसमें श्री टामस और श्री पाटिल ने अपना वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम २० प्रतिशत गन्ने के मूल्य में कमी करने के विषय में प्रदेशीय सरकारों से बातचीत कर रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या रुख है?

श्री रऊफ जाफरी—इस सिलसिले में अभी स्टेटमेन्ट में बताया गया कि केन्द्रीय सरकार से कोई सुझाव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक इस सरकार का ताल्लुक है, वह इसके पहले भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कई बार कह चुकी है कि इस वक्त उसका इरादा गन्ने की कीमत को कम करने का नहीं है। यह दूसरी बात है कि आइन्दा कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि इस राय को बदलना पड़े। इस समय कीमत कम करने का प्रश्न सरकार के सामने नहीं है।

श्री राजनारायण—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज जब सरकार जवाब दे रही थी तो उसने अपने बयान में कहा कि पाटिल साहब के अखबारी बयान के ऊपर कोई प्रश्न उठता नहीं। तो जैसा कि अभी श्री मदन पान्डेय जी ने बताया और मैंने लिख कर इसीलिये दे दिया था कि लोक सभा में केन्द्रीय सरकार यह कह रही है कि चूंकि गन्ने की कीमत कम होगी और प्रान्तीय सरकारों से इस पर विचार विनियम हो, तो क्या आप इसकी व्यवस्था करा सकते हैं कि सरकार पूरी जानकारी कर ले कि इस समय केन्द्रीय सरकार उनसे क्या चाहती है और उन्होंने कोई खतो किताबत की है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—आपने व्यवस्था का प्रश्न किया, लेकिन आपने जो लोक सभा में कहा, उसके हिसाब से जानकारी हासिल करने की कोशिश की और यह समझ कर कोशिश की कि सरकार को जरूर लिखा गया होगा। वह कहते हैं कि सरकार को नहीं लिखा गया, तो आपको प्रश्न को ड्राप कर दना चहिये। जब लिखा जाय तो फिर पूछ सकते हैं।

श्री राजनारायण—इन्होंने चूंकि यह कहा कि मुख्य मंत्री गये हैं, तो जब गये हैं तो गालिबन यह सवाल वहां उठाया गया, इसीलिये मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि आप वही प्रश्न पूछिए जो इस संबंध में हो। आप पूछते हैं कि इस बात के लिये परामर्श किया या नहीं, तो उन्होंने कहा कि मंत्री गये हैं। मुमकिन है जैसे आप अन्दाजा लगाते हैं, वह भी लगाते हों।

श्री राजनारायण—ठीक है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि जो इस सदन ने प्रस्ताव पास किया है कि गन्ने की कीमत, जब तक चीनी की कीमत नहीं गिर जाती है और उनकी कीमतों में संतुलन नहीं होता है तब तक १ रुपया १२ आने से कम किसी हालत में न हो ? यदि हां, तो कम से कम केन्द्रीय सरकार को इस सदन की राय बता देगी ताकि केन्द्रीय सरकार आगाह हो जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सदन की राय केंद्रीय सरकार तक पहुंच जाय, तो जरूर पहुंचायी जायगी और पहुंचायी जाती रही है।

श्री मदन पांडेय—यह जो कहा गया कि मैं वक्तव्य द्वारा सलाह दे रहा हूं कि गन्ना उत्पादक गुड़ और खांडसारी की तरफ गन्ने को अधिक से अधिक डाइवर्ट करें, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गुड़ और खंडसारी के बनाने पर जो पिछले दिनों कानूनन प्रतिबन्ध लागू किये गये हैं, क्या उन्हें हटाकर उनको प्रोत्साहन देने के लिये वह नयी सहूलियतें पहुंचाने के लिये कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—सरकार की नीति है कि चूंकि गन्ने की पैदावार बहुत बढ़ गयी है इसलिये खंडसारी और गुड़ बनाने के काम को हर किस्म का एनकरेजमेंट दिया जाय।

श्री मदन पांडेय—मैंने स्पष्ट पूछा कि जो वर्तमान कानून बने हैं लाइसेंस वगैरह के, उनको क्या खत्म कर देंगे ? इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री रऊफ जाफरी से) वह पूछते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाये हैं उनके हटाने का इरादा है या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—हर किस्म में सब चीजें आ जाती हैं और सब बातों पर गौर होगा जिन जिन चीजों से यह व्यापार बढ़ सके और फैसला होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि गन्ने की पैदावार बढ़ जाने के बावजूद भी चीनी के उत्पादन का लक्ष्य जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था वह पूरा नहीं हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—यह बहुत व्यापक प्रश्न आप पूछ रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो उन्होंने अभी बतलाया कि बजाय गन्ने के क्षेत्रफल बढ़ाने के उनकी सलाह यह है कि प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ायी जाय, तो उससे फिर भी पैदावार बढ़ेगी, तो समस्या का समाधान किस प्रकार होगा ?

श्री रऊफ जाफरी—अगर गन्ने की फी एकड़ पैदावार बढ़ जायगी तो उससे हम यह उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो उसका रकबा बढ़ता चला जा रहा है उसमें कमी आ जायगी । एक एकड़ की पैदावार उसी वक्त बढ़ेगी जब कि उसके ऊपर इनवेस्टमेन्ट और लागत बढ़ेगी । जितना अब वह २ एकड़ पर खर्च करते हैं, वह एक एकड़ पर खर्च कर देंगे लेकिन इससे दूसरा एकड़ खेत बच जायगा, उसमें वे दूसरी फसल बो सकते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह सदन की राय को तो भेजने को तैयार हैं कि सदन १ रु० १२ आ० मन गन्ने का दाम चाहता है, तो क्या सरकार अपनी राय भी भेजने को तैयार है कि किसी भी हालत में यू० पी० की सरकार किसानों को जो सारे भारत के आधे से अधिक चीनी के उत्पादन कर्त्ता है, उनके गन्ने की कीमत को घटाने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी—इस गन्ने के सवाल पर कई दफा वाद-विवाद यहां हो चुका है और सरकार अपनी पालिसी बता चुकी है । माननीय गेंदा सिंह जी को किसानों की जितनी हमदर्दी है उतनी हमें भी है, और जो चीज आपके सामने है वह चीज सरकार के सामने भी है ।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे जैसा कि उन्होंने कहा कि आज मुख्य मंत्री जी इसी प्रयोजन से दिल्ली गये हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेन्ट से बातचीत करने के लिये, तो क्या मुख्य मंत्री जी से वहां जो बातचीत होगी उसे यहां पर मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—इस वक्त मैं इसका जबाब नहीं दे सकता ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी इस विरोधाभास का निराकरण करने की कृपा करेंगे कि जब गन्ने की मिकदार उतनी ही रहेगी और चीनी उतनी ही तैयार होती रहेगी तो किस प्रकार से चीनी की कमी दूर हो सकेगी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे चीनी का उत्पादन कम कर रहे हैं, उन्होंने तो यह कहा है कि जो अब ज्यादा एरिया कवर होता है, आगे कम होगा । यानी अगर २ एकड़ से उसको १० रुपया मिलता है तो वह १० रुपया १ एकड़ से ही उसको मिलने लगेगा । इस प्रकार एक एकड़ जो बाकी बचेगा उससे लाभ होगा । यह रास्ता उन्होंने बताया किसान को फायदा पहुंचाने का ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी सरकार की नीति को घोषित करने को तैयार हैं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को जो कीमत मिल रही है उसको कम करने के लिये केन्द्रीय सरकार को रोकेंगे ताकि गन्ने की कीमत कम न हो सके ?

श्री अध्यक्ष—यानी आपका मतलब है, वे बलवा करेंगे या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—बलवा तो हम करेंगे, लेकिन वे बलवा करने वालों को पकड़ेंगे तो नहीं ?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—जब माननीय मंत्री जी को गन्ने के एकरेज के बढ़ने की शिकायत है और वह किसानों को निरुत्साहित करने के लिये और चीनी की अतिरिक्त खपत के सिलसिले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्र व्यवहार हुआ है तो क्या उस सिलसिले में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव दिया है कि बाद में बढ़ी हुई ३ आना मन कीमत को कम करके पहले की कीमत १ रुपया ५ आना मन कर दी जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—यह तो मैं बता चुका हूं कि चीनी की कीमत को कम करने के बारे में कोई सुझाव हमने केन्द्रीय सरकार को नहीं दिया।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि पिछले ८ वर्षों से सरकार गन्ने की डेफर्ड प्राइस किसानों को दिलाना चाहती है, लेकिन उसके बजाय सरकार पर इस बात का दबाव पड़ रहा है कि गन्ने की कीमत कम करायी जाय ? यदि हां, तो यह सरकार केन्द्रीय सरकार से यह क्यों नहीं कहती है कि बजाय कीमत कम करने के वह किसानों को डेफर्ड प्राइस दिलाये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री इसलिये चीनी की कीमत कम करने को कहते हैं क्योंकि उनको चीनी एक्सपोर्ट करना है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको यह सलाह देंगे कि दक्षिण के मिल मालिक जो ३ रुपया टन चीनी का दाम अधिक पाते हैं, उनको कम दाम देकर चीनी के घाटे को केन्द्रीय सरकार पूरा करे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न उठता नहीं है। वे कहते हैं कि उनकी उनसे बात ही नहीं हुई है, तो फायदा क्या है ?

श्री राजनारायण—क्या सरकार इस बात को समझती है कि जब वह बार बार कहती है कि चीनी का संकट है यानी चीनी ज्यादा हुई है, उसकी खपत नहीं की जा रही है, तो सामान्यतया पूंजीवादी व्यवस्था का नियम है कि जब सामान ज्यादा पैदा होता है तो वह सस्ता होता है, तो सरकार चीनी की खपत ठीक ढंग से कराने के लिये चीनी की कीमत कम करने की कोई बात सोच रही है ? यदि हां, तो वह इसको स्पष्ट करेगी ?

श्री अध्यक्ष—यह तो प्रश्न उठता नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब सदन ने गन्ने की कीमत १ रु० १२ आने मन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया तो उस प्रस्ताव पर बहुत सख्त सिफारिश के साथ तत्कालीन मुख्य मंत्री डाक्टर संपूर्णानन्द ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि यह हमारी सर्वसम्मत मांग है, ? यदि हां, तो क्या उसी के तहत में मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार को सुझाव देने की कृपा करेंगे कि कम से कम अगर १ रु० १२ आने मन से ज्यादा गन्ने की कीमत न दी जाय तो इससे कम न की जाय ?

श्री अध्यक्ष—जब उन्होंने कोई सिफारिश ही नहीं की है तो इसमें बहस नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—गन्ने की कीमत तय करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को है लेकिन जो बिहार और यू० पी० का शुगर केन बोर्ड है उससे वह इस मामले में सलाह

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

लेती है, तो क्या प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्रालय को लिखेगी कि वह गन्ने की कीमत यू० पी० सरकार और ज्वाइन्ट शुगर केन बोर्ड की सलाह लिये बिना कम करने की कृपा न करे जिससे गन्ने की कीमत के संबंध में गन्ने के किसानों को एम्बरेसमेन्ट हो और सरकार में भी एम्बरेसमेन्ट की चर्चा होने लगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जिस रिपोर्ट के ऊपर यह तमाम बहस चल रही है, उसमें खासतौर से वहां के मंत्री ने यह कहा है कि वे परामर्श कर रहे हैं। जहां तक प्रादेशिक सरकार का संबंध है उससे कोई परामर्श हुआ नहीं है। जब वह परामर्श करेंगे तब यह सवाल पैदा होगा कि उनसे क्या कहा जाय, क्या न कहा जाय। मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि इस वक्त गन्ने की कीमत कम करने की कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष—अब यह प्रश्न समाप्त होता है।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, अब यह समाप्त हो गया।

श्री गेंदासिंह—इसका मतलब है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा हूं। (कुछ देर पश्चात्) मैं आप से क्षमा चाहता हूं और इसके विरोध में सदन को छोड़ता हूं।

(इसके पश्चात् श्री गेंदा सिंह सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१*

श्री अध्यक्ष—अब माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं समय के बंटन के संबंध में। इस विधेयक के लिये आधा दिन निर्धारित है। श्रीमन्, अब एक बज गया है और ४ घंटा समय सदन का रह गया है, तो आधा दिन आप ४ घंटे का मानेंगे या ५ घंटे का मानेंगे जैसा कि एक दिन सदन का समय होता है ?

श्री अध्यक्ष—आधा घंटा तो रोज ही मिसलेनियस काम के लिये निकल जाता है। इसलिये साढ़े ४ घंटा ही एक दिन में होता है। तो आधा दिन के लिये सवा दो घंटे हम देंगे।

विभिन्न दलों द्वारा सदन का परित्याग

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय गेंदासिंह जी ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, बड़ी यकायक घटना हुई और हम भौचक्के से रह गये। मैं समझता हूं कि उस पर आपका भी ध्यान गया होगा। तो जो उन्होंने भावनाएं व्यक्त की हैं, कम से कम मैं अपने दल के साथ उन भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनसे सहानुभूति रखते हुए अपने दल के साथ एक घंटे के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री झारखंडेराय अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, यह विषय बहुत अहम था और माननीय मंत्री जी के उत्तर से तथा सरकार के अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार से प्रदेश के किसानों को ठेस पहुंची है। इसके विरोध में मैं अपने दल के साथ १५ मिनट के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

(श्री रामस्वरूप वर्मा भी अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

---

*८ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे खेद है कि गन्ने के संबंध में जो अभी प्रस्ताव आया उस संबंध में भली प्रकार वाद-विवाद और प्रश्नोत्तर नहीं हो सके। माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया, वह भी भली प्रकार वह नहीं दे पाये और जो सदन की इच्छा थी इस बारे में और जानकारी प्राप्त करने की उससे भी उन्होंने वंचित रखा। इसलिये मुझे खेदपूर्वक आपको सूचित करना पड़ता है कि हम विरोधस्वरूप आज सारे दिन के लिये सदन से बाहर जाना उचित समझते हैं।

(श्री नारायणदत्त तिवारी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अन्य सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे शुरू से निवेदन कर रहा हूं कि न मालूम हमारा क्या दुर्भाग्य है कि इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन पर तो कुछ नहीं पूछने दिया जाता, जिसमें जरा सरकार की कोर दबती है और फौरन सवाल रोक दिये जाते हैं। यह मेरी भावना ही नहीं है बल्कि इस तरफ के सारे बैठने वालों की है....

श्री अध्यक्ष—यह तो केवल आपने ही कहा है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अब मुझे तो प्रस्ताव मूव करना है, जनता की बातें कहनी हैं, लेकिन मैं अपने आपको और अपने दल को उन भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं। चूंकि मुझे प्रस्ताव मूव करना है इसलिये वाकआउट नहीं कर रहा हूं, केवल विरोध कर रहा हूं, वरना मैं भी अपने दल के साथ वाक आउट करता।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१—(क्रमागत)

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment Bill),1961.] पर विचार किया जाय।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, इसके जो उद्देश्य और कारण हैं वह विधेयक के साथ संलग्न हैं, उनसे ही पता चल जाता है कि विधेयक क्यों प्रस्तुत किया गया है। इसके तीन अंग हैं और उन अंगों को देखने से भी यह मालूम हो जाता है कि किस कारण से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। उस पर अधिक मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि समय भी कम है। आखिर में उत्तर देने का जो अवसर मिलेगा, उस वक्त कहूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या कारण है, कुछ तो प्रकाश डालिये?

श्री अध्यक्ष—आप प्रकाश डाल दें, वह नहीं डालते तो।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन दे।

श्रीमन्, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मन्त्री जी यह बताने की जहमत गवारा करेंगे कि आखिर यह बिल लाये क्यों, क्या उसकी नेसेसिटी है। इसके बरअक्स मन्त्री जी बिलकुल खामोश रह गये। इसके माने हैं कि कोई वजह नहीं है उसको लाने की, महज लाना चाहते हैं। आजकल बहुत से कानून ऐसे बन रहे हैं या बनाने की तजवीज हो रही है कि जिनसे और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अल्टीरियर मोटिव्ज सिद्ध किये जायं। एक इन्टरमीडिएट बिल पेश किया गया। अध्यापकों को जो सहूलियतें दी थीं उसकी स्याही सूखने नहीं पाई—वह भी कांग्रेस की सरकार थी और यह भी है, लेकिन शायद इनका मंशा यह है कि जो सम्पूर्णानन्द जी की सरकार कर गई उसको उलट दिया जाय। खैर, यह उनको मुबारक हो। शायद यही कारण है इस बिल को लाने का। अगर कोई और वैलिड कारण होता तो वह जरूर बताते। कम से कम हर गोविन्द सिंह जी ऐसे पुराने और अनुभवी मंत्री से हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कारण होते हुये भी न बतायें। इसके बावजूद भी अगर बिल में कोई अच्छी बात होती जिससे जनता की भलाई होती तो भी हम स्वागत करते। सरकार ने कहा था कि वह एक कान्प्रीहेंसिव बिल लायेगी क्योंकि सेल्स टैक्स ऐक्ट में १७, १८ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जो इसकी असली सूरत थी वह बिलकुल बदल गई। तो हम सोच रहे थे कि कोई अच्छी चीज आयेगी लेकिन हमारा खयाल गलत हुआ। मैं कहता हूं कि सेल्स टैक्स ऐक्ट इतना पेचीदा हो गया है, इतनी तरह के फार्म्स इन्ट्रोड्यूस हो गये हैं, जिनका मुहैया करना भी मुश्किल है, समय पर मिलते नहीं। इतनी टेक्निकेलिटीज बढ़ गई हैं कि ईमानदार दूकानदार भी इन सब परेशानियों की वजह से मजबूर हो कर बेईमानी करता है। मुझे भी इल्म है कि 'सी' फार्म जब कहीं नहीं मिला तो बड़ी मुश्किलों से ६ महीने में जाकर मिला जब वित्त विभाग और न जाने कितने विभागों की खाक छाननी पड़ी। तो यह दिक्कतें हैं।

हम सब लोगों को आशा थी कि इस बार जो संशोधन विधेयक आयेगा उसमें खाद्यान्न पर से टैक्स हटा दिया जायगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मंत्री जी को यह बिल कच्चे और पक्के आढ़तियों की वजह से लाना पड़ रहा है। अगर अन्न पर से सरकार टैक्स हटा ले तो यह सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जायं। कितने बड़े कलंक की बात है कि इस प्रदेश में रोटी पर टैक्स लिया जाता है किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है। रोटी पर टैक्स लगाने का मतलब है गरीब से टैक्स लेना, क्योंकि वही ज्यादा अन्न खाता है, मेहनत करने के कारण उसको ज्यादा भूख लगती है और सब तरह का अन्न खाता है। बड़े आदमी तो अन्न कम खाते हैं। हाफिज जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ लाख रुपया अगर एक्सचेकर में किसी दूसरी सूरत से आने लगे तो खाद्यान्न पर से सेल्स टैक्स हटा दूंगा।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद, पीठासीन हुये)।

कांग्रेस के एक बुजुर्ग लीडर के कहने के बावजूद भी उनका वायदा न तो डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की सरकार पूरा कर पाई और न मौजूदा सरकार। हम लोग यह सोचते थे, अब जरा वहम होने लगा है, कि नई सरकार जनता को कुछ राहत देगी पर अब यह निश्चित हो गया कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द और वर्तमान मंत्रि-मंडल की नीति एक ही होगी क्योंकि दोनों कांग्रेस के मंत्रिमंडल ही कहे जाते हैं। अब यह जाने और वह जाने, लेकिन किया किसी ने नहीं। बहरहाल अन्न पर टैक्स लेना किसी सरकार के लिये कलंक की बात है। रोटी पर, कौर-कौर पर टैक्स लगाना वैसा ही है जैसे रक्त का टैक्स लिया जाय। डाक्टरों की राय है कि चालीस सेर भोजन से एक सेर रक्त बनता है। अब अगर आपने टैक्स लगाकर किसी को अन्न नहीं खाने दिया तो उसी मात्रा में रक्त कम बनेगा, यानी जो रक्त कम बना वह सरकार ने टैक्स के रूप में लिया, जैसे रावण के राज्य में हुआ करता था। तो यह भी इन्डाइरेक्टली आप खून का टैक्स ले रहे हैं।

अब दूसरी बात जो मौजूदा बिल के सम्बन्ध में है कि इसमें जो तरमीम लाई गई है वह इस प्रकार है—"धारा २ के खंड (ग) के स्पष्टीकरण के शब्द 'जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो' के स्थान पर शब्द 'जो कि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यपार करता हो या जिसके माध्यम से माल बेचा जाता हो, रख दिये जांय।"

श्रीमन्, इसमें धीरे-धीरे परिवर्तन लाया गया है और यह सारा झगड़ा जब से

कच्चे आढ़तिये पर टैक्स लगाने की बात और चूंकि आई है तब से उठी है। हमारे यहां का चलन यह है कि किसान माल बाजार में लाता है, तो अभी वह इस काबिल नहीं है कि वह अपने अनाज की पूरी कीमत खरीदने वाले से ले ले इसलिये बीच का आदमी जिसे दलाल या कच्चा आढ़तिया या पक्का आढ़तिया कहते हैं वह बीच में आता है। मेरे घर में तो व्यापार होता नहीं है, लेकिन हमारे कांग्रेसी पक्ष के माननीय सदस्यों, जिनके यहां गल्ले का व्यापार होता है, उनकी राय में कहता हूं कि जो बीच का आदमी होता है उसका काम होता है किसान के गल्ले को मार्केट में ले जाय। जो पक्का आढ़तिया होता है वह तो किसान का माल अपने पास रख लेता है और उसकी जरूरत के मुताबिक रुपया ऐडवान्स कर देता है और जब माल बिक जाता है तो उस वक्त उसको काट लेता है। लेकिन कच्चा आढ़तिया जो होता है उसका काम केवल इतना होता है कि किसान के माल की बिक्री कर दे। अब कोई भी जो मजदूरी करता है वह अपने मजदूरी के पैसे तो लेगा ही। हमारे संविधान की धारा १९-डी, जो फंडामेंटल राइट्स के सिलसिले में है, उसके अनुसार उसको यह लेने का हक है। इस धारा में लिखा है:—

"All citizens have the right to practise any profession or to carry out any occupation, trade or business".

हां, इस में सरकार रीजनेबिल रिस्ट्रिक्शन्स लगा सकती है और उसके लिये सरकार को कोई रोक नहीं सकता। वह कह सकती है कि तुम क्यों दलाली करते हो? तुम व्यापार में क्यों सहायता करते हो, तो क्या यह रीजनेबुल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? मौजूदा विधेयक में यह है, जैसा कि सरकार ने कोशिश की है और जो दूसरे खंड में लिखा है, वह इस तरह से है—"कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में, किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री-कर के रूप में और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा और कोई व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री या खरीद के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के सिवाय जिसे उसने माल बेचा हो अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री-कर के रूप में वसूल करेगा और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।"

यह जो बीच का दलाल है, यह कच्चा आढ़ती है और वह बगैर कमीशन लिये हुये नहीं दे सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। सरकार तो हमसे कहेगी कि हमने इसलिये यह संशोधन रखा है कि किसानों से बिक्री-कर वसूल कर रहे हैं, तो बीच का जो कच्चा आढ़ती या दलाल है और वह कमीशन ले लेता है, तो उनकी मंशा यह है कि किसानों से सेल्स टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा, इसलिये वे मौजूदा संशोधन लाये हैं। लेकिन मैं माननीम मन्त्री जी से कहूंगा कि यह बात नहीं है क्योंकि पहले भी किसानों से सेल्स टैक्स लिये जाने की बात कानून में नहीं थी, ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे तौलाई और बटाई के रूप में मांगा जाता है, उसके लिये भले ही माननीय मन्त्री जी कहें कि अब बटाई के रूप में वह नहीं ले सकेंगे, तो इससे कांस्टीट्यूशन के अनुसार विरोधाभास हो जाता है। कोई भी आदमी एक प्रोफेशन करेगा, तो क्या उसकी मजदूरी नहीं लेगा, चाहे वह किसान हो या दूसरा आदमी हो, लेकिन जब वह कोई काम करेगा, तो उसकी मजदूरी अवश्य लेगा। चाहे मंत्री जी ऐक्ट में किसी तरह से भी रख दें। लेकिन जो उठाना है, ढोना है और कमीशन लेने की बात है, वह कैसे रोकी जा सकती है। इस ऐक्ट की परिभाषा के अन्दर यह चीज नहीं आयेगी। वह सेल्स टैक्स की संज्ञा के अन्दर नहीं आती है। मन्त्री जी की जो मौजूदा तरमीम है, उन्होंने सेल्स टैक्स को अन्य रूप से रखा है, तो क्या कोई अपनी मजदूरी नहीं लेगा? जब तक हमारा कांस्टीट्यूशन है और उसमें धारा १९(बी) है तबतक चाहे सरकार का यह मौजूदा ऐक्ट हो या आने वाली सरकार का कोई ऐक्ट हो, चाहे जनसंघ की सरकार ही क्यों न आ जाये, भगवान चाहेगा तो जल्दी ही आयेगी। वह कहते हैं कि जनसंघ से कोई खतरा नहीं है, लेकिन आजकल सपने में भी उनको

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

जनसंघ ही नजर आता है, जैसे कंस के दिमाग में भगवान कृष्ण रहा करते थे, उसी तरह से इस सरकार के दिमाग में जनसंघ है, तो इस से कुछ होने वाला नहीं है। आप धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, सन् १९४८ की बात देखें, इसमें एक बिलकुल ही दूसरी बात थी। सन् १९५८ की जो तरमीम है, उसमें खंड २ (ग) में यह संशोधन किया गया है।

२-(ग) "व्यापारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ से है जो चाहे कमीशन या प्रतिफल के लिये, चाहे अन्यथा, उत्तर प्रदेश में माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता है, और इसमें कोई फर्म या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा कोई सोसाइटी, क्लब या संघ जो अपने सदस्यों को माल बेचता हो, सम्मिलित है, तथा इसमें राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई विभाग जो ऐसा व्यापार करता हो, तथा कोई व्यवसायी संस्था जो बिजली की शक्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की चालक शक्ति के उत्पादन अथवा वितरण का कार्य करती हो, भी सम्मिलित हैं।

स्पष्टीकरण-१—उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति का एजेंट जो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से माल खरीदने या बेचने का काम करता हो, ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये "व्यापारी" समझा जायगा।

स्पष्टीकरण-२—कोई कमीशन एजेंट या आढ़ती या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्ता, जो अपने निर्देष्टा (प्रिंसिपल) की ओर से माल खरीदने अथवा बेचने का काम करता हो, वह चाहे जो भी कहा जाता हो, धारा ३-ध तथा ३-ङ के प्रयोजनों के लिये "व्यापारी" समझा जायगा।

जो उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९५९ है, उसमें यह है। खंड-२ के (ग) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

स्पष्टीकरण—"कोई माध्यवणिक, दलाल, कमीशन एजेंट या आढ़ती, परिशोधी अभिकर्ता नीलाम करने वाला, या अन्य कोई व्यापारिक अभिकर्ता वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाय, और चाहे वह ऊपर उल्लिखित अभिधान वाला हो या न हो, जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये व्यापारी समझा जायगा।"

इसमें थोड़ा-सा शब्दों का हेरफेर है। १२ हजार से ऊपर वालों पर सेल्स टैक्स लगाया जायगा। इसके साथ ही साथ माननीय मन्त्री जी को इस पर भी प्रकाश डालना चाहिये। उन को तो सारे कागजात आसानी से मिल जाते हैं। उनको तो पकी पकाई खीर मिल जाती है, इसलिये उनको आसानी होती है। हमको तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इधर-उधर से सब जमा करके उनकी सेवा में उपस्थित करना पड़ता है। एक बात मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि खाद्यान्नों पर जो सेल्स टैक्स है, उस को हटा लेना चाहिये। इससे किसानों को बहुत कठिनाई होती है। जिस समय गो-वध निवारण विधेयक आया था तो हम लोगों ने उसका विरोध किया था और कहा था कि यह विधेयक ठीक नहीं है। सरकार को इसको वापस लेना चाहिये। लेकिन उस समय हम लोगों की बात को नहीं सुना गया। उस के थोड़े दिन के बाद वह बिल हाईकोर्ट से अल्ट्रा वायर्स हो गया। और सरकार को फिर उसमें तरमीम करनी पड़ी। इसी तरह से आज मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार जो बिल लाई है, यह ठीक नहीं है, इससे जनता का कुछ भी भला नहीं होगा। यहां पर माननीय मन्त्री जी का बहुमत है, वे हर बिल को यहां से पास करा सकते हैं। पुरानी प्रोसीडिंग्स को आप निकाल कर देखें तो आपको मालूम होगा कि जिस चीज का हम विरोध करते हैं, उस के लिये आपको तरमीम लानी पड़ती है। आपने जो खाद्यान्न पर टैक्स लगा रखा है, उससे जनता को मुक्त कर देना चाहिये। और तमाशा यह है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्सेशन तक नहीं है,

मल्टी प्वाइंट है। इस तरह से ईमानदार आदमी तो मर जाता है। कभी-कभी जो ट्रैन्जेक्शन हो जाता है किसान और खरीदार के बीच, वह चार पांच बार हो जाता है। सौ रुपये का माल खरीदा, एक रुपया सेल्स टैक्स का हो गया, तो १०१ रुपया दूसरे से ले लेता है। दूसरे आदमी को जब बेचा तो १०१ रुपया और एक नया पैसा हो गया, तीसरे को जब बेचा तो १०१ रु० दो नया पैसा हो गया, चौथे के हाथ जब बेचा तो १०१ रुपये दो नए पैसे पर टैक्स लेगा। यानी सेल्स टैक्स भी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता चला जाता है। और वह पड़ा किस पर? एक बेचारे गरीब मजदूर पर, जो दिन भर फैक्टरी में मेहनत करता है और शाम को भूखा, प्यासा घर लौटता है। बड़े आदमी तो कभी बारनेट में बैठ गये, कभी इस रेस्टरां में बैठ गये और चाय की चुस्की ली, तो उनकी भूख तो इस तरह से वैसे ही कम हो जाती है लेकिन मरता है वह बेचारा क्लर्क जो दिन भर बैठ कर कलम घिसता है, वह छोटे-छोटे नौकर जो महंगाई की वजह से पिसे जा रहे हैं। वही काम हमारा बाबू करता है और इसी लखनऊ में रहता है, लेकिन उसको महंगाई केवल ३० रुपये मिलती है और वही बाबू सेन्ट्रल गवर्नमेंट का होता है तो उसको दूना महंगाई भत्ता मिलता है। तो मल्टीपिल प्वाइंट पर सेल्स टैक्स लगाना खतरनाक हो जाता है।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी आज ही घोषणा करें, केवल प्रचार के लिये नहीं। हमने कई दफा कहा तो मन्त्री जी की तरफ से उत्तर दिया जाता है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजनायें बनाई हैं और वह रुपया उनमें खर्च होगा। अगर जनता से टैक्स वसूल नहीं किया जायगा तो रुपया कहां से आयेगा। लेकिन जब टैक्स देने वाले की कमर ही टूट जायगी तो टैक्स देगा कौन? "इट इज दि लास्ट स्ट्रा आन कैमिल्स बैक" (It is the last straw on Camels' back)। जितने टैक्स के मौजूदा कानून बने हुये हैं वे इतने यथेष्ट हैं कि अगर उन्हीं के लूपहोल्स को मन्त्री जी अपने विभाग द्वारा बन्द करायें तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा टैक्स मन्त्री जी को मिल जायगा बजाय इसके कि रोज-रोज नये सोर्सेज टैक्स के ढूंढे जांय।

अब इसमें यहां पर आता क्या है कि हमारे पास सही अधिकारी नहीं हैं। यानी हम देख रहे हैं कि सेल्स टैक्स से जितना रुपया सरकारी एक्सचेकर में आता है उससे कई गुना अधिकारियों के पेट में चला जाता है। पहले तो इन्कम टैक्स के चपरासी ही लाट साहब समझे जाते थे लेकिन अब सेल्स टैक्स के चपरासी भी लाट साहब हो गये हैं। किसी भी सेल्स टैक्स के चपरासी से कोई बात हो गई तो वह झट मूंछों पर ताव देता हुआ जाता है और मेम साहब से शिकायत करता है। मेम साहब अपने साहब से कहती हैं और साहब उस दूकानदार को हुक्म देते हैं कि लाओ, दिखाओ अपना एकाउन्ट, हम नहीं मानते कि तुम्हारा सेल १२,००० रुपये से कम का है। मैं अल्मोड़े की बात कह सकता हूं बाकी जगहों की उतनी नहीं जानता। जितना अत्याचार अल्मोड़े के सेल्स टैक्स अधिकारी ने वहां की जनता पर किया है उतना शायद ही कहीं और हुआ हो। वहां की जनता कराह रही है और शायद मन्त्री जी के पास कई प्रार्थना-पत्र भी आये होंगे। कई बार मैंने दो, एक ईमानदार सेल्स टैक्स अफसरों से बात की—जिनको मैं ईमानदार समझता हूं वैसे भगवान जाने कि वे ईमानदार हैं या नहीं, क्योंकि—

"काजर की कोठरी में कैसो हू सयानो जाय,
एक लीक काजर की लागि है पै लागि है।"

काजल लग अवश्य जायगा, लेकिन क्या करें? देखो सरकार का हुक्म है कि एक्सचेकर बढ़ाओ। अगर हम इतना रुपया वसूल कर के नहीं देंगे तो सरकार सोचेगी कि यह निकम्मा है और हमारा डिमोशन हो जायगा। इसलिये सरकार को हमें ज्यादा से ज्यादा रुपया देना है। जब लक्ष्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया दिया जाय तो कैसे काम चलेगा। चाहे शराब के ठेके बढ़ जांय, चाहे जनता को सहूलियत न हो, लेकिन सेल्स टैक्स का रुपया बढ़ जाय। तो उसने कहा कि आप हमसे नाराज न हों बल्कि सरकार से इसके सम्बन्ध में पूछने की कृपा करें। ऊपर से जब ऐसे हुक्म आते हैं तो हम क्या करें? मैं क्या कहता? ऐसी चीजें यहां हो रही हैं।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

श्रीमन्, मुझे निवेदन सरकार से यह करना है कि किसान का माल जब नहीं बिकता है तो उसको काम चलाने के लिये पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो उसके मददगार होते हैं वह जरूर काम चला देते हैं। इस तरह की बात हो जायगी तो जाने क्या तरकीब निकल आयेगी। कमाने वाले बड़ी तरकीब से कमाते हैं। वह बड़े बुद्धिमान होते हैं और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं उठा रखते हैं। सरकार ने एक बड़ी भारी स्कीम बनाई कि किसानों को उनके गल्ले के पूरे दाम नहीं मिलते हैं, इसलिये एक गोदाम का विधेयक आया और कहा गया, कि अब किसानों को कोई तकलीफ नहीं होगी और सारे प्रदेश में गोदाम छा जायेंगे और किसान को उसके माल की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी। जिस समय वह अपना माल गोदाम में रखेगा उसको कुछ एडवान्स दे दिया जायगा और जब ऊंची से ऊंची कीमत होगी तो उस समय उसका माल बाजार में भेज दिया जायगा। सरकारी अफसरों के लिये टारगेट फिक्स होता है कि इतना पूरा करना पड़ेगा, जैसे मल्टी परपज सोसाइटीज एक हफ्ते में दस हजार बन गईं। अब पता नहीं उनकी फीगर कहां तक पहुंच गई है। अगली आडिट रिपोर्ट में उनकी हालत आयेगी कि इतने रुपये का गबन हो गया है। उस समय पर हम यहां हों, न हों, लेकिन जो हमारे सक्सेसर आयेंगे वह उन बातों को उठायेंगे। बहरहाल, मैं निवेदन कर रहा था कि गोदाम बन गये। सरकार ने दिखाने के लिये यह स्वांग रचा और गोदाम खुल गये। आढ़तियों से कहा गया कि माल तुम्हारा, गुदाम तुम्हारा, ताला तुम्हारा, बस नाम हमारा रहेगा। श्रीमन्, एक ही रात में पांच हजार गोदाम खुल गये। अब तक बनिये अपने गोदाम की रिपेयर कराते थे, माल उसका भी है, एडवांस उसे मिल रहा है और किराया मुफ्त में मिल रहा है यानी सरकार ने उनको अपना जमाई बना लिया है। इस तरह से क्यों इन व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है? इसका रीजन मुझे ऐसा लगता है जैसा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि जनसंघ कम्यूनल पार्टी है और इसमें बनिये हैं। इसलिये चुनाव आ रहा है, जहां तक हो सके इनको परेशान किया जाय।

श्रीमन्, यहां तक बात आई है। इसी मंत्रिमंडल में एक मंत्री जी हैं, उनकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ है। कुछ अर्जियां हर जिले से आयी हैं। पहले यह कहा गया कि एम० एल० ए० की सिपारिश होनी चाहिये तब अर्जी मानी जायगी। दुर्भाग्य से एक अर्जी पर हमारे जनसंघ के एक माननीय मित्र ने सिफारिश कर दी। उस पर माननीय मंत्री जी ने यह कहने की हिमाकत की कि सिफारिश भी जनसंघ के एम० एल० ए० की करवायी। जिस सरकार में ऐसे व्यक्ति हैं, जो सरकार इतनी नीच हो, जो इतना झुक जाय, उस सरकार से देश का भला होने वाला नहीं है। भारतवर्ष एक व्यक्ति का नहीं है, भारतवर्ष सबका है। हर एक टैक्स पेयर को अपनी बात कहने का अवसर है। लेकिन जहां पर यह हो कि एक पार्टी विशेष को परेशान करने के लिये, जनता को परेशान किया जाय वह जनता इसका बदला अवश्य लेगी। माननीय मुख्य मंत्री जब इसी सदन में साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिकता बहुत कहते रहे तो मैंने पूछा कि महाराज, कौन साम्प्रदायिक है, इस की परिभाषा भी की है। उसका कोई जवाब न देते हुए, उन्होंने अपना तांडव नृत्य दिखाया और हमने उनका तीसरा नेत्र खुलते हुए देखा। उन्होंने कहा—जनसंघ, संघ। सिवा जनसंघ के उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। और उन्होंने कहा कि हम इसको कुचल देंगे। यह सवाल का जवाब मिला। लेकिन प्रदेश की जनता चुप नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, यह जितना भी कहा जा रहा है यह रिलेवेंट है या केवल यह प्रवचन है, जैसा कि वह दूसरों के लिए कहते हैं?

श्री अधिष्ठाता—मैं रोकूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं तो मोतीलाल जी, आपकी मदद कर रहा था। हाउस खाली है। बाकी सारे बंधु चले गये। बिल अभी पास हो जायगा। अगर मैं न बोलता तो

मोतीलाल जी को मौका ही नहीं मिलता । अगर मैं भी वाक आउट कर जाता तो उनको मौका ही नहीं मिलता—हमी अगर न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देख कर आप शरमाइयेगा । बिल हमारी वजह से चल रहा है । आप का बिल चलाये जा रहे हैं, इसका आपको धन्यवाद देना चाहिये । लेकिन मैं मास्टर नहीं हूं जो दूसरों को सिखाऊं । मैं तो शिष्य हूं, जो सीखता है । वह तो मास्टर की आदत होती है कि सौ बार सिखाओ नहीं सीख पाता, और खासकर कानपुर का ।

मुझे ज्यादा नहीं कहना है । चूंकि इसमें परिधि बढ़ाने की बात कही गयी है इसलिये एक बात कहने का मौका है । जज रिवीजन के यहां जो कोर्ट फीस लगा दी है, उससे तो यह निरर्थक हो गया है । अपील में तो कोर्ट फीस लगी ही थी ५ फीसदी । अब यहां पर दो चीजें और रखी गयी हैं । जज रिवीजन और जज अपील । पहला लेकुना उसमें यह है कि जज अपील के यहां अपील कर दे, लेकिन अपील का फैसला होने तक उसको रेमेडी स्टे की नहीं मिलेगी । अगर मैं गलती पर हूं तो मुझे मंत्री जी सुधार दें । जहां भी अपील का प्राविजन होता है, अपीलेट कोर्ट को लोअर कोर्ट के फैसले को स्टे करने का पहला अधिकार होता है । लेकिन इस सेल्स टैक्स ऐक्ट में जज अपील को स्टे करने का अधिकार नहीं है । जब जज रिवीजन के पास जाइये तो वह स्टे करेंगे । जज रिवीजन के पास जाइये तो कहते हैं, यह मामूली अर्जी नहीं है, इसमें एक रेमेडी मांग रहे हो स्टे करने की, लिहाजा इस पर भी कोर्ट फीस दो । मुझे ऐसी इत्तिला मिली है कि कई जज रिवीजन ने ऐसे फैसले दिये हैं कि इस पर भी कोर्ट फीस लगाओ, यानी २५ रुपया इस पर भी दो । यह तो न्याय नहीं है । हमने पहले भी अर्ज किया था । उस समय हमारा मजाक उड़ाया जाता था । लेकिन यह रूलिंग हो चुकी है, ऐसा मुझे विश्वसनीय सूत्रों से और उधर के बैठने वाले आदरणीय सदस्यों से मालूम हुआ है । मुझे तो सेल्स टैक्स में प्रैक्टिस करने का कभी इत्तफाक हुआ नहीं । तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिये कि एक तरफ तो अपील में पूरी फीस देनी पड़े और फिर एक मामूली स्टे आर्डर के लिये भी देना पड़े । यह लैकुना सरकार शीघ्र सुधारे ।

दूसरी चीज यह कि जज अपील में केवल ऐसे आदमी रखे जाने चाहिये जो जुडिशियरी के हों, जिनका सेल्स टैक्स विभाग से संबंध न रहा हो, क्योंकि हमारा यह अनुभव है कि जो नायब तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर हो जाता है भगवान उससे बचाये । हमेशा वह अपने उस दायरे के अन्दर ही रहता है, उससे बाहर वह नहीं जा सकता । यानी अगर उसको मुंसिफ बना दें या जज बना दें तो सबको सजा दे देगा । इसी तरीके से सेल्स टैक्स विभाग से जो जाते हैं, कोई एक्सेप्शन एकाध भले ही हो जाय, वरना ९०–९५ फीसदी जो होते हैं उनका नुक्तेनिगाह कमिट करने का होता है । वह नीचे वालों के फैसले को बहाल करते चले जाते हैं । यह दृष्टि उनकी रहती है । तो जब यह दृष्टि रहेगी तो न्याय नहीं हो पायेगा । इसलिये जरूरी यह है कि वह जुडिशियरी वाले ही रखे जायं । इस समय मुझे ऐसा पता लगा है कि पांच या छः में शायद दो ऐसे हैं जो जुडिशियरी के हैं जब कि इसमें सेंटपरसेंट जुडिशियरी के आदमी होने चाहिये । यह बहुत जरूरी है इन्साफ के लिये । इसके अतिरिक्त स्टे का प्राविजन भी जज अपील को दिया जाना चाहिये । ऐसी व्यवस्था इसमें होनी चाहिये । अच्छा तो यह होता कि कोर्ट फीस का प्राविजन ही इसमें से हटा लिया जाता ।

इन शब्दों के साथ मैं आपक द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस चीज को सिम्पिलीफाई करें और जहां-जहां की दिक्कतें आयी हैं उन सबको मद्दे नजर रखते हुये एक काम्प्रीहेंसिव बिल लायें । खाद्यान्नों पर से टैक्स हटा लें । जज अपील की पूरी व्यवस्था करें और जुडिशियरी के आदमी उसके लिये रखें ताकि यह दिक्कतें न हों । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं—

"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह के लिये वितरित कर दिया जाय । जनमत एक माह में संग्रह होकर सदन में प्रस्तुत हो ।" मान्यवर, यह संशोधन मैं इसलिये उपस्थित कर रहा हूं कि बिक्री-कर की वजह से आज जो खाद्यान्न संबंधी परिस्थिति हमारे प्रदेश में पैदा हो रही थी वह इस विधेयक के पास हो जाने के बाद और गंभीरतम हो जायगी । यह सर्वमान्य बात है कि आज हमें आजाद हुए १४ वर्ष हो गए । और हम अन्न संकट को दूर नहीं कर सके जिस समय हम १९४७ में आजाद हुए थे उस समय अन्न संकट हमारे प्रदेश पर जरूर था, लेकिन उस मात्रा में नहीं था जिस मात्रा में पिछले १४ वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़कर के आज हो गया है । हमारे देश की लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार के नेताओं ने ऐसा वादा किया था कि हम प्रथम योजना के बाद अन्न संकट को दूर कर देंगे और हमको इस बात की आवश्यकता नहीं रह जायगी कि हम विदेशों से अन्न मंगायें । लेकिन वह उनकी कल्पना, कल्पना ही रही और पूरी न हो सकी । प्रथम पंचवर्षीय योजना तो दूर रही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो चुकी और आज हमारे देश में अन्न संकट जैसा था उससे ज्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ । इसमें मेरा ऐसा विचार है कि इस बिक्री-कर ने भी हमारे देश के अन्न संकट को बढ़ाने में काफी हिस्सा लिया है, कुछ कम हिस्सा नहीं लिया है । खाद्यान्नों पर अगर बिक्री-कर न लगाया जाय तो मेरा अपना विश्वास है कि हमारे खाद्यान्नों के उत्पादन में आज वृद्धि हो सकती है । आज खाद्यान्नों के वितरण में जो बाधायें पड़ रही हैं वह दूर हो सकती हैं और वह सस्ते दामों पर लोगों को मिल सकता है । लेकिन हमारी सरकार रोटी पर टैक्स लगा कर गरीब से गरीब आदमियों को भूखों मारना चाहती है । हमारे पूर्व वक्ता विष्ट जी ने जैसा कहा, इस टैक्स का असर मजदूर पर, गरीब आदमी पर, रिक्शा चलाने वालों पर, छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों पर पड़ता है । सरकार के जो चौथी क्लास के कर्मचारी हैं उन पर और अ प वेतन भोगी जो १०० रुपये मासिक तक की तनख्वाह वाले क्लर्क हैं, उन पर पड़ता है और उनको अन्न महंगे दामों पर मिलता है । सरकार जो बिक्री-कर लगाती है वह आसमान से नहीं टूट पड़ता बल्कि वह उन गरीबों से ही वसूल किया जाता है जो खाद्यान्न के बिना जीवित नहीं रह सकते । मैं तो कहता हूं कि कोई व्यक्ति बिना कपड़े के, शिक्षा के, औषधियों के रह सकता है किन्तु खाद्यान्न के बिना नहीं रह सकता । इसलिये सरकार को इस टैक्स को लगाने में गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

सरकार ने इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा है कि "किसान को इस प्रकार जो कठिनाई होती है उसे दूर करने के लिये यह निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है कि कोई भी व्यापारी उस व्यक्ति के सिवाय, जिसे उसने माल बेचा हो, अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री-कर के रूप में वसूल करेगा और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा ।" सरकार का कहना है कि वह यह विधेयक इसलिये ला रही है कि किसान से कोई पैसा वसूल न किया जाय, लेकिन उपरोक्त कथन पर गंभीरतापूर्वक विचार करने से उसका असली उद्देश्य प्रकट हो जाता है । इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि ऐसे सभी कमीशन एजेन्ट और अन्य व्यापारिक अभिकर्ता, जो अपने मालिकों की तरफ से माल खरीदेंगे या बेचेंगे, बिक्री-कर के देनदार होंगे । यह आप खंड २ के द्वारा करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बतला तो यह रही है कि किसान से बिक्री-कर का कोई पैसा वसूल नहीं किया जायगा, लेकिन वास्तव में वह कर ऐसा नहीं रही है । बाजार में कच्ची आढ़त वालों द्वारा किसान का माल पक्की आढ़त वालों के पास तक पहुंचता है । आप उन कच्ची आढ़त वालों पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं । मैं बाजार से संबंध रखता हूं और उस अनुभव के आधार पर अपनी बात कह रहा हूं । किसान अन्न उत्पादन करता है और उस अन्न को देहात का छोटा व्यापारी खरीद कर घोड़ों और बैलगाड़ियों से बाजार में ले जाता है । कच्ची आढ़त वाला उस माल को अपने यहां रख लेता है और उसे पक्की आढ़त

वालों को दिखलाता है । पक्का आढ़ती माल का भाव तय करता है और भाव तय होने पर कच्चे आढ़ती द्वारा वह माल तौला जाता है पक्के आढ़ती के हाथ । बेचने वाला देहात से लाने वाला होता है और खरीदने वाला पक्का आढ़ती है । कच्चे आढ़ती का काम और उसकी मजदूरी केवल इतनी है कि वह माल को अपने यहां उतरव कर रखता है और बाजार में पक्के आढ़ती को दिखलाता है और सौदा तय हो जाने पर उसके हाथ उस माल को तौल देता है । और उसके बदले में उसको एक पैसा रुपया तुलाई पक्के आढ़ती से मिलती है । बस यही उसको मजदूरी मिलती है और यही उसका काम होता है । यही बाजार का कायदा है जो हमारे यहां शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत आदि में भी प्रचलित है । बरेली के माननीय सदस्य इस समय यहां उपस्थित हैं, वे भले ही इस बिल का विरोध न करें क्योंकि वह उनकी पार्टी की ओर से आया है, किन्तु मेरे विचारों का अवश्य समर्थन करेंगे ।

कच्चे आढ़ती का तो इतना ही फर्ज है कि वह शाम को अपनी रिपोर्ट दे दे कि हमारे पास फलां-फलां व्यापारी का इतना माल आया और फलां व्यापारी ने या पक्के आढ़ती ने इतना माल लिया । अगर सरकार कर लगाना चाहती है तो उस देहात वाले व्यापारी पर टैक्स लगाये । मैं यह मानता हूं कि अगर सरकार उस व्यापारी पर टैक्स लगायेगी तो वह भार किसान पर ही पड़ेगा, किन्तु कच्चे आढ़ती पर तो टैक्स किसी हालत से लगना ही नहीं चाहिये । टैक्स तो उसी पर लगना चाहिये जो देहात से बाजार में लाता है । सरकार अगर सिंगल प्वाइन्ट टैक्स लगाती है तो उसे वह पक्के आढ़ती पर लगाना चाहिये जिसने कि अन्त में माल खरीदा । अगर मल्टी-पाइन्ट टैक्स लगाना चाहती है तो उस व्यापारी पर भी लगाये जो देहात से माल को लाता है और उस पर भी जिसने पक्के आढ़ती की हैसियत से माल खरीदा । ऐसा न करके सरकार की जो नीति है वह कच्चे आढ़ती का खून करने की है । मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम सरकार के लिये ही अहितकर होगा । इससे बाजार के ट्रान्जैक्शन्स पर असर पड़ेगा और फिर सरकार को एक न एक दिन इस कदम को वापस लेना पड़ेगा । सरकार को अपनी इस नीति को बदलना होगा ।

श्रीमन्, सरकार जो संशोधन करने जा रही है खंड २ में, वह अब तक बिक्री-कर अधिनियम में इस प्रकार था—"जो कि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो", इस प्राविजन में कच्चा आढ़ती नहीं आता । अब सरकार इसको बदलना चाहती है और उसमें कच्चे आढ़ती को भी शामिल करना चाहती है । जब कि इस प्राविजन के अन्तर्गत अब तक कच्चा आढ़ती आता ही नहीं था, फिर भी बिक्री-कर अधिकारियों ने प्रत्येक जिले में कच्चे आढ़तियों पर भी टैक्स लगा दिया था । उन लोगों ने हाई कोर्ट में अपीलें कर रखी हैं जो अभी पेंडिंग हैं । कुछ में जजमेंट भी हो चुके हैं । मैं यह समझता हूं कि उनकी अपीलें ठीक हैं और उनका निर्णय उनके अनुकूल होगा । हाई कोर्ट के न्याय से कच्चे आढ़ती को वंचित रखने के लिये ही सरकार इस विधेयक को ला रही है । और इस धारा में जो संशोधन सरकार करना चाहती है वह इस प्रकार है—"जो कि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो या जिसके माध्यम से माल बेचा जाता हो" । अगर ये शब्द "जिसके माध्यम से माल बेचा जाता हो" इस संशोधन में न हों तो यह इतना खतरनाक न होता, लेकिन "माध्यम" का मतलब है कि सरकार कच्चे आढ़ती को अपने फंदे में फांस कर टैक्स लगाना चाहती है जो न वास्तव में खरीदता है, न बेचता है, केवल अपनी मजदूरी करता है और तौल कर माल को पक्के आढ़ती को दे देता है । आप मजदूरी पर टैक्स लगाना चाहते हैं, बिक्री पर नहीं, बिक्री की आय पर नहीं । इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको जनमत संग्रह के लिये एक मास के लिये जनता के सामने भेज दिया जाय ताकि इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति इसको जान सकें कि सरकार किस प्रकार उनकी गर्दन पर छुरी चला रही है और वह इसका विरोध कर सकें, अपने-अपने जिलों के विधायकों से कह सकें कि वह इस सदन में आकर इसका विरोध करें । केवल इसलिये कि सरकार की ओर से टिकट मिलने पर चुनकर आये हैं इसलिये यहां मूक न बने रहें, उनके जिले का व्यापार नष्ट होने से बचाया जा सके और किसानों पर टैक्स

[श्री देवनारायण भारतीय]

लगने की परिस्थिति न आने पाये । मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और इसे जनमत संग्रह के लिये एक मास के लिये जनता में वितरित करेगी और गंभीरता से इस पर विचार करेगी तभी कोई कदम बढ़ायेगी ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जब सुना था कि सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल उपस्थित होने वाला है तो मुझे ऐसी आशा थी कि कदाचित् कोई ऐसा बिल आता होगा जिसका बहुधा इस सदन में जिक्र होता रहा है, एक काम्प्रिहेंसिव बिल के नाम से जिसके बारे में कहा जाता रहा है । जब-जब कोई बिल आया तो कहा गया कि यह बिल तो अमुक सिचुएशन को मीट करने के लिये हम मूव कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बिल आयेगा जिसमें हम सारी दिक्कतों को दूर कर सकेंगे । लेकिन मैं अपने हृदय के अन्तरतम से कहना चाहता हूं कि मुझे बड़ा दुःख हुआ जब कि मैंने उस बिल को पढ़ा ।

मेरा ऐसा खयाल है कि इस बिल के साथ न सरकार ने न्याय किया, न विभाग ने न्याय किया, न अपोजीशन के माननीय सदस्यों ने न्याय किया और न ही शायद प्रेस वालों ने न्याय किया । जब जब ऐसा विषय आया जिसका असर एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है, उस पर जब कोई फुलझड़ी इस सदन में छूटती है तो प्रेस उसका नोटिस लेता है, हम भी दिलचस्पी लेते हैं विशेष कर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य । लेकिन जब कोई सार्वजनिक विषय आया हो तो सब उसमें दिलचस्पी न लें, या बहुत सारे न लें, यह किसी भी पक्ष के लिये शोभनीय बात नहीं मालूम होती ।

इस बिल पर आते हुये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इसका लक्ष्य क्या है । यदि इसका लक्ष्य वह है जो उद्देश्य और कारणों में दिया गया है तो हमें किसी और नतीजे पर आना पड़ेगा । यदि इसका वह लक्ष्य है जो बहुधा इस सदन में बताया जाता रहा है तो शायद हमें दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा । मान्यवर, मैं इस बात को मानता हूं कि जिसको अभी माननीय गोविन्द सिंह विष्ट ने कहा कि वास्तव में इस सदन में हमारे यहां के पिछले वित्त मंत्री ने ऐसी घोषणा की थी जोरदार शब्दों में कि खाद्यान्न पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जायगा, यदि ये बातें पूरी हो जायंगी । उन्होंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया कि इतना सेल्स टैक्स वसूल होना है और माननीय मंत्री जी का कहना यह था कि अगर निर्धारित टैक्स वसूल हो जायगा तो सरकार को खुशी होगी और सरकार जल्द से जल्द उस टैक्स को हटाने का प्रयत्न करेगी । लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बावजूद भी ऐसा प्रयत्न नहीं हुआ । सरकार की तरफ से कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में जांच कराती और लक्ष्य के प्राप्त कर लेने के बाद उसको हटाने का प्रयत्न करती । लक्ष्य से अधिक धनराशि प्राप्ति हो गई, लेकिन सरकार के द्वारा उस एश्योरेंस की पूर्ति नहीं की गई । इसके बारे में मुझे पहले भी संकेत करने का मौका मिला था और वित्त मंत्री जी ने कहा था कि अगर ऐसा आश्वासन दिया गया होगा तो सरकार अवश्य उस पर विचार करेगी ।

दूसरी बात, थोड़ा इतिहास की ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह उत्तर प्रदेश का एक दुर्भाग्य रहा है कि सेल्स टैक्स के कानूनों में इतनी जल्दी-जल्दी संशोधन किये गये हैं जितनी जल्दी और किसी कानून में नहीं किये गये । जब कभी कोई दिक्कत आती है तभी एक अमेंडमेंट ला दिया जाता है । जब से सेल्स टैक्स कानून इस सूबे में चालू हुआ है, १, २, ३, ४, अमेंडिंग बिल हर साल आ ही जाते हैं । यही कारण है कि आज कोई भी सेल्स टैक्स के कानून की किताब आपको अप-टू-डेट नहीं मिलेगी । जब सरकार जनता से सेल्स टैक्स वसूल करती है तो उसका यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह तेजी से अमेंड होने वाले इस कानून की जानकारी जनता को कराये । माननीय मंत्री जी को साधनों की वजह से भले ही कोई अप-टू-डेट कापी मिल जाय, लेकिन मेरा खयाल है, यत्न करने पर भी पूरी कापी मिल सकना कठिन ही होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त विभाग की ओर से अभी तक सेल्स टैक्स मैनुअल नहीं बनाई गई है । इन्कमटैक्स आदि दूसरे टैक्स भी वसूल किये जाते हैं, लेकिन उनकी मैनुअल्स छपी हुई हैं । दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने भी पुस्तकें छाप रखी हैं, लेकिन हमारे सूबे का विभाग इस ओर से अभी तक उदासीन ही रहा है । हमारे मंत्री जी प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर अवश्य ध्यान दें ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि एक विशेष परिस्थिति में इस प्रदेश में इस बात की मांग हुई थी और हड़ताल भी हुई थी कि सरकार को खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये । मैंने भी सदा उस मांग का समर्थन किया है तथा हमेशा उसका समर्थन करता रहूंगा । इसके अलावा एक मांग और हुई थी कि जो छोटे-छोटे आढ़तिये या दूसरे ऐसे लोग हैं जो किसानों अर्थात् पैदा करने वाले और जरूरतमंद खरीदने वाले उपभोक्ता को मिलाते हैं, उन पर कोई टैक्स न लगाया जाय । सरकार ने इस चीज को माना था और माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि ऐसी स्थिति में जो लोग आते हैं उन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये तथा इसी आधार पर विभाग की ओर से सर्कुलर्स जारी किये गये थे । जो सर्कुलर कई पेज का जारी हुआ था उसकी एक कापी मेरे पास भी गई थी जिसमें विस्तारपूर्वक यह दिया हुआ था कि यदि एक आदमी केवल इतना ही करता है कि अनाज पैदा करने वाले और इस्तेमाल करने वाले दोनों को मिला देता है और उसके लिये कुछ कमीशन या तुलाई ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति पर कोई टक्स नहीं लगना चाहिये । यह था सरकार का स्पष्ट आश्वासन और उसके सर्क्यूलर की लिखित मंशा । उसके बाद सरकार के पास शिकायत आई और एक शिष्टमंडल आया । उन्होंने कहा कि व्यवहार में आपके सर्क्यूलर तथा आपके आदेश का पालन नहीं हो रहा है । ये सेल्स टैक्स आफिसर जो हैं, जिन्हें पालिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है वे किसी न किसी ऐसी एविडेंस की मांग करते हैं कि जिसके फलस्वरूप यह सम्भव नहीं हो पाता कि कोई आदमी इस कैटेगरी में आ पावे और उसका लाभ उठा पावे । हर आदमी जो कमीशन एजेंट का काम करता है, उनके सम्बन्ध में उनकी राय पहले ही से बनी रहती है कि उनके ऊपर टैक्स लगना चाहिये । और आपका यह सर्क्यूलर डेड लेटर की तरह से पड़ा ही रह जाता है । सारे प्रदेश भर से इसकी शिकायत आई और डेपुटेशन भी मिला और सारे तथ्य को सामने रखा । इसका इससे बढ़ कर क्या प्रमाण हो सकता है कि सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री की ओर से इस प्रकार का आदेश दिया गया है और आपके द्वारा नगरों को आदेश भेजा गया है कि ऐसे सारे असेसमेंट रोक दिये जायं, क्योंकि सरकार इस विषय में निश्चय करने जा रही है । वही परम्परायें सरकार की रहती हैं ।

मान्यवर, मैं समझता था कि बहुत शीघ्र कदाचित् वह समय आयेगा, जब ये दिक्कतें दूर हो जायेंगी, लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई इस बिल को देख कर कि उन दिक्कतों का दूर करना तो अलग रहा, उस तरफ आगे बढ़ना तो अलग रहा, जो कदम हम उठा चुके थे, जितना सरकार आगे बढ़ चुकी थी, उससे बिलकुल दूसरी दिशा में सरकार पीछे की ओर हट गई । मेरे हृदय में यह आशंका है कि उस तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया क्योंकि मेरा विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री जी के हृदय में वह आशंका उत्पन्न हुई होती जो मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है, तो वे कभी भी इस बिल को पेश करने की इजाजत नहीं देते । हो सकता है कि मैं इसको समझ नहीं पाया हूं । यदि ऐसा होगा तो मुझे बड़ा हर्ष होगा अपनी भूल स्वीकार करने में और अपने को संशोधित करने में । लेकिन कदाचित् मेरी आशंका सही हो कि आगे से पीछे हटाने वाला कदम उठाया गया है और जो आश्वासन जनता को पहले दिया जा चुका है उससे हम आगे बढ़ चुके हैं । तो सरकार पूर्णतया इस बिल को वापस ले या इसको इस तरह से संशोधित करे जिससे उनके उस सर्क्यूलर और आश्वासन की पूर्ति हो सके, जैसी कि उनकी मंशा थी ।

इस सम्बन्ध में मुझे कई और बातें कहनी हैं । इस के इतिहास के विषय में मुझे यह कहना है कि पहली दफा जब यह बिल सदन में आया तो उसमें डीलर्स की डेफिनेशन की बात आई थी । उस समय मैंने इस सदन का अमूल्य एक घंटा समय लिया था । दुर्भाग्यवश वह दिन ऐसा था

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जब कि आपोजीशन वाक आउट कर चुका था और सदन उसको पारित करने के लिये तन्मय नहीं था । लेकिन मैंने तीन चार घंटे में सदन का एक घंटा समय लिया । उस समय कमीशन एजेंट के ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी डाली गई तो मैंने कहा था कि आप कमीशन एजेंट पर यह जिम्मेदारी डाल कर एक खतरे को दावत देते हैं ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, कोरम की ओर संकेत होने से, जो शिकायत मैंने आरम्भ की थी वह और भी सिद्ध होती है ।

तो मैं यह कह रहा था कि इस विषय में मैंने उस समय निवेदन किया था कि हम एक खतरे को दावत दे रहे हैं और अपनी मंशा के खिलाफ कर रहे हैं । हमने सेल्स टैक्स की मौजूदा प्रावीजंस के अन्तर्गत यह निश्चय कर रखा है कि काश्तकार की उपज पर टैक्स नहीं लगाया जायगा । यही नहीं, जहां हमने बिक्री धन यानी टर्न-ओवर की परिभाषा की है वहां हमने उसको उससे निकाल दिया है यानी काश्तकार की उपज टर्न-ओवर में जोड़ी ही नहीं जायगी । दूसरी छूट हमने यह दे रखी है कि ज व्यक्ति १२ हजार से कम उपज साल में करता हो या बिक्री करता हो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, अब वह लिमिट १२ हजार से २५ हजार हो चुकी है । तो दूसरा कमिटमेन्ट यह है कि २५ हजार तक जिसका बिक्री-धन हो उसको उससे मुक्त रखा जाय । तो जो सदन के बनाये हुये कानून की मंशा है वह किसी दूसरे दरवाजे से कत्ल न हो जाय । यह देखने में भोला लगने वाला संशोधन उन दोनों मंशाओं को बिलकुल समाप्त कर देता है और एक तरह से उसका आरम्भ तो हो चुका था उसी दिन जिस दिन हमने टर्न ओवर की डेफीनेशन बदली और कमीशन एजेन्ट को जिम्मेदार ठहराया । जब मैंने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया तो बजाय इसके कि कोई उस तरफ कदम उठता हुआ, यह कि सरकार की तरफ से एक प्रेस नोट, एक विज्ञप्ति निकली और उसमें कह दिया गया कि सेल्स-टैक्स का काश्तकार से वसूल करना या उस व्यक्ति से वसूल करना जिसकी तरफ से वह बेचा जाता हो कानून के खिलाफ है, उसको वसूल करना चाहिये उस व्यक्ति से जो उसको खरीदता हो । मैंने, मान्यवर, अवसर आने पर इस सदन में और अन्यथा भी सरकार तक यह निवेदन पहुंचाने का प्रयत्न किया कि यह विज्ञप्ति कानून के विरुद्ध है, इस विज्ञप्ति को आप कानून के द्वारा ठीक नहीं साबित कर सकते और यह कानून की कसौटी पर आज या कल गलत साबित होगी ।

(इस समय २ बजकर ९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

उस वक्त मेरे इस निवेदन को कुछ ऐसा ही समझ कर छोड़ दिया गया, लेकिन वह आवश्यकता आई और आज का यह संशोधन विधेयक इस बात का प्रतीक है कि उस गलती को माना जा रहा है । यह तस्लीम किया जा रहा है कि वह विज्ञप्ति काफी नहीं थी उस मंशा को पूरा करने के लिये । तो यह तो रही मंशा की बात ।

अब देखना यह है कि हमारा लक्ष्य आखिर है क्या । हमारा लक्ष्य उस काश्तकार को मदद पहुंचाना है या उस काश्तकार को मदद पहुंचाने का केवल नाम लेकर के अपनी चाल को समाप्त कर देना है, और जो एक दिक्कत हमारे सामने आई है हमारी भूल की वहज से उसका हम किसी तरह से निराकरण कर दें । अगर इतनी ही मंशा है तब तो वह पूरी हो जाती है । लेकिन अगर मंशा यह है कि काश्तकार को जिसके नाम की दुहाई उद्देश्य और कारणों में है, उसको कुछ फायदा पहुंचाना है तो वह इससे पूरा नहीं होता । अगर इस सिद्धान्त को मान लें तो जितने भी टैक्सेज होते हैं उनको हम पूर्णतः उपभोक्ता पर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके इंसीडेंस को, तब तो कदाचित् मैन्यूफैक्चरर्स और उत्पादकों की समस्यायें ही खत्म हो जाती हैं । लेकिन देखना यह है इस स्थिति में यह सम्भव है जो लोग खाद्यान्न को बेचते हैं वह उस टैक्स के बोझ को उस गल्ले

के खरीदने वाले पर ट्रांसफर कर सकते हैं ? यदि कर सकते हैं तो कोई दोष नहीं है । लेकिन अगर वस्तु स्थिति को समझा जाय और वास्तविक कठिनाइयों को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि यह सम्भव नहीं है । जब यह सम्भव नहीं है तब एक ही उपाय रह जाता है कि जिस आदमी को माल बेचा जायगा उस आदमी को उस टैक्स का बोझ उठाना पड़ेगा ।

उद्देश्य और कारणों को देख कर मुझे अचम्भा हुआ जिसमें लिखा है "यह देखा गया है कि बहुत से कमीशन एजेंट कुछ प्रपत्र (forms) छपवा कर यह प्रदर्शित करने के लिये झूठा साक्ष्य तैयार करते हैं कि उन्हें अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार प्राप्त नहीं है और वे केवल दलाल हैं जो क्रेता और विक्रेता को एक दूसरे के निकट लाते हैं ।" मैं मान्यवर, आपके द्वारा कहूंगा कि वह इसका जवाब दें, अपने विभाग से जानने की कृपा करें कि कितने ऐसे केसेज, अंदाज से नहीं बल्कि लिखित डिसाइड केसेज, उनके नोटिस में आये हैं जिनमें कि इस तरह का साक्ष्य झूठा पाया गया और घोषित किया गया ?

दूसरी बात, इसमें यह कहा गया है "इस कदाचार से जहां एक ओर राज्य के राजस्व को बड़ी हानि पहुंच रही है वहां दूसरी ओर ईमानदार व्यापारियों में बड़ा असंतोष भी पैदा हो रहा है ।" जो काम, मान्यवर, हम करें उसका बोझ दूसरे पर डाल कर करें यह भी एक तरीका हो सकता है । मैं अपनी शंका का समाधान करने के लिये एक दूसरी प्रार्थना मंत्री जी से करूंगा, वे उस पर प्रकाश डालें, कि यू० पी० में किस शहर से और कौन सा डेप्यूटेशन ऐसा आया जिसमें यह मांग की गई कि इस तरह का संशोधन, जैसा आज लाया जा रहा है, आप लायें और आपने जो आज तक अपने आप जिस तथ्य को मान रखा था, जिस क्लास को छूट दे रखी थी उसको भी आप बन्द कर दें ? यदि ऐसा कोई डेप्यूटेशन आया हो तो मंत्री जी कृपा कर बतायें जिससे हम लोग भी जब अपनी कांस्टीट्यूऐंसी में जायं तो लोगों से कह सकें कि हमारी सरकार मजबूर थी, जब प्रदेश के लोग ही ऐसी मांग करते हैं तो सरकार को करना ही पड़ता है ।

तीसरी बात——यह कहना कि इस तरह से झूठा साक्ष्य तैयार किया जा रहा है, जब कि सरकार ने स्वयं इस तथ्य को माना है, स्वीकार कर चुकी है लिखित आदेश के द्वारा कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार से केवल उपभोक्ता और पैदा करने वालों को एक साथ लाना चाहता है उसको हम कर नहीं लगाना चाहते, तब फिर ऐसा आरोप कहाँ तक ठीक हो सकता है, मैं नहीं समझ सका ।

इसके अलावा मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर अब उस क्लास का क्या होगा ? आप जरा देर को मान लें जो आपके अधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गई और जिसके आधार पर यह उद्देश्य और कारण लिखा गया यह ठीक है, और यह भी ठीक है कि हमारे प्रदेश में कुछ व्यापारी लोग झूठा साक्ष्य तैयार कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि हम वास्तव में तो ऐसा काम नहीं करते हैं । हम जो हैं सो हैं लेकिन हमें देखना यह चाहिये कि हम खरीददार और पैदा करने वाले को ही एक साथ केवल लेते हैं और इसके अतिरिक्त इसका कोई कारण नहीं है तब तो मैं ठीक समझता हूं लेकिन आखिर कुछ लोग तो ऐसे इस प्रदेश में होंगे जो सच्चे होंगे और जो इस कैटेगरी में नहीं आते होंगे । मैं आदर के साथ मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया देखें कि इस कानून के बाद उनका क्या होगा जिनके लिये आप संकेत कर रहे हैं उद्देश्य और कारणों में । आप जिस अमेंडिंग बिल को पास करने जा रहे हैं उसका परिणाम तो यह होगा कि जिनको आपने छूट दे रखी थी उनको भी आप इसमें ले लेंगे, यदि इसके सिवाय और कोई बात हो तो बताने की कृपा करेंगे ।

मान्यवर, मैं यह आशा कर रहा था कि यह चीज शोभा की नहीं है कि एक साल में दो तीन बार संशोधन एक बिल में लाये जायें । हम क्यों न एक दफा ही सारी खराबियों की तरफ ध्यान दें ? आखिर हर बिल में खराबियां तो हो ही सकती हैं लेकिन एक दफा सोच समझ कर उसको कार्यान्वित करने का यत्न क्यों नहीं करते ? यों तो एक सेल्स टैक्स ऐडवाजरी कमेटी आपने बना रखी है और कदाचित उसके पीछे यही मंशा होगी कि सेल्स टैक्स के मामलों में उससे राय ली

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जाय। यदि उसका लक्ष्य यही है तो पता नहीं है कि इस अमेंडिंग बिल के बारे में उस कमेटी की राय से कोई लाभ उठाया गया है या नहीं, या किसी बिक्री कर के संबंध में किसी नीति के बारे में उठाया गया है या नहीं। यह उचित तो है ही लेकिन यह भी उचित है कि जो सदन में दो तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है उन पर विचार किया जाय। मैं उन बातों में से दो एक बातों की ओर कहूंगा।

कोई कानून आप बनाते हैं वह तो ठीक ही है। लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिये जो एजेन्सी आपको रखनी चाहिये वह ऐसी होनी चाहिये जिसमें जनता की आस्था और उसका विश्वास हो। जो प्रश्न उत्पन्न होते हों उनको निश्चित करने की जो एजेंसी हो वह जनता का विश्वास प्राप्त कर ले, ऐसी होनी चाहिये। अब सरकार ने यह नीति रखी है कि जो जज अपील्स होंगे उनको हम सेल्स टैक्स आफिसर्स के काडर में से लेंगे। यों तो हर बात के लिये औचित्य दिया जा सकता है कि दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा होता है लेकिन प्रश्न यह है कि हर वक्त तो हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों का अगुआ बनने का दावा करता है और आदर्श की बात करता है लेकिन इसमें वह क्यों पीछे हट रहा है ? क्या वह जो न्यायाधीश थे अन्याय कर रहे थे ? उनका केवल यही तो दोष था कि अगर कहीं मनमाना असेसमेंट हो जाता था तो वह न्याय करते थे। इससे कोई कष्ट विभाग को या सरकार को उत्पन्न हो गया हो और इस भावना से यह किया जा रहा है तो वह अशोभनीय है। माननीय मंत्री जी जिन्होंने इस पोर्टफोलियो को संभाला है, जो जनतंत्र में विश्वास रखते हैं और उच्चकोटि के कानून जानने वाले हैं, मैं समझता हूं कि वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

पिछली बार जब इस सदन में सेल्स टैक्स अमेंडमेंट बिल आया था और उसके द्वारा कोर्ट फीस ऐक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात हो रही थी तब इस सदन के माननीय सदस्यों, जिन में मैं भी एक था, ने कुछ संशोधन किये थे। मेरा संशोधन यह था कि न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार अव्वल तो कोर्ट फीस लगनी ही नहीं चाहिये लेकिन यदि आप लगायेंगे ही तो कम से कम उन श्रेणियों के लोगों को छोड़ दीजिये जो निम्न स्तर के हैं, गरीब हैं जिनकी आमदनी कम है, वे बिक्री कर से मुक्त हों। तो हाउस में उस समय माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना की गई थी कि हमारे खयाल से यह अन्याय है और हम इसे अन्याय समझते हैं कि इस तरह से अपील पर जो टैक्स लिया जाता है और जो व्यवस्था इसके लिये रखी है और जो रिकवरी की जाती है, उसे रोक दिया जाय। हमारी प्रार्थना थी कि ऐसी अपील पर कोर्ट फीस न हो। उस समय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और इस सदन के सदस्यों से कहा था कि हम अपने संशोधन को वापस कर लें, वे जब रुल्स बनायेंगे, तब इस ओर ध्यान देंगे। लेकिन रुल्स बनते समय स्थगन एप्लीकेशन की बात तो हमने रखी, लेकिन जहां तक कोर्ट फीस की बात है, जो निम्न स्तर के लोग हैं, मजदूर और विवश हैं, ऐसी परिस्थिति में नहीं हैं कि कोर्ट फीस दे सकें, उनको उससे मुक्त नहीं किया गया। मान्यवर, मैं समझता था कि इस संशोधन विधेयक में इस ओर ध्यान दिया जायेगा और इस कमी को जो हम अनुभव कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जब कि मुझे यह कहना पड़ता है, हमको और मौके मिलते नहीं हैं और यही अवसर है जब कि हम कुछ निवेदन कर सकते हैं और इसीलिये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस तरह की दरख्वास्तों पर उनके लिये टिकट न लगें। हम देखते हैं कि उनसे वह लिया जा रहा है और जैसे रिवीजन की बात आती है, तो उसका एक अजीब इन्टरप्रिटेशन है। वह कहते हैं कि नया व्यापारी है और एक एजेन्सी है जिनको अपील करने का अधिकार है और दूसरी एजेन्सी है जिसको अपील के फैसले के लिये जाना पड़ेगा। इसका यह मतलब है कि अपील के दिन तक वह सारी सुविधाओं से वंचित रहे। उसे अपने जिले से लखनऊ तक आना पड़ता है, वकील और रेल का खर्चा करना पड़ता है। इस तरह से उसकी कठिनाइयां आपने बढ़ा दी हैं। वह दो रुपये कोर्ट फीस के देगा, लेकिन पता नहीं यह कैसे कर दिया कि उसे ५ रुपये एप्लीकेशन की

स्टे का देना चाहिये । मेरा खयाल है कि यह इन्टरप्रिटेशन बिल्कुल गलत है। वह इतना कहां से देगा, जिसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, जो इतना खर्चा करेगा कि उसे न्याय मिले तो इस तरह से उसे सरकार का विश्वास कैसे प्राप्त होगा ?

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस बात की ओर और इस तरह की तमाम दूसरी बातों की ओर वे अपना ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न करें। दूसरे संशोधन बिल में केवल एक कठिनाई को दूर करने के लिये ही व्यवस्था न करें बल्कि अब जब इस तरह का संशोधन बिल लायें, तो इस तरह के जितने भी लैकुना हैं, जितनी भी कमियां रह गई हैं, उन सभी का समावेश उस संशोधन विधेयक में हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि वह इन कठिनाइयों का समाधान कर सकें तो इसके लिये मैं उनका आभारी हूंगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष—आप ७, ८ मिनट में समाप्त कर द ।

*श्री भुवनेशभूषण शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिक्री-कर विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का जो प्रस्ताव किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । बड़े आश्चर्य की बात है हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, जो जो वित्त मंत्री हुये हैं, उन्होंने जिस वक्त भी कोई बिक्री कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, आज तक सदन में उसके ऊपर काफी हो हल्ला हुआ, इसके बारे में बहस हुई और जो पिछले वित्त मंत्री जी माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम और माननीय अली जहीर साहब थे, उन्होंने तो यह बात सदन के सम्मुख रखी थी कि यदि सेल्स टैक्स के रूप में हमें इतनी धनराशि मिल जायेगी तो फिर आगे विचार करेंगे और खाद्यान्न पर बिक्री कर समाप्त कर देंगे। श्रीमन्, हर चीज पर सेल्स टैक्स लगता है, इसलिये अगर खाद्यान्न पर से सेल्स टैक्स हटा लिया जाय तो ठीक होगा। जिस समय हमारे नये वित्त मंत्री जी आये थे तो हम सब लोगों का यह खयाल था, कि चूंकि उनको ऐसा अवकाश मिला है कि वे जनता के साथ अधिक बैठ सकें, जनता के साथ और अधिक रहने के बाद उनको यह पद मिला है, इसलिये शायद वे उनकी कठिनाइयों को देखकर खाद्यान्न से सदा के लिये बिक्री कर को हटा लेंगे और इसके लिये वे एक नया विधेयक लायेंगे । लेकिन, श्रीमन् ऐसा नहीं हुआ ।

यह जो दूसरा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह और भी भयंकर है । विधेयक कभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां पर जितने भी माननीय सदस्य हैं, वे इस ऐसाता को जानते हैं कि जो कच्चा आढ़तिया होता है, वह बाजार में एक स्थान किराये पर बलये रहता है । जो किसान देहात से गल्ला लाते हैं, वह उनसे लेकर उसको उसी दाम पर बिके आढ़तियों के हाथ में देता है । जो छोटा दूकानदार होता है वह कच्चा आढ़तिया कहलाता है । माननीय मंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो तीर चलाया गया है, वह छोटे आढ़तियों को लगेगा और जो आदमी दिन भर पैदा करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालता है, उसकी रोजी पर आप हमला कर रहे हैं । इस विधेयक से यह स्पष्ट होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी की नियत बहुत खराब है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । आप सरकार की नियत के बारे में कह सकते हैं, माननीय वित्त मंत्री जी की नियत के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं । आप इन शब्दों को वापस लें ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—मैं अपने इन शब्दों को वापस लेता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके संबध में हमारी जो सरकार है, उसकी नियत खराब है। सरकार चाहती है कि जो छोटे-छोटे दुकानदार गल्ले का व्यापार करते हैं, उनको समाप्त कर दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भुवनेशभूषण शर्मा]

जाय। सरकार स्टेट ट्रेडिंग की प्रथा को लाना चाहती है। वह गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है। हमारी सरकार ने गरीबों की रोजी पर हमला किया है। मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सरकार को इस प्रकार की सलाह देता है? सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिये जिससे गरीबों को फायदा हो और उनको सहूलियतें मिल सकें लेकिन हमारी जो आज की सरकार है, वह ऐसे कानून बनाती है जिससे गरीबों को नुकसान होता है। इसमें अब एक बात का यह भी प्राविजन किया गया है कि एक सेल्स टैक्स आफिसर जो नीचे से तरक्की करके आयेगा, उसको अपील सुनने का अधिकार होगा। इससे पहले सेल्स टैक्स आफिसर डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक का होता था। अब इन अफसरों को भी अपील सुनने का अधिकार हो गया है। लेकिन अपील सुनने वाले को यदि वह प्रार्थना-पत्र देता है कि हमारा रुपया तब तक स्टे कर दिया जाय जब तक कि हमारी अपील की सुनवायी न हो जाय क्योंकि इसमें आप स्वतः देखेंगे कि इतना रुपया हम पर नहीं लगना चाहिये तो वह कहता है कि हमें अधिकार नहीं है। उसका अधिकार लखनऊ में बैठे हुए एक अधिकारी को है। जब वह व्यक्ति रुपया खर्च करके लखनऊ आता है तो उस पर ५ परसेंट कोर्ट फीस लगानी पड़ेगी तब वह कहीं स्टे होगा। एक हजार रुपया अगर किसी को देना है तो ५० रुपये कोर्ट फीस तो उसको देनी पड़ेगी ही और इसके अलावा लखनऊ आने में और वकील को करने में जो पैसा खर्च करना पड़ेगा वह अलग रहा। होना यह चाहिये कि न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और शीघ्र हो। इसके बारे में कई बार यहां कहा गया लेकिन कोई सुनवायी नहीं हुई। जो छोटे-छोटे गरीब आदमी हैं, और जो तरीका हमेशा से चला आया है कि जो कच्चे आढ़ती है उनके बारे में आज सरकार कहती है कि उसमें बड़ी बेईमानी है और उन्होंने झूठे कागज छपवा कर रख लिये हैं ताकि सरकार को टैक्स न देना पड़े। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कोई भी कानून जो वह सेल्स टैक्स के संबंध में बनायें तो उसके पहले एक ऐसी समिति बनायें जिससे वह सलाह लेकर कानून बनायें। मंत्री जी कहते हैं कि बहुत से उन ईमानदार व्यापारियों को जो रजिस्टर्ड हैं उनको बड़ा नुकसान होता है और ये कच्चे आढ़ती उनको ठेस पहुंचाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ईमानदार व्यापारियों के कितने डेप्युटेशन उनसे या सरकार से मिले हैं जिन्होंने यह कहा हो कि उन पर टैक्स लग जाता है और ये छोटे-छोटे दूकानदार टैक्स देते नहीं हैं और झूठी-मूठी दूकानें किये हुए हैं? एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिये मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और खाद्यान्न पर टैक्स न लें क्योंकि इससे गरीबों पर ही अधिक बोझ पड़ता है। जितना यह टैक्स लगेगा उतना ही किसानों से गल्ला सस्ता लिया जायगा और यह सारे का सारा टैक्स उन्हीं पर लग जायगा।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले यह आवश्यक समझता हूं कि माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल को, जो बरेली के माननीय सदस्य हैं, बधाई दूं कि उन्होंने निर्भीकतापूर्वक सरकार द्वारा उपस्थित विधेयक का विरोध किया और जो जनता की सच्ची बातें थीं वे इस सदन के सम्मुख रखीं। मैं संक्षेप में यह कह देना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करे कि खाद्यान्न पर से टैक्स को हटा लें, न सिंगिल प्वाइंट टैक्स रखें न मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स रखें, किसी भी प्रकार का टैक्स खाद्यान्न पर नहीं होना चाहिये ताकि जो हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग भूखों मरने की नौबत में है उस से उसकी रक्षा हो सके। सरकार किसानों के बचाव का जो धोखा देकर टैक्स की वृद्धि करना चाहती है कि इससे किसानों को लाभ होगा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह टैक्स लौट फिर कर किसानों पर ही पड़ेगा। माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर मैं विश्वास नहीं करता। उनका आश्वासन बना रहेगा और कच्चे आढ़तियों पर यह टैक्स धड़ाधड़ लगेगा। और किसी दृष्टि से न सही तो कम से कम इस दृष्टि से ही कि चुनाव आ रहा है, इस विधेयक के द्वारा माननीय मंत्री जी कांग्रेस के कफन में आखिरी कील न ठोंकें और अपनी पराजय का मार्ग प्रशस्त न करें। मैं आशा करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस लेंगे और किसानों को और अधिक कष्ट देने का प्रयत्न न करेंगे। उनके शासन काल में किसानों को काफी सुख पहुंचा है और इस विधेयक के द्वारा जो और पहुंचने वाला है उससे उनको माफ रखेंगे।

*श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, कर सभी खराब होते हैं। मुझे यह सौभाग्य रहा है कि मैं इस सदन का मेम्बर काफी दिन तक रहा और उस सदन का भी रहा हूं। लेकिन यह शुभ अवसर मुझे कभी भी प्राप्त नहीं हुआ जब किसी ने यह कहा हो कि यह कर ठीक है और इसको लगा दिया जाय। इसलिये आपके समक्ष यह स्वीकार कर लने में कि बिक्री-कर भी इसी श्रेणी में से एक है जो अरुचिकर है, मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरा अपना खयाल था और इसी कारण इस पर प्रस्ताव करते समय मैंने सदन का समय लेना उचित नहीं समझा ताकि सभी माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल जाय। विचार व्यक्त करने में यह आवश्यक होता है कि विधेयक की धाराओं का अध्ययन किया जाय और अध्ययन करने के बाद यह देखा जाय कि इसके प्राण कहां हैं और किस कारण से यह विधेयक लाया गया है।

भारतीय जी ने अभी कहा, मैं समझता हूं कि मैं शायद कोई गलती नहीं करूंगा यह कहने में कि वह भी एक कच्चे आढ़ती हैं और अगर काश्तकारों का गल्ला उनके यहां या उनके साथियों के पास आता है और काश्तकारों से सेल्स टैक्स न कहकर किसी दूसरे रूप में कुछ वसूल किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी इन आढ़तियों पर होती है क्योंकि जो सेल्स टैक्स अधिनियम है या जो विधेयक है उसमें लिखा है कि काश्तकारों से जब वह अपना गल्ला बाजार में बेचने के लिये लाते हैं तो कोई सेल्स टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये। यही कारण है कि विधेयक में भी यह आवश्यक हो गया है, इतने दिनों के तजुर्बे के बाद यह आवश्यक हो गया है कि विधेयक में प्रत्यक्ष रूप से लिखा जाय कि किसी भी रूप में काश्तकार से कुछ नहीं लिया जा सकता है। यह बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है।

कहा यह जाता है और यह ठीक है कि कमीशन एजेन्टों से तथा कच्चे आढ़तियों से हम सेल्स टैक्स लेना चाहते हैं, जो कच्चे आढ़तियों के नाम के अन्दर इसके तहत में क्रय विक्रय का काम करते हैं। लेकिन जो कच्चा आढ़ती केवल यह काम करता है कि काश्तकार का गल्ला एक व्यापारी के पास पहुंचा देता है और उसका कुछ कमीशन ले लेता है, तो वह तब भी मुक्त था, आज भी है और सदैव रहेगा। लेकिन अगर वह कच्चे आढ़ती का काम न करके साथ ही क्रय विक्रय करता है, गल्ला खुद खरीदता है उस गल्ले को बेचता है और आढ़ती का भी काम करता है तो अगर उसका टर्नओवर २५ हजार रुपये से अधिक होगा, तो उसको यह कर देना पड़ेगा।

यह कहा गया और बड़े मार्मिक शब्दों में कहा गया, मैं तो उन मार्मिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, कि यह टैक्स रोटी पर लगता है। ठीक बात है। रोटी पर तो टैक्स है लेकिन वह गरीब की रोटी पर टैक्स नहीं है। वह अमीर की रोटी पर टैक्स है, जो खुद खेती नहीं करता, गल्ला खरीद कर खाता है। छोटा व्यापारी इससे मुक्त है, जिसका २५ हजार रुपये सालाना से टर्नओवर कम है। टर्नओवर की परिभाषा में कोई चेंज नहीं किया गया है। डीलर की परिभाषा में इस समय चेंज है। डीलर की परिभाषा में यह चेंज किया गया है कि अगर वह डीलर ऐसा है जो किसी से माल खरीदता और बेचता है तो वह भी टैक्स का भागीदार होगा। लेकिन अगर उसका काम केवल यहीं तक सीमित है कि वह बेचने और खरीदने वाले, को दोनों को मिला देता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पहली चीज इसमें यह है कि जो पहले यह कहा गया था कि वह कच्चा आढ़ती जिसको दलाल कह लीजिये या कुछ और, जिसका काम केवल इतना है कि वह बेचने वाले काश्तकार को और खरीदने वाले को इकट्ठा कर देता है, उससे कोई टैक्स नहीं लिया जायगा। लेकिन उसके साथ-साथ यह बात भी स्पष्ट कर दी जाय कि जो ऐसा बीच का आदमी हो जो स्वयं व्यापार करता है उसको यह टैक्स देना पड़ेगा।

दूसरी बात इस बिल में इसलिये रखी गयी कि जब काश्तकार गल्ला ले आता है तो आज होता क्या है? इस संबंध में व्यापारी और कुछ इस सदन के माननीय सदस्य भी मुझसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरगोविन्दसिंह]

मिले। वे भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आज भी कच्चा आढ़ती धर्मादा के नाम पर बहुत सा पैसा काश्तकार से ले लेता है। जब सेल्स टैक्स देने की बात होती है तब वह यह कहता है कि मैं तो केवल बिचवायी हूं। लेकिन वह पैसा ले लेता है। इस चीज को बन्द करने के लिये यह जरूरी हुआ कि स्पष्ट शब्दों में यह रखा जाय कि किसी भी रूप में किसी भी नाम से कच्चा आढ़ती काश्तकार से यह नहीं ले सकता।

यह भी कहा गया कि इस बिल में समय-समय पर बड़े संशोधन हुए। यह सही है और शायद यह भी अंशतः या पूर्णतः सत्य हो कि जितने संशोधन इस अधिनियम में हुए और जितनी जल्दी हुए यह कोई ठीक बात नहीं कही जा सकती। लेकिन कानून की परिपाटी यह होती है कि कानून पहले से किसी चीज के लिये नहीं बनता। अगर कोई बड़ा कानूनवेत्ता बैठ कर यह कहे कि जो जो परिस्थितियां उत्पन्न होती जायंगी उन सब का यहां एक कानून बना दूं, तो उसका यह प्रयास कभी भी सफल होने का नहीं। कानून का निर्माता तो वास्तव में परिस्थितियां और वातावरण हुआ करता है। समाज में जो वातावरण उत्पन्न होता है, जो आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, उसके पीछे तब कानून बनता है। तो सेल्स टैक्स में भी यही हो रहा है। ज्यों-ज्यों आवश्यकता उत्पन्न होती गई, ज्यों-ज्यों देखा गया कि अब इस बात की आवश्यकता है, त्यों-त्यों उस कानून का संशोधन हुआ। यह बात ठीक है कि उसका आज तक कोई मैन्युअल नहीं बन सका। लेकिन वह माननीय सदस्य यहां नहीं हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इस बिल के पास हो जाने के बाद जल्दी ही एक मैन्युअल, प्रूफ उसका हो रहा है प्रेस में, संघटित रूप में भवन के सामने आ जायगा। तो कानून ऐसे बनता है।

हां, गल्ले पर कर न लगना चाहिये, ठीक है, किसी चीज पर कर न लगना चाहिये। गल्ले पर कर न लगना चाहिये, कपड़े पर भी न लगना चाहिये, मकान बनाने की चीजों पर भी न लगना चाहिये क्योंकि यह सब चीजें मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं की हैं। हर एक आदमी को कपड़ा भी चाहिये, हर एक आदमी को मकान भी चाहिये, हर एक आदमी को खाद्यान्न भी चाहिये और अगर यह हर प्रकार के टैक्स से वह मुक्त हों तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन वह मुक्ति आवेगी कब? इससे मुक्ति तो, श्रीमन, तब आ सकती है जब इस देश में धन की उत्पत्ति इतनी बढ़ जाय कि जितने और कार्य पढ़ाई लिखाई दवादारू आदि के हैं वह सब बिला इन चीजों पर टैक्स लगाये पूरे हो सकें। तो हम एक विशेष सर्किल में घूमते हैं। लेकिन जब तक वह अवस्था नहीं आती, जब तक धन का इतना उत्पादन नहीं होता तब तक आपको अपनी गरीबी में अपने पेट को काटकर ही धन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसको प्राप्त करके ही तब आप इस ओर बढ़ सकते हैं। अगर खाद्यान्नों पर टैक्स न लगे तो बड़ी सुन्दर बात है। लेकिन कोई यही प्रान्त नहीं है जिसने इस पर टक्स लगाया हो। हिन्दुस्तान के और प्रान्त हैं जिन्होंने कि इस पर टैक्स लगाया है और आपको मैं यह भी बताऊं कि शायद अब तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो धन लगेगा उसके लिये शायद अब कोई प्रान्त ऐसा नहीं रह जायगा कि जो इसको न लगाये।

तो यह तो बात ठीक है लेकिन जब हम काश्तकारों पर नहीं लगाते हैं जो खेती करते हैं तो ८० फीसदी आदमी जो देहात में रहते हैं जो खेती पर निर्भर हैं उन पर तो यह टैक्स लगा नहीं क्योंकि वह तो जो खेती करते हैं उसको खाते हैं। शहर में रहने वाले लोग जो खेती नहीं करते, जो दूकान से खरीदकर खाते हैं उनके ऊपर यह टैक्स लगा है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—यह मजदूर और रिक्शा चालक जो हैं ....

श्री हरगोविन्दसिंह—वह मजदूर शहर में कितने हैं और देहात में कितने हैं, यह भी समझ लीजिये। शहर में भी वह मजदूर किसी बड़े आढ़तिये के यहां से दो चार हजार का गल्ला खरीदने नहीं जाता। वह तो उस दूकान पर जाता है जिसका कि टर्न-ओवर २५ हजार से कम है। वह एक या दो रुपये का गल्ला खरीदता है। इसलिये उस पर टैक्स नहीं लगता। तो यह कह देना कि गरीब पर या उसके पेट पर टैक्स लगता है, यह बिलकुल गलत है, इस का कोई आधार नहीं है। यह तो एक प्रोपेगन्डा की बात है। जैसा मैंने कहा, किस प्रकार

से एक रिट्रोग्रेड स्टेप यह हो गया? अगर यह होता कि कच्चे आढ़तिये पर भी यह टैक्स लग गया होता तो बात दूसरी थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितनी बातें यहां कही गईं जैसे कि टैक्स लगने के कारण काश्तकार हमारा पिटा जा रहा है जो यह कच्चे आढ़तिये उससे ले लेते हैं, उसको बन्द करने के लिये है, वह निर्मूल हैं।

अब एक यह जो इसमें रखा गया है और बहुत दिनों से हमारे सामने यह सवाल था और इस सम्बन्ध में प्रान्त के बहुत से रोजगारी और इस सदन के माननीय सदस्य भी आये और यह तय हुआ कि कच्चे आढ़तिये को किस प्रकार से मुक्त किया जाय। हम नहीं चाहते और अगर हमारे सेल्स टैक्स आफिसर्स के जरिये जिन लोगों पर टैक्स नहीं लगना चाहिए उन लोगों पर टक्स लगता है, तो यह अनुचित बात है, हमारा प्रयत्न होगा और आपका भी प्रयत्न होना चाहिये, माननीय सदस्यों का भी प्रयत्न होना चाहिये कि वह हमें बतावें और अगर जांच के बाद यह साबित होता है कि जिन पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, जिनका टर्न ओवर २५,००० से कम है, उन पर टक्स लग रहा है, तो मैं, श्रीमन, आपको और आपके द्वारा सदन के माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बात का प्रयत्न होगा कि उनसे टैक्स न लिया जाय। अगर सचमुच में जिनको उससे मुक्ति मिलनी चाहिये, विभागीय अफसरों के द्वारा उनको मुक्ति नहीं मिलती है और अगर उनमें यह खामी है तो अगर आवश्यक हुआ तो उनका खामियाजा भी उनको उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह कहना कि यह रिट्रोग्रेड स्टेप है, ठीक नहीं है। कच्चे आढ़ती को हम इससे अलग रखना चाहते हैं। जो बाजार में बैठकर काश्तकार और दूकानदार को एक कर देता है उससे हम एक पैसा लेना नहीं चाहते ....

श्री उपाध्यक्ष—आप कितना समय और लेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी समाप्त कर दूंगा। लेकिन अगर उससे टैक्स लिया जाता है और वह दे देता है तो इस विधेयक में इस बात का प्रतिबन्ध रखा गया है कि वह टक्स उससे ले सकता है जिनको वह गल्ला बेचता है। पहले यह नहीं था। वह हमको बतावे कि फलां काश्तकार का गल्ला फलां रोजगारी को बेचा गया है और हम उससे टैक्स ले लेंगे। अभी तो वह कहता है कि हम इन्टरमीडियेरी हैं, बड़ा दूकानदार कहता है कि हम बाहर के आदमी के एजेंट हैं। पहली बार ६ पाई रुपया टैक्स लगाया गया था, फिर उसे कम करके ३ पाई रुपया कर दिया गया, लेकिन बहुत कम रकम उससे मिली। उसके बाद कम्पसेशन फीस लगायी गयी, लेकिन बहुत कम रकम मिली। उसके बाद फ्लैट रेट लगाया गया, लेकिन उसके बाद ही कच्चे और पक्के आढ़ती का सवाल आ गया। बहुत सोचने के बाद यह रखा गया कि अगर कच्चा आढ़ती टैक्स दे देता है तो वह उसे पक्के आढ़ती से ले सकता है और हम पक्के आढ़ती से टैक्स नहीं लेंगे। यह चीज पहले नहीं थी। यह इसलिये रखा गया कि कच्चा आढ़ती खुद परेशान न हो, बल्कि हमें वह बतलावे कि गल्ला कहां गया ताकि हम पक्के आढ़ती से टैक्स ले सकें। हम तो इसमें सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहा जा रहा है कि यह रिट्रोग्रेड स्टेप है। मैं नहीं समझता कि यह बात कहां तक सही है। अगर कोई सज्जन कह दें कि पहले जो था वही कर दिया जाय, कच्चे और पक्के आढ़ती, जिससे चाहें उससे लें, तो उसे मैं अनुचित समझता हूं। न्याय की दृष्टि से उसे मैं ठीक नहीं समझता। इसीलिये यह संशोधन लाया गया है। आशा है कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को एक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और जो एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ को जनमत संग्रह के लिये वितरित कर दिया जाय। जनमत एक माह में संग्रह होकर सदन में प्रस्तुत हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1961 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २, ३, प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (ग) के स्पष्टीकरण में शब्द "जोकि माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो और जिसे व्यापारिक चलन के अनुसार अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का प्राधिकार हो" के स्थान पर शब्द "जोकि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो या जिसके माध्यम से माल बेचा जाता हो" रख दिये जांय। उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ८—क की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— उत्तर प्रदेश ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ८—क का संशोधन

"(२) (क) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री अथवा खरीद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से कोई धनराशि, न तो बिक्री-कर के रूप में और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप दे कर वसूल करेगा; और कोई व्यापारी, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड है उसके द्वारा या उसके माध्यम से की गई किसी बिक्री या खरीद के सम्बन्ध में उस व्यक्ति के सिवाय जिसे उसने माल बेचा हो अन्य किसी व्यक्ति से कोई धनराशि न तो बिक्री—कर के रूप में वसूल करेगा और न बिक्री-कर के बदले में उस धनराशि को कोई भिन्न नाम या रूप देकर वसूल करेगा।

(ख) यदि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर्ड व्यापारी द्वारा [जिसके अन्तर्गत कमीशन एजेन्ट या धारा २ के खन्ड (ग) के स्पष्टीकरण में उल्लिखित कोई व्यक्ति भी है] किसी विक्रय धन पर बिक्री-कर देय हो तो ऐसा व्यापारी उस व्यक्ति से जिसे उसने चाहे अपनी ओर से या अपने निर्देष्टा की ओर से माल बेचा हो, देय बिक्री-कर की धनराशि के बराबर धनराशि वसूल कर सकता है।"

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१

उत्तर-प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का, उ० प्र० ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई०

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा। संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, प्रस्तावना और शीर्षक तथा खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविंदसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1961] पारित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमें १९५६ का वह दिन याद आ गया, ७ अप्रैल का, जब कि सरकार ने पहली बार गल्ले के ऊपर और कपड़े पर बहुपदीय बिक्री-कर लगाने की कोशिश की थी। हमने उस सम्बन्ध में विरोध किया था और अमीनाबाद में हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी और उस समय आप भी हमारे साथ थे। आपके साथ ही हमको फैजाबाद जेल में रखा गया था।

श्रीमन्, यह ११वां संशोधन है जब से यह बिक्री-कर अधिनियम बना है। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि जब यह बिक्री-कर अधिनियम अपने मूल रूप में यहां प्रस्तुत हुआ था पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त के जमाने में उस समय इसकी मंशा क्या थी? श्रीमन्, उसके प्रीफरेटरी नोट में लिखा हुआ है—

"State Government have started an extensive programme for the economic and cultural development of the State. At the same time owing to prohibition income from excise is likely to shrink gradually.....".

माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस सदन को यह आश्वासन दिया था कि चूंकि सरकार नशाबन्दी की योजना चलाना चाहती है, इसलिये नशाबन्दी योजना को चलाने से राज्य की आय में जो कमी होगी धीरे-धीरे उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार चाहती है बिक्री-कर लगाना और इसलिये सन १९४८ में इस सदन में बिक्री-कर विधेयक प्रस्तुत हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस सरकार को जनतन्त्रवादी सरकार मानने के लिये तैयार नहीं हूं, यह सरकार एक विकृत पूंजी वादी सरकार है। अगर कोई विकृत पूंजीवादी सरकार हो और वह अपने वादे और अपने आश्वासन जो सदन में देती है उसे पूरा करती है तो कोई भी सरकार हो, समाजवादी और जनतन्त्रीय सरकार का तो कहना ही नहीं, लेकिन पूंजीवादी सरकार अगर वादे पूरा करती है तब तो ठीक है, लेकिन आज वह नहीं हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ माननीय मन्त्री जी को सुन कर। सरकार बार-बार दुहाई देती है कि किसानों के ऊपर हम कर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं, इस समय तो वह गप्प में लगे हुये हैं, जरा आप उधर देखें।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय वित्त मन्त्री, राजनारायण जी को शिकायत है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है।

श्री राजनारायण—मूंदहु आंख कतहुं कोउ नाहीं। जो १९४८ की सरकार की मंशा थी, घोषणा थी उसको हमने थोड़े में पढ़ दिया, उसका हिन्दी में अनुवाद भी कर दिया। अगर सही माने में सरकार का वह मंशा है कि वह किसानों को छूट देना चाहती है तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि क्या यह वास्तव में कथनी और करनी की एकता है? हम जब कहते हैं कि आप अलाभकर जोतों पर से टैक्स हटा दो तो छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। इस समय आबपाशी कर घटाने के लिये तैयार नहीं हैं, तीन आने की जो छूट दी थी उसको लेने के लिये उद्यत हैं, तो सरकार किस मुंह से यह सुशोभित समझते हुये कहती है कि हम किसानों पर कर नहीं बढ़ाना चाहते?

मैंने उनके भाषण को जब सुना है तो एक वाक्य का प्रयोग वह हमेशा करते आये हैं, उसका प्रयोग किये बिना वह रहेंगे नहीं कि "जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने विधेयक को पढ़ा ही नहीं।' मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि जरा हमें बता दें कि जो यह संशोधन

[श्री राजनारायण]

रख रहे हैं, "जोकि अपने निर्देष्टाओं की ओर से माल खरीदने या बेचने का व्यापार करता हो" यह तो एक हो गया, लेकिन जिसके 'माध्यम से माल बेचा जाता हो" उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगा सकती है, तो इस विधेयक के अधिनियम के रूप में परिणत हो जाने के बाद माननीय मुख्यमन्त्री जी सरकार की किस मंशा की घोषणा सदन में करते हैं ? कानून की जिस तरह की भाषा होगी, वही उसका भाष्य किया जायगा। 'माध्यम' का अर्थ स्पष्ट है। आज कोई व्यक्ति है जो किसानों को प्रेरित करता है, सहारा देता है और उसका सहारा लेकर किसान जो मुख्य आढ़ती है जिसको आज "पक्का आढ़ती" की संज्ञा दी जा रही है, उस तक पहुंचता है, वह उस कानून के अनुसार कैसे बच जायगा ? इसमें माध्यम' शब्द है, जिसके माध्यम से व्यापार हो, तो माध्यम तो आयेगा ही, चाहे उसने गल्ला खरीदा या नहीं खरीदा। इस परिभाषा के अन्तर्गत जब भी कोई सही भाष्य करेगा तो जो किसानों को सहायता देगा, उनको प्रेरित करेगा और उनको आढ़तिये के पास पहुंचायेगा वही माध्यम कहलायेगा, यही अर्थ इसका होगा।

अब सरकार कहती है कि हमारी इच्छा नहीं है कि इनके ऊपर टैक्स करें। लेकिन सरकार की इच्छा धरी रह जायगी, जो उनकी बढ़िया इच्छा है वह इस कानून से बचती नहीं है। एक बात और जानना चाहता हूं, मौखिक ढंग पर केवल सदन में कह देना कि मैं किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहता, मैं तो उन बड़ों को पकड़ना चाहता हूं जोकि गल्ला खरीद कर खाना खाते हैं, तो क्या केवल बड़े ही खरीद कर खाते हैं ? गल्ला किसान भी खरीदता है और माननीय मन्त्री जी को जानना चाहिये कि अपने प्रदेश में ५ प्रतिशत को छोड़कर ९५ प्रतिशत लोग खरीद कर खाते हैं। ८६ प्रतिशत किसान ऐसे हैं जोकि ६ एकड़ से कम खेत रखते हैं, ये सभी गल्ला खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त भी लोग गल्ला खरीदते हैं, किसान भी गल्ला खरीदता है, छोटे-छोटे कर्मचारी भी गल्ला खरीदते हैं। छोटे-छोटे दूकानदार भी खरीदते हैं, और सरकार के बहुत से मन्त्रीगण भी गल्ला खरीदते होंगे, इसलिए ऐसी बात कह देना बिलकुल असंगत है। यह केवल मौखिक रूप से किसानों को सहानुभूति दिलाने की बात है।

तीसरी बात यह है कि क्या सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि जो पक्का आढ़तिया है वह बिक्री-कर देता है और वह किसान से लेता है। अगर माननीय मन्त्री जी को पता न हो तो माननीय मन्त्री जी इसका पता लगायें कि वह भार किसान पर पड़ता है या नहीं। जिस किसी बीच वाले पर टैक्स लगेगा वह सब जायगा किसान के ही ऊपर।

अगर आप किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो जैसा हमने कहा था आप किसानों के गल्ले की कीमत को निर्धारित कीजिये और उसको सुनियोजित और संतुलित ढंग से तय कीजिये। उसकी लागत, लगान, पानी का पैसा, बीज और खाद का पैसा जोड़ कर गल्ले की कीमत को मुकर्रर किया जाय। इसके अतिरिक्त एक कानून बना दिया जाय कि चार पैसे सेर से अधिक, किसान की निर्धारित कीमत से अधिक, बीच का कोई आदमी न ले, ऐसा कानून बन जाय तब उसके हितों की रक्षा हो सकती है। केवल मौखिक रूप से उसके हितों की रक्षा की बात कहना और उसके हितों की उपेक्षा करना यह ठीक नहीं है।

अब सरकार कहती है कि वह उस कच्चे आढ़तिये पर टैक्स लगाने जा रही है जो २५ हजार रुपये से ज्यादा का टर्न ओवर करता है। कच्चा आढ़तिया हो या पक्का आढ़तिया हो, किसी पर भी टैक्स आप लगायें लेकिन अगर किसान का हित होता है तो आप भले ही लगायें। लेकिन ऐसा यह सरकार कर ही कैसे सकती है जो स्वयं पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है। जिस सरकार के बिक्री-कर का पैसा, सेल्स टैक्स का पैसा, बिजली-कर का पैसा और किसानों के गन्ने का पैसा मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है और सरकार उनसे वसूल नहीं करती, जो सरकार स्वयं पूंजीवादी है, उनको सहूलियत देती है, उनके पालने में सोती है, उनसे सुलभ लाभ उठाती है, वह सरकार क्या किसानों की रक्षा के लिये कोई विधेयक लायेगी ?

अभी सुबह चर्चा थी किसानों के गन्ने की कीमत के बारे में । सरकार कहती है कि हम किसानों को गन्ने की कीमत दिलाने की बात कर रहे हैं । सन् ५१ में इस सरकार ने ५२ के आम निर्वाचन के पूर्व किसानों के गन्ने की कीमत को घटाया और अब ६२ के आम निर्वाचन के पूर्व फिर गन्ने की कीमत को घटा रही है । क्या यह किसानों की रक्षा हो रही है ? यह किसानों का रक्षण नहीं, भक्षण है ।

श्री हरगोविन्दसिंह---मेरे समझाने से तो राजनारायण जी समझेंगे नहीं, फिर उनको क्या समझाऊं ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Sales tax (Second Amendment) Bill, 1961] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ---

पक्ष में---५७,
विपक्ष में---१५ ।)

उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१*

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961] पर विचार किया जाय ।

इस संबंध में मुझे कोई लम्बी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है । इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण दिये हुये हैं....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---यह बिल तो अभी कल ही पुरःस्थापित हुआ है, तो क्या इसके लिये तीन दिन की कैद नहीं लागू होती, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ? क्योंकि हम लोगों ने तो अभी इस बिल को देखा भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो मैं उनको इजाजत दे चुका हूं, पहले उस मौके पर आपको एतराज करना चाहिये था ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, गोविन्दसिंह विष्ट जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस संबंध में आपकी रूलिंग क्या हुई ?

श्री उपाध्यक्ष---श्री गोविन्दसिंह विष्ट ने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि यह विधेयक तीन दिन तक सदन के सामने नहीं था और उसके बारे में उन्होंने आपत्ति की तो मैंने कहा कि विशेष रूप से मैंने उनको पेश करने की इजाजत दे दी है इसलिये वह चालू रहेगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---उनको आपने विशेष परमीशन दे दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---जी हां ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---तब ठीक है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---श्रीमन्, मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण पढ़ रहा था

---

*९ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जो इस प्रकार है—"इस विधेयक का अभिप्राय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में असंगतियां, साधारण प्रकार की अशुद्धियां और त्रुटियां दूर करना तथा कुछ साधारण प्रकार के संशोधन करना है । इनमें से अधिकांश संशोधनों द्वारा उक्त अधिनियमों में पायी गयी गलतियों को सुधारा गया है ।"

विधेयक में एक अनुसूची दी हुई है, उसमें जिन जिन विधेयकों को संशोधित करना है उसका विवरण पूरे तौर से दिया गया है । माननीय सदस्यों को यह विधेयक कल ही मिल चुका है और मैं आशा करता हूं और सही आशा करता हूं कि हमारे मित्रों ने उसको देख लिया होगा । इसमें एक यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४ में कुछ सुधार करना है, यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ में कुछ सुधार करना है, १९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में कुछ त्रुटियां हैं जिनका सुधार करना है । जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में कुछ त्रुटियां हैं जिनको ठीक करना है । उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६ में कुछ गलतियां हैं, उनको दुरुस्त करना है । उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में कुछ गलतियां रह गई हैं, उन्हें दुरुस्त करना है । उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८ में भी एक दफा नं० ६ बेकार है, उसको निकालना है । उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में भी कुछ क्लरीकल मिस्टेक्स हैं, उनको ठीक करना है । यही सब बातें इसमें हैं । मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ को एक दोनों सदन की संयुक्त प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत करे । प्रवर समिति को विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ।

श्रीमन्, हमारा यह दुर्भाग्य सा है कि हमारे सामने जो विधेयक आते हैं वह केवल २४ घंटे के नोटिस के साथ ही आते हैं . . . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—कहां २४ घंटे हुये हैं अभी ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह सही है कि अभी २४ घंटे भी नहीं हुए । जिन अधिनियमों में संशोधन करने के संबंध में यह है वह १६–१६ और १७–१७ साल पुराने हैं । कोई ६ साल पुराना है और कोई ८ साल पुराना भी है । श्रीमन्, कई बार आपके द्वारा हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहे हैं कि जितने भी विधेयक सरकार प्रस्तुत करती है उनका ड्राफ्टिंग बड़ी जल्दबाजी में किया जाता है या जहां ड्राफ्टिंग होता है वहां के लोग लापरवाही करते हैं या अयोग्य से हैं । हमारे यहां एक डेलीगेटेड लेजिसलेशन कमेटी है । उसमें इन बातों की जांच होती रहती है और रिपोर्टें भी आती हैं जिनके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है । फिर भी बहुत से अधिनियमों में त्रुटियां पाकर जो संशोधन करने के लिये यह एकमुश्त विधेयक लाया गया है मैं इसका विरोध करता हूं और यह इसलिये करता हूं कि हमें काफी समय मिलता रहा है, नियमावली में हमारा यह अधिकार सुरक्षित रहा है और आपने भी इस सदन में रूलिंग दी है लेकिन इसमें हमें वह समय नहीं मिला । हमें अधिवेशन शुरू होने के काफी समय पहले कार्यक्रम नहीं मिलता है । सरकार यहां आने पर एकदम बहुत से विधेयक प्रस्तुत कर देती है और हम उनका अध्ययन नहीं कर पाते हैं । आपकी रूलिंग भी इस संबंध में हो चुकी है कि अगर सरकार काफी समय नहीं देगी, जैसा कि नियम में ३ दिन का प्राविधान है, तो ऐसे विधेयक को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जायगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--आप कृपया बैठें । यह जो आपने मेरी रूलिंग बताई .....

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह तो मैं मानता हूं कि आपने उसे बदल दिया ....

श्री उपाध्यक्ष--मैंने यह कहा था कि अगर सरकार का यही रवैया है तो चेयर इस बात को देखेगी कि ऐसी सुविधा उनको न दी जाय । नियमों में यह भी है कि चेयर को अधिकार है कि विशेष अवस्था में संक्षिप्त नोटिस पर भी इजाजत दे दे । आप तो इस तरह से यह बता रहे हैं कि मेरी रूलिंग से सब नियम समाप्त हो गये । दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो जो चेयर की तरफ से आज किया गया है वह नियमानुकूल ही है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमान्, मैं कोई दूसरी बात कहने नहीं जा रहा था । मैं आपके आशय को समझ रहा था । इस समय जो सरकार को अपने चेतावनी दी थी वह ठीक थी । आज आपने जो लीनियेंसी दिखायी है वह भी आपके अधिकार में है लेकिन हमारी भी जो दिक्कतें हैं उनको तो कहेंगे ही .....

श्री उपाध्यक्ष--चेयर की हर बात पर बहस न की जाय । आगे चलें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आज यह विशेष तौर से जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है इसमें कम से कम ८ अधिनियमों की गलतियों को ठीक करने की बात है । उचित तो हमारे लिये यह था कि हम इन आठों अधिनियमों को गौर से देख लेते और परिवर्तनों की जांच कर लेते । यह सदन सर्वोपरि है और इसकी अधिकार सीमा के अन्दर है कि जो अधिनियम बनें उनकी पूरी छानबीन कर ले ताकि कहीं कोई त्रुटियां न रह जायं, किसी प्रकार की असंगतियां न रहने पावें । क्योंकि कभी-कभी साधारण सी त्रुटि की वजह से हाई कोर्ट अधिनियमों को अवैध करार देता है जिसका परिणाम भी हमारे सामने आता रहता है । बहुत से विधेयक सरकार की ओर से इसलिये लाये जाते हैं कि हाई कोर्ट ने किसी भी अधिनियम को गैरकानूनी ठहराया और सरकार बाध्य हुई अपनी गलती को महसूस करे । उसी गलती के सुधार के लिये सदन में विधेयक ले कर आयी । यह काम नितांत हाई कोर्ट का ही नहीं होना चाहिये बल्कि हमारा भी है कि हम, जब कोई अधिनियम बनाया जा रहा है, उसको गौर से देखें ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि उसमें न रह जाय ।

आज अनेक अधिनियमों के बारे में मिश्रित विधेयक प्रस्तुत किया गया है । उसमें जो तमाम त्रुटियां सुधार के लिये बतायी गई हैं उनको हम देख नहीं पाये । फिर भी अपनी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले रहे हैं । सन् १९३४ का ओपियम ऐक्ट है उसमें कुछ सुधार इस रूप में आया कि दफा २३ में कुछ चेंज किया जा रहा है जो पहले इस प्रकार थी :

"Every officer of the Police and Land Revenue Departments, every village headman and every village Chaukidar shall, upon notice given or request made to him be bound to give reasonable aid to any officer of the Excise Department in carrying out the provisions of this Act".

अब आप देखें हेडमैन जो पहले मुखिया हुआ करता था उसके स्थान पर प्रधान और सेक्रेटरी गांव सभा को रखने की बात की जा रही है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह आज ही जान पायी कि मुखिया गांव से हटा दिया गया ? उनको हटाये हुये करीब-करीब ३ साल से ज्यादा समय हो चुका है और फिर भी सरकार उस गलती को दुरुस्त करने के लिये बेखबर रही । आज आयी है उसको ठीक करने के लिये । इसका भी तो कहीं न कहीं सरकार के पास जवाब होना चाहिये कि इस तरह की त्रुटियां क्यों चलती रहती हैं ? यही वजह है कि अगर किसी पुलिस या रेवेन्यू विभाग के अफसर ने किसी किस्म के अफीमचियों को पकड़ने की कोशिश की होगी तो मुखिया की गैरहाजिरी में किसी ने उनको मदद भी न दी होगी । हम कह सकते हैं कि जानबूझ कर यह किया गया । जो परिवर्तन हो रहा है वह समर्थन योग्य है, लेकिन बहुत

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

देर से है और इसका कसूर सरकार पर है । "देर आयद दुरुस्त आयद" इस रूप में सरकार माफी की हकदार है । लेकिन उनकी ग ती है ।

इसी प्रकार से जो कांसीक्वेंशियल परिवर्तन हुए वह दूसरी दफा में हैं, जो दफा २६ हैं :

26. "No suit shall lie in any Civil Court against the Government or a Collector or any officer of the Excise Department for damages for any act in good faith done or ordered to be done in pursuance of this act".

किसी भी अदालत में जब कभी कोई गवर्नमेंट का आफिसर आये और किसी प्रकार के मदाखलाने की चीजें पकड़ने की कोशिश करे तो उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चालू नहीं हो सकेगा । लेकिन इस परिवर्तन के साथ उनके लिये भी सुरक्षा का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट जो सन् ३५ का था उसमें सरकार ने जो एक नया संशोधन किया है मैं उसको बढ़ोत्तरी के रूप में मानता हूं और अभी तक था—

"Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accomodation for not more than six persons exclusive of the driver nine including cycles and tricycles weighing more than 8 cwt. unladen". लेकिन अब सरकार इसके लिये १२० रुपया टैक्स लगा रही है और वह टैक्स पिछले दरवाजे से लगा रही है और यह जो बढ़ोत्तरी है इसके लिये सरकार चाहती है कि यह सदन भी अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दे । सरकार तो सोते जागते, इधर से, उधर से सब तरह से टैक्स बढ़ा लेने का प्रयास करती रहती है और इस पर हमारी मुहर भी चाहती है ।

इसके अतिरिक्त, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २४५ में लिखित भूमिधर द्वारा देय मालगुजारी की मात्रा के बारे में एक संशोधन किया जा रहा है । उसकी अर्थात् २४५ (१) (ग) में पहले यह था :—"यदि वह धारा १८ की उपधारा (२) के अधीन भूमिधर बना हो तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान" । अब उसकी जगह पर "निहित होने के दिनांक ....."

श्री उपाध्यक्ष—माननीय अवस्थी जी, यह सब बातें तो विधेयक में लिखी हुई हैं । आप यह बताइये कि जो परिवर्तन होने जा रहा है उससे क्या दिक्कत होने वाली है और आपके क्या सुझाव हैं । इसको बार-बार पढ़ने से सदन का समय बरबाद होगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं किस तरह से बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं जो बात आपसे कह रहा हू वह तो यही है कि मैं बराबर इस तरह से पूरी किताब पढ़ने की आपको इजाजत नहीं दूंगा । क्या नतीजे परिवर्तन से होंगे या क्यों आप इसको प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं या क्यों परिधि बढ़ाना चाहते हैं या उससे क्या लाभ होगा यह बतावें तो मैं आपको इजाजत दे सकता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जिस तरह से आप मेरे अधिकारों को संकुचित कर रहे हैं उसकी वजह से न केवल मैं बोलना ही पसन्द करूंगा बल्कि इसके विरोध में सदन का भी त्याग कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—धन्यवाद ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—धन्यवाद तो आप देंगे ही ।

(माननीय सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)---सदन में, उपाध्यक्ष महोदय, इस समय कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई)

श्री एस० जी० दत्त---उपाध्यक्ष महोदय, क्या मोतीलाल जी अवस्थी नाराज हो कर जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---कानपुर की हालत कानपुर वाले ही जानें ।

(हंसी)

श्री एस० जी० दत्त---यह तो हमारे यहां के मास्टर साहब हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप आपस में जानते होंगे ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री उपाध्यक्ष---एक जिले के रहने वालों में हमदर्दी होती है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र अवस्थी जी ने फरमाया कि जो हमारे बिल ड्राफ्ट करने वाले हैं, वे बिल्कुल नालायक हैं, इनकाम्पीटेन्ट हैं । मैं इस बात का दावा तो नहीं करता हूं कि हम गलती नहीं करते हैं । हम ही क्या, कोई भी ऐसा नहीं है, जो गलती न करता हो, गलतियां हो जाती हैं, तभी उनका सुधार होता है । वह कहते हैं कि मैं इसका अपोज करता हूं, क्या उनकी मंशा यह है कि जो गलतियां हैं, वे बदस्तूर कायम रहें । अगर सरकार ने किसी स्टेज पर गलतियों को दूर करने और उनको सुधारने का प्रयास किया, तो वह कहते हैं कि गलतियां भी दुरुस्त न की जायें, वे बदस्तूर कायम रहें । हम ऐसी बात नहीं कर सकते हैं । यह भी अल्फाज कहे गये कि जो भी बिल लाये जाते हैं, जब उच्च न्याय लय से कोई रूलिंग हो जाती है तभी ऐसे बिल लाये जाते हैं । लेकिन जहां तक इस बिल का संबंध है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कि कोई हाई कोर्ट की रूलिंग हुई हो और तभी ऐसा प्राविजन रखा गया हो । इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं । जिस वक्त यह ऐक्ट बना उसमें दो धारायें थीं । बाद को वह ऐक्ट संशोधित हुआ और जो दो धारायें थीं, जैसा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में हुआ, वह दोनों धारायें डिलीट हो गई और उनके स्थान पर एक तीसरी धारा बन गई । तो वह केवल एक गलती को ठीक करने की बात है । बाद को एक वही धारा रह जायेगी । इस तरह की जो अशुद्धियां हैं, उन्हीं को ठीक करने के लिये यह विधेयक लाया गया है । मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा---श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री उग्रसेन---श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि कोरम के अभाव में सदन को बन्द कर दिया जाय । आपकी इस संबंध में कई बार रूलिंग भी हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष---मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकारी विधेयक चल रहा है और सदन का कोरम पूरा नहीं है । यह आखिरी मौका है, मुझे मजबूर होकर सदन को मुल्तवी करना पड़ेगा ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Lawes Amending Bill, 1961.] पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २, अनुसूची, प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

(२) अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा उस सीमा तक और उस रीति से संशोधित की जाती हैं जो उसके स्तम्भ ५ में निर्दिष्ट है —

अनुसूची

(धारा २)

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
१	१९३४	३	यू० पी० ओपियम स्मोकिंग ऐक्ट, १९३४	(१) धारा २३ में शब्द "Village headman" के स्थान पर शब्द "Pradhan and Secretary of a Gaon Sabha" रख दिये जायं; और (२) धारा २६ तथा २७ में जहां-जहां भी शब्द "any officer of the Excise Department" आये हों उनके स्थान पर शब्द "any officer of the Excise, Police or Land Revenue Departments, Pradhan or Secretary of a Gaon Sabha or Village Chaukidar" रख दिये जायं ।
२	१९३५	५	यू० पी० मोटर वैहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५	फर्स्ट शिड्यूल के आर्टिकिल २ के खन्ड (१) के उपखन्ड (सी) के पश्चात् नये उपखंड (डी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया । "(*d*) exceeding 40 cwt. in weight unladen.....120-0"
३	१९५१	१	१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम	(१) धारा २४५ की उपधारा (१) के खंड (ग) में शब्द "तो निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय लगान के आधे के बराबर धनराशि या संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझा जाने वाला लगान" के स्थान पर शब्द "तो ऐसी धनराशि जो, यथास्थिति, उस दिनांक, से जबकि वह संयुक्त प्रान्तीय काश्तकार (विशेषाधिकार उपार्जन) विधान (ऐक्ट), १९४९ ई० की धारा ७ के अधीन विशेषाधिकारों का हकदार हो

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
				जाय ठीक पहले के दिनांक पर भूमि के संबंध में उसके द्वारा देय लगान, या उक्त ऐक्ट की धारा ४ के अधीन उसके द्वारा देय समझे जाने वाले लगान, के आधे के बराबर के हो" रख दिये जायं; और (२) अनुसूची २ में क्रम-संख्या ३० के सामने की प्रविष्टि के स्तम्भ ४ के शब्द "तहसीलदार" के स्थान पर शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेन्ट कलेक्टर" रख दिये जायं ।
४	१९५६	११	जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६	(१) धारा २६ के पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—"प्रतिकर विवरण-पत्र को अन्तिम रूप देना"; और (२) धारा २८ की मद (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— "(१) नकदी के रूप में एकमुश्त दी जाने वाली धनराशि की दशा में, धारा २६ के अधीन प्रतिकर विवरण-पत्र को अंतिम रूप देने के दिनांक तक, और"
५	१९५६	१८	उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५६	(१) धारा १५ में अंक तथा अक्षर "२४०—ख" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "२४०-क" रख दिये जायं और अंक तथा अक्षर "११—क" के स्थान पर अंक "१४" रख दिया जाय; तथा (२) धारा २१ में जहां-जहां भी अंक "१९५५" आया हो उसके स्थान पर अंक "१९५६" रख दिया जाय ।
६	१९५७	९	उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६	(१) धारा ८२ में अंक तथा अक्षर "३३२, ३३२—क, ३३२—ख" के स्थान पर अंक तथा अक्षर "३३१—क" रख दिये जायं ; (२) धारा ८४ के पार्श्व शीर्षक में अंक "१७" तथा शब्द "का" के बीच में शब्द और अंक "तथा १९०३ ई० का यू० पी० ऐक्ट २" रख दिये जायं ;

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
				(३) धारा ८४ में शब्द "जैसा कि वह नागर क्षेत्रों में लागू है, निर्वातित हो जायगा और एतद्द्वारा निर्वातित (repealed) किया जाता है," के स्थान पर शब्द तथा अंक "और बुन्देलखंड एलीनेशन आफ लैन्ड ऐक्ट, १९०३, जैसे कि वे नागर क्षेत्रों में लागू हैं, निर्वातित हो जायंगे और एतद्द्वारा निर्वातित (repealed) किये जाते हैं" रख दिये जायं; और (४) अनुसूची के भाग–ख की मद (१) में शब्द "कुमायूं डिवीजन" के स्थान पर शब्द "उपर्युक्त भाग–क की मद (ग) में निर्दिष्ट क्षेत्र को छोड़कर, कुमायूं डिवीजन" रख दिये जायं।
७	१९५८	३३	उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अधिनियम, १९५८	धारा ६ निकाल दी जाय।
८	१९५९	२	उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९	(१) धारा १९३ की उपधारा (२) के खन्ड (क) में शब्द तथा अंक "खंड (४७)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "खंड (४८)" रख दिये जायं; (२) धारा १९४ के खंड (क) में शब्द तथा अंक "खंड (४७)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "खंड (४८)" रख दिये जायं; (३) धारा २१० की उपधारा (१) में शब्द "नगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "समिति के सभापति" रख दिये जायं; (४) धारा २१३ की उपधारा (१) के खंड (ङ) में शब्द तथा अंक "धारा २०४ के" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के" रख दिये जायं; (५) धारा २१३ की उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "उपधारा (२) के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के फल स्वरूप" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी किये गये किसी नोटिस के अनुसरण में" रख दिये जायं;

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५

(६) धारा ४६१ की उपधारा (१) में, उसकी सारिणी के पहले स्तम्भ में आये हुये अंक "२६७ (२)" के स्थान पर अंक "२६७ (३)" रख दिये जायं ;

(७) धारा ४६५ की उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उपधारा (२)" रख दिये जायं ।

(८) अनुसूची २ में—

(१) पैरा ३ में शब्द तथा अंक "and who is not entitled to receive the additional sum of fifteen per centum mentioned in subsection (2) of section 23" निकाल दिये जायं ।

(२) पैरा ५ के उपपैरा (२) में उपधारा (४), (५) तथा (६) की, जिनका लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा १७ में बढ़ाया जाना अपेक्षित है, संख्यायें बदल कर क्रमशः (५), (६) तथा (७) कर दी जायं; और

(३) पैरा १० का उप-पैरा (२) [जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) अधिनियम, १९५९ की धारा १० द्वारा बढ़ाया गया था] निकाल दिया जाय; और

(९) अनुसूची ३ में—

(१) भाग १ की सारिणी के पहले स्तम्भ में —

(क) 'पचास रुपये' जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक तथा कामा "२९३ (३)", निकाल दिये जायं ;

(ख) "दो सौ रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक "४८२" के स्थान पर अंक "४८२(३)" रख दिया जाय; और

क्रम-संख्या	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षनाम	अभ्युक्तियां
१	२	३	४	५
				(ग) "पांच सौ रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक तथा कामा "३२६", निकाल दिये जायं; और (२) भाग २ की सारिणी के पहले स्तम्भ में "पचास रुपये" जुर्माने की प्रविष्टि के सामने आये हुए अंक "४८२" के स्थान पर अंक "४८२ (३)", रख दिया जाय।

उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१

कतिपय अधिनियमितियों को संशोधित करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कतिपय अधिनियमितियों में पायी जाने वाली साधारण प्रकार की असंगतियों (inconsistencies), त्रुटियों और अशुद्धियों को दूर करने के लिये उनमें कतिपय संशोधन किये जायं;

अतएव भारतीय गणतन्त्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षित शीर्षनाम (१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधि संशोधन अधिनियम, १९६१ कहलायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, अनुसूची, खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961] पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१, [The Uttar Pradesh Laws Amending Bill, 1961.] पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति के कारण सदन का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—माननीय शिक्षा मंत्री जी।

(शिक्षा मंत्री जी उस समय सदन में नहीं थे।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सदन में हैं नहीं, इसलिये आप सदन को स्थगित कर दीजिये।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—श्रीमन्, आपने शिक्षा मंत्री जी को बुलाया, लेकिन वह सदन में उपस्थित नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—चूंकि मेरे बुलाने पर भी शिक्षा मंत्री जी इस सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिये अब आगे की कार्यवाही नहीं होगी ।

अब हम उठते हैं और यह सदन कल ११ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३३ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
१० अगस्त, १९६१ ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९९ पर)

D.O. no. 229 (M) P ID-61

SRI S. R. SINGH, I.A.S.
Sachiv.

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
REVENUE (D) DEPARTMENT
VIDHAN BHAWAN

Dated Lucknow, June 3, 1961.

DEAR SIR,

I AM desired to say that it has been brought to notice of Government that cultivators in some areas are finding it difficult to pay land revenue and takavi dues on account of the delay in receipt of full price of the sugarcane supplied by them to sugar factories. The position in this regard has been ascertained from Cane Commissioner. It appears that sugar factories have yet to pay 10 to 15 per cent of the price of sugarcane supplied to them during this fasal. One of the difficulties pointed out in this connection is that stocks of sugar with the mills are not being promptly moved and the mills are therefore not in a position to pay the full price of cane supplied. However, recovery certificates for these amounts have already been forwarded to you by the Cane Commissioner. I am to request you to use your good offices to arrange early payment of the price by the mills, while, at the same time, ensuring that the industry is not adversely affected or the management is not put to undue hardship. The Cane Commissioner hopes that most of the mills would be able to clear off the payments by the end of this month. Till such clearance is made, there may be some cases in your district where cane growing cultivator may be finding it difficult to pay land revenue and takavi dues on account of major portion of the price he is to get for the supply of cane being withheld. In such cases, I am to request you to see that no coercive processes are issued for the recovery of dues and recovery proceedings are kept stayed till the cultivator has received payment of the price of cane supplied to the mills. The passbooks and/or *purchies* with such cultivators may be seen and in consultation with local officers of the Cane Department, you may grant necessary relief to the hard hit cultivators in the matter of recovery of Government dues from them.

2. I am also to request you to take stock of the situation prevailing in this regard and to inform Government, as early as possible, about the exact position obtaining in your district and whether any relief in accordance with the instructions contained in paragraph above has been or is proposed to be allowed by you and, if so, in what manner and to what extent.

Yours sincerely,
S. R. SINGH.

To

ALL DISTRICT OFFICERS OF
THE CANE GROWING DISTRICTS.

No. 229(M) P (i)/ID of date

COPIES forwarded for information to—

(1) Secretary, Board of Revenue, U. P., Lucknow.
(2) All Commissioners of Divisions.
(3) Cane Commissioner, Uttar Pradesh.
(4) Industries (C) Department.

By order,
S. R. SINGH,
Sachiv.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०६—७०७ पर)

सूची

प्रदर्शनकारियों की मांगें

१—तहसील खटीमा के रेंज नैनीताल के अन्तर्गत हल्द्वानी और तराई भाबर के डिवीजन में रखे जाय।

२—किसानों को हक-हकूक की लकड़ी घास व जलाने की लकड़ी पूर्ववत् दी जाय।

३—तहसील खटीमा के अन्तर्गत फारेस्ट सेटिलमेंट के अन्तर्गत जो किसानों की जमीन आ गई है उसे वापस किया जाय और बोजिया काश्तकारों को आबाद करने को दी जायें।

४—तहसील खटीमा के भीतर माल विभाग की ओर से जो बेदखलियां गैर-कानूनी रूप से की जा रही हैं, उसे समाप्त किया जाय।

५—तहसील खटीमा के अन्तर्गत किसी थारू या गरीब किसान की जमीन किसी दूसरे किसान को न दी जाय और थारू काश्तकारों को अन्य काश्तकारों की भांति सभी सुविधायें प्रदान की जायं।

६—खटीमा तहसील के अन्तर्गत शान्ति व सुरक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो।

७—खटीमा-सितारगंज सड़क शीघ्र निर्माण हो।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७—८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०८ पर)

सचिवालय में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक नोट

(जिसका जिक्र श्री रामदुलारे मिश्र, सदस्य विधान सभा, के तारांकित प्रश्न संख्या ७—८ के उत्तर में किया गया है।)

I— वे मदें जिनमें सचिवालय में प्रायः हिन्दी का ही प्रयोग होता है

१—(१) सन् १९४७ में हिन्दी को इस प्रदेश की राजभाषा घोषित करते समय यह आदेश दिये गये थे कि फार्म, रजिस्टर, साइन बोर्ड, बिल्ले, मोहरें, पर्चियां, इत्यादि, हिन्दी में ही रखी जायं अथवा बनाई जायं। इसी नीति का पालन प्रायः पूर्णतया सचिवालय में हो रहा है।

(२) वैभागिक रिपोर्टें भी हिन्दी में, और साथ ही साथ अंग्रेजी में भी, बनाई और छापी जाती हैं। यही स्थिति सरकारी गजट की विज्ञप्तियों, इत्यादि, में लागू हैं।

(३) मंत्रि-परिषद् के नोट भी हिन्दी में तैयार किये जाते हैं। मंत्रि परिषद् की कार्यवाही भी हिन्दी में की जाती है।

(४) विधान मण्डल में पूछे गये प्रश्न और उठाये गये प्रस्ताव (motions) इत्यादि के सम्बन्ध में भी वैभागिक कार्यवाही हिन्दी में होती है।

(५) निम्नलिखित विभागों में प्रायः सभी नोट हिन्दी में लिखे जाते हैं :

(क) भाषा विभाग;

(ख) अभ्यर्थना (पिटीशन) विभाग;

(ग) सूचना विभाग।

अन्य विभागों में अंग्रेजी, और कुछ हद तक हिन्दी, चलती है।

(६) सरकारी समितियों की कार्य-सूचियां तथा कार्यवाहियां हिन्दी में तैयार की जाती हैं।

(७) दौरे के कार्यक्रम, निमंत्रण-पत्र, आदि, हिन्दी में छपाये जाते हैं।

(८) यह भी प्रयत्न हो रहा है कि यथासम्भव भारत सरकार से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही हो।

(९) सम्बन्धित करारनामें के अनुसार निम्नलिखित राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही करने की व्यवस्था है :

(क) मध्य प्रदेश;

(ख) बिहार; और

(ग) राजस्थान।

II—पत्र-व्यवहार

२—जनता से पत्र-व्यहार अधिकतर हिन्दी में ही होता है—खासतौर पर हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जाता है। किन्तु इसके अतिरिक्त पत्र-व्यवहार अधिकतर अंग्रेजी में ही होता है। वे पत्र जिनकी प्रतियां नियम के अनुसार महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, के पास भेजनी होती हैं अंग्रेजी में ही लिखे जाते हैं क्योंकि नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) द्वारा महालेखापाल के दफ्तर में हिन्दी के पत्रों के लिए जाने की व्यवस्था अभी नहीं हुई है। (सचिवालय से जारी हुए आदेश काफी संख्या में वित्त सम्बन्धी होते हैं, अतएव उनकी प्रतियां महालेखापालकों को भी भेजनी होती हैं।)

—हिन्दी प्रयोग सम्बन्धी कठिनाइयां

३——साथ ही साथ, सारा प्रशासनीय काम हिन्दी में ही कराने में कुछ प्रशासनीय कठिनाइयां भी हैं जो भारत सरकार से भी सम्बन्धित हैं और जिनके कारण पूर्ण हिन्दी करण में बाधाएं हो रही हैं, जैसे :

(१) भारत सरकार ने अभी तक हिन्दी टाइपराइटरों का कोई प्रमाणिक की—बोर्ड निर्धारित नहीं किया है जिसके कारण पर्याप्त संख्या में हिन्दी टाइप राइटर नहीं मिल रहे हैं। साथ ही हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी आशुलिपिक भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

(२) भारत सरकार ने अभी तक विधिक, लेखा सम्बन्धी, वित्तीय तथा प्रशासनीय अंग्रेजी शब्दों तथा पदावलियों के ऐसे प्रमाणिक शब्दकोश नहीं प्रकाशित किये हैं जिनकी सहायता से सरकारी निर्देश पुस्तकों का, जिनका उपयोग सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्य में होता रहता है, (जैसे, नियम-संग्रह (मैनुअल), हिन्दी कोड, स्थायी आदेश, फाइनेन्शियल हैण्डबुक्स (एकाउन्ट्स रूल्स), हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जा सके। इन सरकारी निर्देश पुस्तकों के हिन्दी रूपान्तरों के अभाव में हिन्दी में सब काम करने में कठिनाइयां हैं।

(३) इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कठिनाइयां भी हैं जिनके कारण अंग्रेजी का इस्तेमाल अभी काफी हद तक जारी है——मसलन विधिक (legal) मसलों में अंग्रेजी को इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि उच्च न्यायालय की भाषा अभी अंग्रेजी ही है। प्राविधिक और वैज्ञानिक (technical and scientific) मामलों में, और सम्बन्धित विभागों में भी, हिन्दी का प्रयोग अधिक मात्रा में सम्भव नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्राविधिक (technical) और वैज्ञानिक शब्दावलियां (scientific termidology) और मुहाविरे अभी निर्धारित नहीं हुए हैं, हालांकि इसका प्रयत्न हो रहा है।

IV—अभ्युक्ति (Remarks)

४——यद्यपि उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण निकट भविष्य में सचिवालय का सारा कार्य हिन्दी में किया जाना सम्भव नहीं है, तथापि राज्य सरकार हिन्दी की प्रगति बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है। इस सम्बन्ध में सरकार समय-समय पर हिन्दी की प्रगति, न केवल सचिवालय में ही बल्कि अन्य सरकारी दफ्तरों में भी, बढ़ाने के लिये आदेश निकालती रहती है। इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी हाल में कुछ व्यापक निर्णय लिये हैं जिनसे विभागों, विभागाध्यक्षों, आदि, को अवगत कराया जा रहा है।

५——आशा की जाती है कि इस प्रकार हिन्दी के प्रयोग की प्रगति बढ़ती जायगी और अदूर भविष्य में सभी कार्यालयों और विभागों का और भी अधिक कार्य हिन्दी में होने लगेगा।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१० पर)

क्रम-संख्या	नाम ग्राम	२५० से अधिक मालगुजारी देने वाले नाबालिग, बेवा तथा अदम जमींदारों की सीर के काश्तकार
१	सहगौ पच्छिम गांव	..
२	विनायकपुर ..	९
३	तमनपुर ..	..
४	पलिया ..	३
५	गूजरपुर ..	..
६	दोस्तपुर ..	..
७	जहंगीराबाद ..	१
८	टेड़ई ..	..
९	टोडरपुर ..	..
१०	राजामऊ ..	..
११	मुबारकपुर सापों ..	..
१२	चकदोस्तपुर ..	..
१३	रैन ..	१
१४	पस्तौर ..	..
१५	मदाखेरा ..	१५
१६	उदरेहटा ..	..
१७	कुसमौरा ..	..
१८	देवपुरी ..	२९
१९	बछरावां ..	..
२०	फूला ..	..
२१	थुलइन्डी ..	..
२२	इन्हौना ..	३०
२३	सरायमाधो ..	..
२४	डांगी ..	..
२५	भवानीपुर ..	..
२६	पन्डौना ..	..
२७	धीरा पुर ..	..
२८	जनापुर ..	४
२९	तांबामऊ ..	..
३०	बेरारा ..	..
३१	भागीरथपुर ..	१
३२	पिंडारी कला ..	..
३३	लीही ..	..
३४	अहमदाबाद ..	१
३५	शाहमऊ ..	..
३६	बिलवाहसनपुर ..	..
३७	टोडरपुर ..	..
३८	अछई ..	..
३९	शाहपुर ..	..
४०	बलीपुर ..	..
४१	रीवा ..	..
४२	मऊ ..	..
४३	अलाईपुर ..	..
४४	सेमरौता ..	..
४५	अलीपुर ..	..
४६	राजापुर ..	..
४७	नेरेथुआ ..	..
४८	पखनपुर ..	..
४९	राईमऊ	..
५०	ओई ..	..
५१	अटरा ..	..
५२	कोटवामिदिनिया ..	..
५३	बर्रहुआं ..	..
५४	बेनीपुर ..	..
५५	अटरेहटा ..	..
५६	कोकहा रामपुर ..	..
५७	असनी ..	..
५८	जोनहा ..	..
५९	सुल्तानपुर ..	..
६०	हाजीपुर ..	..
६१	धुरौना ..	..
६२	कैड़ाबां ..	..
६३	पूरेअचली ..	..
६४	जहुरावां ..	..
६५	सिरसां ..	..
६६	ओथी ..	..
६७	समसपुर हालोर ..	..
६८	बरवलिया ..	..
६९	जनई ..	..
७०	आजादपुर ..	..
७१	महमानपुर ..	..
७२	खरगपुर ..	..
		९४

उत्तर प्रदेश सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१६ पर)

श्री जंगबहादुर वर्मा, एम० एल० ए० द्वारा गोमती व कल्याणी नदियों की बाढ़ से हानि के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६ से संबंधित

तालिका

क्रम-संख्या	नाम ग्राम जो फिर से बसाये गये	स्थान जहां पर बसाये गये
	तहसील नवाबगंज	
१	खानपुर	.. उसी ग्राम में ऊंचे स्थानों पर पुनः बसाये गये
२	धौरहरा	.. ,,
३	डोंडी मजरे इब्राहीमाबाद	.. ,,
४	कुरौली मजरे जाटा लोखरिया मजरे जाटा रानो खेरा मजरे जाटा	.. ,,
५	बांदीपुरा मजरे तिन्धवानी	.. ,,
	पूरे स्वरूप सिंह मजरे तिन्धवानी ..	.. ,,
	तहसील हैदरगढ़	
६	गोसियामऊ खास	.. आबादी के निकट ऊंचे स्थान पर आबादी के पूर्व बंजर में।
७	पूरे चन्दी मजरे ओलापुर पूरे अम्बर दुबे मजरे ओलापुर	.. पुरानी आबादी के पूर्व ४ फर्लांग।
८	परेजीत तेवारी मजरे शरीफाबाद पूरेलोरी मजरे	.. आबादी के पच्छिम ४ फर्लांग।
	शरीफाबाद शफीपुर मजरे शरीफाबाद	.. आबादी के पच्छिम ६ फर्लांग।

क्रम-संख्या	नाम ग्राम जो फिर से बसाये गये	स्थान जहां पर बसाये गये
९	बैरिहा मजरे बेहटा	.. पुरानी आबादी के पच्छिम २ फर्लांग ग्राम सालपुर में।
१०	पहला	.. आबादी के पच्छिम मजरूआ में।
११	पूरेघीसा मजरे रौनी	.. पुरानी आबादी के निकट ११ मकान तेज्वा-पुर की भूमि में तथा १९ मकान आबादी के दक्षिण पच्छिम में।

तहसील रामसनेही घाट

१२	पूरेगोड़िया मजरे गैरिया	.. ग्राम गैरिया की खास आबादी के निकट उसी ग्राम की ग्राम समाज भूमिपर।

पीड़ितों को दी गई सहायता

		रु०
(क)	१—अहेतुक सहायता	३,९२०
	२—मकान बनाने के लिए सब्सिडी	२१,९९६
	३—मकान बनाने के लिए तकावी	१६,०२५
	४—अन्य तकावी	८,५४०
	योग ..	५०,४८१

(ख) इसके अतिरिक्त मालगुजारी में भी ८,७८६. ६ पैसे की छूट दी गई।

विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५–३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१८ पर)

सूची 'क'

उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का काम निम्नलिखित स्थानों पर चल रहा है :

१—पुराना कानपुर

२—लखनऊ

३—कड़ा, इलाहाबाद

४—कालपी, जालौन

५—गरुड़, अल्मोड़ा

६—खाद, गूजर, मुरादाबाद

७—सहारनपुर

८—इलाहाबाद

९—मेरठ

विधान सभा सदस्य दस्तेर

सूची 'ख'

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में हस्तनिर्मित कागज निर्माण केन्द्र कालपी के उत्पादन, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यों को इन्टेन्सीफाई किया जायगा तथा राज्य में १५ सहकारी समितियों का संगठन किया जायगा। अस्थायी तौर पर यह समितियां निम्नलिखित जिलों में संगठित करने का प्रस्ताव है :

१—देवरिया
२—बस्ती
३—मथुरा
४—सुल्तानपुर
५—बुलन्दशहर
६—गाजीपुर
७—बरेली
८—सहारनपुर
९—बांदा
१०—फैजाबाद
११—इलाहाबाद
१२—बिजनौर
१३—देहरादून
१४—मेरठ
१५—बदायूं

निजी क्षेत्र में, इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एण्ड रेगूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत, भारत सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर कागज बनाने के नये कारखाने खोलने के लिये लाइसेंस प्रदान कर दिया है :

१—मेरठ
२—गाजियाबाद जिला मेरठ (दो कारखाने)
३—मोदीनगर, जिला मेरठ
४—मेरठ जिला (पार्टी ने अभी निश्चित स्थान नहीं चुना है।)
५—कानपुर (दो कारखाने)
६—मन्सूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर
७—वाराणसी
८—रामनगर, जिला वाराणसी
९—गोला गोकरननाथ, जिला खीरी
१०—गोरखपुर
११—शाहगंज, जिला जौनपुर
१२—गाजीपुर।

आशा है कि ये कारखाने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में चालू हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१९ पर)

जिला उद्योग समितियों द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता। जिला एटा में उपरोक्त समिति द्वारा विभिन्न उद्योगों हेतु दिये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार है।

	उद्योग का नाम	वितरित ऋण की धनराशि
		रुपयों में
१९५८-५९	१—चर्मशोधन	१४,५५०
	२—जूता बनाना	३,८५०
	३—लकड़ी का फर्नीचर	२,५००
	४—खंडसारी	४,०००
	५—टिन स्मिथी	१००
	योग ..	२५,०००
१९५९-६०	१—जूता बनाना	८,०००
	२—लकड़ी का फर्नीचर	१,५००
	३—लुब्रीकेटर	८,०००
	४—शीशे का सामान	५,०००
	५—रेडियो पार्ट्स	३,०००
	६—चाकू बनाना	५,०००
	७—घुंघरु बनाना	५,०००
	८—दरी बनाना	४,०००
	९—हड्डी की खाद	७,०००
	१०—सीमेन्ट टाइल्स	४,०००
	११—पीतल के लोटे	१,०००
	१२—फिनाइल	२,०००
	१३—लकड़ी का सामान	१,५००
	योग ..	५५,०००

अध्यक्ष विधान सभा

	उद्योग का नाम			वितरित ऋण की धनराशि
				रुपयों में
१९६०–६१	१—जूता बनाना ..	..	..	९,०००
	२—चमड़े का सामान	..	..	३,०००
	३—लकड़ी का फर्नीचर	..	..	९,०००
	४—हड्डी की खाद	..	..	५,५००
	५—पीतल के लोटे ..	..	..	२,०००
	६—चमड़े की काठी आदि	..	..	१,०००
	७—जनरल इंजीनियरिंग	..	..	७,०००
	८—बान बनाना ..	..	..	१,०००
	९—बढ़ई गीरी ..	..	..	२,०००
	१०—खेल का सामान	..	..	५,०००
	११—टीन का बक्स	..	..	२,५००
	१२—सिलाई मशीन क पुर्जे	..	..	७,०००
		योग	..	५४,०००
		कुल योग	..	१,३४,०००

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२२ पर)

संलग्न सूची

संख्या	नाम		पद नाम
१	श्रीराम गोपाल गंगवार	..	कृषि अधिकारी, सिंचाई विस्तार योजना ।
२	श्री राजा राम मिश्र	..	जिला स्वास्थ्य अधिकारी ।
३	डा० प्रेम सरन चोपड़ा	..	मेडिकल आफिसर, तालबेहट ।
४	श्री काजिम अली खां	..	सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्साइज, चरस व गांजा स्क्वाड।
५	श्री विजय पाल सिंह	..	एस० डी० ओ०, झांसी ।
६	श्री चुन्नी लाल भाटिया	..	स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट ।
७	श्री शिव बरत लाल गुप्ता	..	जिला भूमि संरक्षण अधिकारी।
८	श्री राम चन्द्र गुप्त	..	वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट, गवर्नमेन्ट जूनियर टेक-निकल स्कूल, झांसी ।
९	श्रीमती एस० के० सिन्हा	..	प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इन्टर कालेज, झांसी ।
१०	श्री बी० एन० राजदान	..	सहायक विकास आयुक्त एवं डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाईटीज, झांसी ।
११	श्री दया शंकर मिश्र	..	क्षेत्र विकास अधिकारी, चिरगांव ।
१२	श्री ए० पी० द्विवेदी	..	क्षेत्र विकास अधिकारी, मोठ ।
१३	श्री जगमोहन सिंह निरंजन	..	क्षेत्र विकास अधिकारी बबीना ।
१४	डा० एस० पी० श्रीवास्तव	..	रिसर्च आफिसर, एनिमल, न्यूट्रिशन पशुपालन, तथा कृषि फार्म, भरारी ।

संसद सदस्य सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२३ पर)

सूची (आंकड़े गवैनों में)

	साफ्ट कोक	हार्ड कोक
१—श्री शिव लाल, हरदोई	१६	४
२—श्री जगेश्वर दयाल, हरदोई	१५	३
३—श्री के० एल० आनन्द, शाहाबाद	६	..
४—श्री दौलत राम, शाहाबाद	९	..
५—श्री केवल राम सन्डीला	४	..
६—श्री राजेशनाथ कपूर, बिलग्राम	७	..
	५७	७

विधान सभा सचिवालय